783

[2023] 9 एस**.** सी**.** आर **783:2023** आई**.** एन**.** एस**.** सी**. 486**

क.

एम. के. राजगोपालन

वी.

डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. (2022 की सिविल अपील संख्या 1682-1683)

03 मई, 2023

[दिनेश माहेश्वरी और विक्रम नाथ**,** जे**.** जे**.]**

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016।12 ए, 29-ए (ई), 30 (2) (ई) और 30 (6)-भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016-विनियम 36-ए (2) (iii)-सी. ओ. सी. के समक्ष अंतिम समाधान योजना की प्रस्तुति के अभाव में अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) द्वारा समाधान योजना की अस्वीकृति-आयोजितःयह असाधारण है और इसमें कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है-जब संशोधित समाधान योजना, भले ही सी. ओ. सी. द्वारा मामूली संशोधन/संशोधन को अंतिम रूप से अनुमोदित नहीं किया गया हो, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को इसकी प्रस्तुति एक भौतिक अनियमितता के बराबर है और इस दोष को ठीक नहीं किया जा सकता है-सी. ओ. सी. द्वारा किसी भी समाधान योजना के बाद के अनुमोदन की कोई अवधारणा नहीं है और जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष दाखिल करने से पहले उसके सामने नहीं रखी गई थी-सी. आई. आर. पी. विनियमों की आवश्यकता, विशेष रूप से सी. ओ. सी. के समक्ष समाधान योजना को उसके अंतिम रूप में रखने की आवश्यकता, का सावधानीपूर्वक पालन करना पड़ता है-यह कानून से संबंधित विशिष्ट कारण के लिए है कि यदि वर्तमान मामले में अपनाई गई प्रक्रिया को मंजूरी दी जाती है, तो संहिता और सी. आई. आर. पी. विनियमों की योजना ही है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

783 ए.

784 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ-मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण के कारणों और निष्कर्षों और कुछ प्रक्रियात्मक प्रावधानों के कथित गैर-अनुपालन के साथ-साथ समाधान पेशेवरों के शुल्क में वृद्धि के खिलाफ टिप्पणियों को भी मंजूरी नहीं दी गई है-इसी तरह, अपीलीय न्यायाधिकरण ने समाधान आवेदक को एस के संदर्भ में समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य ठहराने में सही नहीं था।164(2)(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-प्रवर्तक के निपटान प्रस्ताव के संदर्भ में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अस्वीकृति।12-संहिता के ए और उसके कथित गैर-विचार को भी मंजूरी नहीं दी गई है और अपीलीय न्यायाधिकरण के ऐसे निष्कर्षों को दरकिनार करने की आवश्यकता है-इसी तरह, अपीलीय न्यायाधिकरण ने संबंधित पक्ष के संबंध में गैर-भेदभाव के सिद्धांतों को लागू करने में गलती की-हालांकि, सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक ज्ञान का सम्मान करते हुए भी, वर्तमान मामले में, विचाराधीन समाधान योजना को दो प्रमुख कारणों से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित

नहीं किया जा सकता था:एक, समाधान आवेदक की अयोग्यता के लिए; और दूसरा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से अनुमोदन लेने से पहले संशोधित समाधान योजना को सी. ओ. सी. में नहीं रखने के लिए-अब तक ब्याज की नई अभिव्यक्ति (ई. ओ. आई.) के निमंत्रण और सी. ओ. सी. द्वारा प्रवर्तक के नए निपटान प्रस्ताव के अनुमोदन से संबंधित बाद की घटनाओं का संबंध है, सभी प्रासंगिक पहलुओं को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के विचार के लिए खुला रखा जाता है।

ग

डी.

ई.

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति ने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाम सतीश कुमार गुप्ता के माध्यम से

और ओआरएस। (2020) 8 एससीसी 531:[2019] 16 एससीआर 275;

जेपी केन्सिंगटन बुलेवार्ड अपार्टमेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और ओआरएस. वी.एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और अन्य। (2022) 1 एससीसी 401; स्विस रिबन (पी) लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम

च

भारत संघ और ओआरएस। (2019) 4 एससीसी 17:[2019] 3 एस. सी. आर. 535-पर निर्भर।

के**.** शशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक **(2019) 12** एससीसी **150:[2019] 3** एस**.** सी**.** आर**. 845;** महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम**.**पद्मनाभन वेंकटेश और अन्य। **(2020) 11** एससीसी **467:[2020] 2** एससीआर **1157;** फीनिक्स एआरसी **(**पी**)** लिमिटेड बनाम स्पेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और अन्य। **(2021) 3** एस**.** सी**.** सी**. 475;** सी**.** राजा जॉन बनाम आर**.** राघवेंद्रन और अन्य। कम्प**.**एपल।

जी.

(ए. टी.) (सी. एच.) (आई. एन. एस.) 2021 की सं. 207; कल्पराज धर्मशी ए

एच.

785

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर.

और एन. आर. वी.कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड और एएनआर। (2021) 10 एससीसी 401; ईबीआईएक्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड बनामएडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड और अन्न के लेनदारों की समिति। (2022) 2 एससीसी 401; प्रताप टेक्नोक्रेटस (पी) लिमिटेड और ओआरएस बनामरिलायंस इन्फ्राटेल की निगरानी समिति

लिमिटेड और एन. आर. 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 569; फेसर मिश्र धातु

लिमिटेड वी**.**भुवन मदन और ओआरएस। **2021** की सिविल अपील संख्या **5129;** वीनस रिक्रूटर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ

भारत और ओआरएस। 2020 एससीसी ऑनलाइन डेल। 1479; वल्लाल आरसीके

v. शिवा इंडस्ट्रीज एंड होल्डिंग्स लिमिटेड और अन्य। **2022** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 717** और ब्रिलियंट अलॉयज **(**पी**)** लिमिटेड बनाम**.**एस**.**

राजगोपाल और ओआरएस। (2022) 2 एस. सी. सी. 544-संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

ग

[2019] 16 एससीआर **275**

पर भरोसा किया

पैरा **15.4**।**1 [2019] 3** एस**.** सी**.** आर**. 845** पैरा **17 [2020] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1157** पैरा **17 (2021) 3** एस**.** सी**.** सी**. 475** पैरा **19.7 (2021) 10** एस**.** सी**.** सी**. 401** पैरा **28.5 (2022) 1** एस**.** सी**.** सी**. 401** को संदर्भित किया गया

डी.

पैरा **17 (2022) 2** एस**.** सी**.** सी**. 401** पैरा **29 [2019] 3** एस**.** सी**.** आर**. 535** पर निर्भर था

ई.

पैरा **31.1 (2022) 2** एस**.** सी**.** सी**. 544** पैरा **35.1** में निर्दिष्ट है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:2022 की सिविल अपील Nos.1682-1683।

च

कंपनी अपील (ए. टी.) (सी. एच.) (दिवाला) No.164 और 2021 के 219 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, चेन्नई पीठ के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

सह

जी.

सिविल अपील Nos.1756,1759,1757,1807,1810 और 2022 की 1827।डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता।, देवाशीष भारुका, जस्टिन जॉर्ज, सुश्री सर्वश्री, अभिजीत सिंह, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., के. वी. विश्वनाथन, विजय नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता।, संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, अर्जुन भाटिया, सुश्री अक्षता जोशी,

एच.

क.

सुश्री शुभ्रा कपूर, सुश्री आस्था गुम्बर, गौतम शिवशंकर, टी. रविचंद्रन, के. वी. मोहन, के. वी. बालकृष्णन, सुश्री निवेदिता, सुश्री संयुक्ता जे., राहुल कुमार शर्मा, श्रीयश यू. ललित, सुश्री रवीना ललित, अभिनव अग्रवाल, श्रीमती प्रज्ञा बघेल, सुश्री हरिप्रिया पद्मनाभन, वी. श्यामोहन, सुश्री आस्तु खंडेलवाल, मार्टिन जी. जॉर्ज, धीरज नायर, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी**,** जे**.**

प्रारंभिक और संक्षिप्त रूपरेखा**. 2 ***

कार्यवाहियों और पक्षों का विवरण. 7 * प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलू. 13 *

ग

सी. आई. आर. पी. की शुरुआत. **14 ***

सी. ओ. सी. की बैठकें और सहायक कार्यवाही। 16 *

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण **(**एन. सी. एल. टी.**)** द्वारा अनुमोदित समाधान योजना।

डी.

अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) की अस्वीकृति. 40 * इस न्यायालय में कार्यवाही। 59 *

ई.

इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान की घटनाएँ।**..... 62 *** प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ**. 65 ***

निर्धारण के लिए बिंदु. 84 * प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान. 87 * आई. बी. सी. के उद्देश्य और योजनाःमहत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खिलाड़ीः..... 109* बिंदु ए-मूल्यांकनःविनियम 27 और 35.116 * बिंदु बी-प्रपत्र जी का प्रकाशनःविनियमन 36-ए. 118 * बिंदु सी1-धारा 164 (2) (बी) कंपनी अधिनियम 120 का प्रभाव * बिंदु सी2-धारा 88 न्यास अधिनियम का प्रभाव. 121 * बिंदु सी3-धारा 166 (4) कंपनी अधिनियम का प्रभाव. 125 * बिंदु डी1-सीओसी द्वारा अनुमोदन के बाद समाधान योजना का संशोधन. 126 *

च

जी.

एच.

एड। ध्यान देंःपृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

787

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

बिंदु डी 2-समाधान पेशेवर के शुल्क में वृद्धि. 132 बिंदु ई-संबंधित पक्ष से संबंधित मामला. 133 बिंदु एफ-प्रवर्तक के निपटान प्रस्ताव के संबंध में एन. सी. एल. ए. टी. के निष्कर्ष. 135 बिंदु जी-बाद की घटनाओं का प्रभाव. 138 सारांश. 142 निष्कर्ष. 144

प्रारंभिक और संक्षिप्त रूपरेखा

ग

1. ये दीवानी अपीलें अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, चेन्नई पीठ द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं, जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 2 के संबंध में अपीलों के एक समूह में 1, कॉर्पोरेट देनदार, अप्पू होटल्स लिमिटेड 4 के संबंध में 3, जिसके तहत अपीलीय न्यायाधिकरण ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चेन्नई 5 द्वारा पारित 15.07.2021 के आदेश को उलट दिया है; और विचाराधीन समाधान योजना को खारिज करते हुए, मामले को ऋणदाताओं की समिति 6 के पास भेज दिया है, जिसमें प्रस्ताव पेशेवर 7 को फॉर्म 'जी' के प्रकाशन के चरण से आगे बढ़ने के निर्देश दिए गए हैं, और आई. एन. एस. के अनुसार नए सिरे से ब्याज की अभिव्यक्ति को आमंत्रित किया गया है।

डी.

ई.

2. मामलों के इस समूह में उठाए गए कई मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, जहां विभिन्न चरणों में कई कदम उठाए गए हैं और विभिन्न पक्षों के अलग-अलग रुख और हित हैं, हम आगामी चर्चा की रूपरेखा को इंगित करने के लिए तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलुओं की मुख्य विशेषताओं के साथ एक संक्षिप्त रूपरेखा तैयार कर सकते हैं।

च

1 इसके बाद इसे 'एन. सी. एल. ए. टी.'/'अपीलीय न्यायाधिकरण' भी कहा जाता है।2 'सी. आई. आर. पी. ', संक्षेप में।

जी.

3 इसके बाद इसे 'आईबीसी'/'कोड' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।4 इसके बाद इसे 'कॉर्पोरेट देनदार' भी कहा जाता है।

5 इसके बाद इसे 'एन. सी. एल. टी.'/'न्यायाधिकरण'/'न्यायनिर्णायक प्राधिकरण' भी कहा जाता है।6 'सीओसी ', संक्षेप में।

7 'आरपी ', संक्षेप में।

8 'ईओआई ', संक्षेप में।

9 इसके बाद इसे 'सी. आई. आर. पी. विनियम' भी कहा जाता है।

एच.

2.1.एन. सी. एल. टी. ने अपने वित्तीय लेनदारों में से एक, टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 10 द्वारा संहिता की धारा 7 के तहत दायर एक आवेदन को स्वीकार करने के साथ कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. 05.05.2020 पर शुरू किया।कार्यवाहियों के दौरान, सी. ओ. सी. की विभिन्न दौर की बैठकों के बाद, अंततः, विचाराधीन समाधान योजना को 87.39 प्रतिशत के साथ मंजूरी दी गई।22.01.2021 पर मतदान का अधिकांश हिस्सा।हालांकि, सी. ओ. सी. ने समाधान योजना में कुछ बदलाव करने की सिफारिश की।सी. ओ. सी. द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को शामिल करने के बाद, समाधान योजना की मंजूरी के लिए आई. बी. सी. की धारा 30 (6) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के समक्ष एक आवेदन भेजा गया था।एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही के दौरान, समाधान योजना के खिलाफ विभिन्न वित्तीय लेनदारों, अन्य समाधान आवेदकों और प्रवर्तक और कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व निदेशक द्वारा कई आपत्तियां उठाई गईं। प्रवर्तक ने संहिता की धारा 12-ए के संदर्भ में अपने निपटान प्रस्ताव पर विचार करने की इच्छा के बारे में अपनी शिकायत भी बताई।हालाँकि, एन. सी. एल. टी. ने सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया और समाधान योजना को मंजूरी दे दी, जिसमें इसे कॉर्पोरेट देनदार और अन्य हितधारकों पर दिनांकित सामान्य आदेश द्वारा बाध्यकारी घोषित किया गया।

ग

डी.

2.2.समाधान योजना की मंजूरी को चुनौती देते हुए, अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) के समक्ष कई अपीलों को प्राथमिकता दी गई, जिनका निर्णय विवादित सामान्य निर्णय और दिनांक 17.02.2022 के आदेश में किया गया था।अपीलीय न्यायाधिकरण ने समाधान योजना पर विचार करने की प्रक्रिया के साथ-साथ सफल समाधान आवेदक की पात्रता के खिलाफ कई आपत्तियों को बरकरार रखते हुए, सभी अपीलों को अनुमति दी; उपरोक्त आदेश दिनांक 1 को दरकिनार कर दिया; एन. सी. एल. टी. द्वारा इस तरह से अनुमोदित समाधान योजना को खारिज कर दिया; समाधान आवेदक को भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 11 की धारा 88 के संदर्भ में अयोग्य घोषित कर दिया और कंपनी अधिनियम, 2013 12 की धारा 164 (2) (बी) के संदर्भ में अयोग्य घोषित कर दिया; और समाधान पेशेवर को सी. आई. आर. पी. विनियमों के अनुसार फॉर्म 'जी' के प्रकाशन के चरण से सी. आई. आर. पी. के साथ आगे बढ़ने के लिए निर्देश जारी किए।अपीलीय न्यायाधिकरण ने समाधान

पेशेवर को सी. ओ. सी. के समक्ष विचार के लिए प्रवर्तक और कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व निदेशक के निपटान प्रस्ताव को रखने का निर्देश भी जारी किया; और यदि इस तरह के प्रस्ताव को 90 प्रतिशत के साथ मंजूरी दी गई थी।सी. ओ. सी. का मतदान हिस्सा, सी. आई. आर. पी. के विनियमन 30-ए के साथ पठित संहिता की धारा 12-ए के तहत सी. आई. आर. पी. को वापस लेने के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए

ई.

च

जी.

10 'टी. एफ. सी. आई. ', संक्षेप में।

11 इसके बाद इसे 'न्यास अधिनियम' भी कहा जाता है।12 इसके बाद इसे 'कंपनी अधिनियम' भी कहा जाता है।

एच.

789

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

नियम।अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित पक्ष के वित्तीय/परिचालन लेनदारों के दावे को असंबंधित वित्तीय/परिचालन लेनदारों के दावे से अलग नहीं किया जाना चाहिए।

3. एन. सी. एल. ए. टी. के दिनांकित (आई. डी. 1) के उपरोक्त आदेश को समाधान आवेदक और समाधान पेशेवर द्वारा भी कई मामलों में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा रही है, जिसे मोटे तौर पर इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता हैःपहला, सी. आई. आर. पी. विनियमों का वह विनियमन 35 सी. ओ. सी. को मूल्यांकन रिपोर्ट साझा करना अनिवार्य नहीं करता है और इसके बजाय केवल परिसमापन मूल्य साझा करना अनिवार्य करता है।दूसरा, गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का मूल्य महत्वपूर्ण नहीं था और मूल्यांकन के बारे में सी. ओ. सी. के सदस्यों द्वारा 15.12.2020 पर सूचित और सहमति व्यक्त की गई थी। तीसरा, निर्दिष्ट वेबसाइट पर फॉर्म जी का गैर-प्रकाशन केवल एक प्रक्रियात्मक अनियमितता थी जो किसी भी पक्ष के हितों को प्रभावित नहीं करती थी।चौथा, कि सी. ओ. सी. का व्यावसायिक विवेक न्यायसंगत नहीं था और एक बार सी. ओ. सी. ने आवश्यक बहुमत से समाधान योजना को मंजूरी दे दी, तो अदालतों द्वारा हस्तक्षेप की बहुत सीमित गुंजाइश थी।पाँचवाँ, कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने समाधान आवेदक को न्यास अधिनियम की धारा 88 के तहत अयोग्य घोषित करके और कंपनी अधिनियम की धारा 164 (2) (बी) के तहत अयोग्य घोषित करके अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। छठा, कि संबंधित पक्ष के लेनदारों के दावों को असंबंधित लेनदारों के बराबर नहीं माना जा सकता है।और सातवाँ, प्रवर्तक का वह धारा 12-ए आई. बी. सी. आवेदन केवल एक विलंबकारी रणनीति थी और वह ऐसा कोई आवेदन दायर करने का हकदार नहीं था।इन अपीलों में उठाए गए इन और अन्य आधारों को उत्तरदाताओं द्वारा इन मामलों में अपने-अपने रुख और स्थितियों के साथ विधिवत चुनौती दी गई है।इसके अलावा, कुछ वित्तीय लेनदारों ने भी अभियोग लगाने के लिए आवेदन दायर किए हैं और विचार के लिए अपने-अपने दृष्टिकोण रखे हैं।

ग

डी.

ई.

च

4. इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय ने दिनांक 17.02.2022 के विवादित आदेश के संचालन पर रोक नहीं लगाई; और इन अपीलों की सुनवाई के दौरान, 07.03.2022 पर, आर. पी. द्वारा सूचित किया गया कि विवादित आदेश के अनुसार, सी. ओ. सी. की एक और बैठक 03.03.2022 पर आयोजित की गई थी।यह देखा गया है कि 03.03.2022

पर आयोजित उक्त CoC बैठक में, प्रवर्तक के निपटान प्रस्ताव को मतदान हिस्सेदारी के 51.81% द्वारा वोट दिया गया था। प्रारंभिक सुनवाई के समापन के बाद, निर्णय सुरक्षित रखते हुए, इस न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि सी. ओ. सी. की आगे की बैठक आई. डी. 1 के लिए निर्धारित की गई थी और यह प्रावधान किया गया था कि सी. ओ. सी. की बैठकें/कार्यवाही जारी रह सकती है लेकिन पूरी प्रक्रिया इन अपीलों में पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों के अधीन रहेगी।

जी.

एच.

790

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

4.1.इन मामलों को फिर से आई. डी. 2 पर लिया गया जब इस न्यायालय ने प्रस्ताव आवेदक द्वारा निर्देशों के लिए दायर एक अन्य आवेदन में की गई प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया और बताया कि आर. पी. द्वारा 26.04.2022 पर फॉर्म जी के प्रकाशन द्वारा नई प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें नए ई. ओ. आई. आमंत्रित किए गए थे। इसमें, प्रस्ताव आवेदक ने आर. पी. द्वारा या वैकल्पिक रूप से शुरू की गई नई प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की, ताकि उसकी अयोग्यता की घोषणा के संबंध में विवादित आदेश के संचालन पर रोक लगाई जा सके, और आर. पी. को इस तरह शुरू की गई नई प्रक्रिया में उसके ई. ओ. आई. पर विचार करने का निर्देश दिया जा सके।हालाँकि, इस न्यायालय ने इस तथ्य के संदर्भ में कोई अन्य आदेश पारित करने से इनकार कर दिया कि सभी कार्यवाहियाँ इन अपीलों में अंतिम आदेशों के अधीन रहती हैं।

ग

4.2.फिर भी, 2022 की सिविल अपील संख्या 1682-1683 को 17.11.2022 पर बोर्ड में लिया गया और कॉर्पोरेट देनदार के प्रवर्तक और पूर्व निदेशक (2022 का IA संख्या 168602) की ओर से दायर एक आवेदन को देखते हुए पक्षों के लिए विद्वान वकील को आगे सुना गया, जिसमें बाद की घटनाओं को रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति मांगी गई कि संहिता की धारा 12-A के तहत निपटान के उनके प्रस्ताव को CoC द्वारा मतदान शेयर के 12.10.2022 पर 100% द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, यानी सर्वसम्मति से; और इसे अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष रखा गया था।उपरोक्त घटनाओं को ध्यान में रखते हुए और समग्र परिस्थितियों को देखते हुए, निर्णय को सुरक्षित रखते हुए, हमने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से इन मामलों में इस न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया।

डी.

ई.

कार्यवाहियों और पक्षों का विवरण

5. इन अपीलों में निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कई पक्ष अलग-अलग भूमिकाओं, हितों और पदों पर हैं, इन अपीलों की ओर ले जाने वाली कार्यवाही के प्रासंगिक विवरणों के साथ-साथ इसमें शामिल प्रमुख पक्षों का भी संक्षेप में वर्णन करना सार्थक होगा।

च

6. जैसा कि देखा गया है, कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. 05.05.2020 पर शुरू की गई, जिसमें एन. सी. एल. टी. ने अपने एक वित्तीय लेनदार, टी. एफ. सी. आई. द्वारा संहिता की धारा 7 के तहत दायर एक आवेदन को स्वीकार किया। यह आवेदन 2019 के आई. बी. ए. सं. 1459 के रूप में पंजीकृत किया गया था।समाधान योजना के अनुमोदन के लिए आवेदन, एन. सी. एल. टी. के समक्ष 2019 के उक्त आई. बी. ए. संख्या 1459 में आई. ए. संख्या 150/सी. एच. ई./2021 के रूप में पंजीकृत किया गया था।इस आवेदन और कई अन्य सहसंबद्ध आवेदनों पर एक साथ विचार किया गया

और दिनांक 15.07.2021 के सामान्य आदेश में निपटा गया, जिसके तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चेन्नई ने ए को खारिज कर दिया।

जी.

एच.

791

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

आपत्तियाँ और ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को मंजूरी दी।

6.1.राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, चेन्नई पीठ के समक्ष कंपनी अपील (एटी) (सीएच) (दिवाला) संख्या 2021 की संख्या 164,176,218 और 219 दिनांकित उपरोक्त आदेश के खिलाफ चार अलग-अलग अपीलें की गईं।समाधान योजना की मंजूरी और निपटान प्रस्ताव पर विचार के लिए उनके आवेदन की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए, 2021 की 164 और 2021 की 219 संख्या वाली अपीलें क्रमशः प्रवर्तक और कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व निदेशक द्वारा दायर की गई थीं।दूसरी ओर, 2021 की अपील संख्या 176 निगमित देनदार के लेनदारों में से एक द्वारा दायर की गई थी, जिसका वित्तीय लेनदार के रूप में दावा और परिचालन लेनदार को भी निगमित देनदार का एक संबंधित पक्ष होने के कारण अनुमोदित समाधान योजना में अस्वीकार कर दिया गया था।2021 की 218 नंबर वाली दूसरी अपील एक एनआरआई शेयरधारक और कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व निदेशक द्वारा दायर की गई थी, जो अनिवार्य रूप से अनुमोदित समाधान योजना में शेयरधारकों को किसी भी राहत से इनकार करने से व्यथित थी।जैसा कि देखा गया है, इन चार अपीलों का निर्णय एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अपने विवादित सामान्य निर्णय और दिनांक 17.02.2022 के आदेश में एक साथ किया गया था।

ग

डी.

6.2.उपरोक्त निर्णय और दिनांक 1 दिनांकित आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में अपीलों के वर्तमान सेट में, एक उप-सेट समाधान आवेदक द्वारा पसंद की गई अपीलों का है जिसे निम्नानुसार देखा जा सकता हैः

ई.

6.2.1.समाधान आवेदक ने 2022 की सिविल अपील संख्या 1682-1683 के माध्यम से प्रवर्तक और कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व निदेशक (2021 की अपील Nos.164 और 2021 की 219 में NCLAT के समक्ष) की आपत्तियों और दावे के संबंध में पारित आदेशों पर सवाल उठाया है।समाधान आवेदक ने 2022 की सिविल अपील संख्या 1827 के माध्यम से संबंधित पक्ष के दावे (एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष 2021 की अपील संख्या 176 में) के संबंध में पारित आदेश पर आगे सवाल उठाया है।इसके अलावा, समाधान आवेदक ने 2022 की सिविल अपील संख्या 1810 के माध्यम से एनआरआई शेयरधारक (एनसीएलएटी के समक्ष 2021 की अपील संख्या 218 में) के दावे के संबंध में पारित आदेश पर सवाल उठाया है।

च

6.3.एक अन्य उप-समूह उपरोक्त निर्णय और दिनांकित 17.02.2022 के आदेश के खिलाफ समाधान पेशेवर द्वारा पसंद की गई अपीलों का है, जो इस प्रकार हैंः

जी.

6.3.1.समाधान पेशेवर ने प्रवर्तक और कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व निदेशक की आपत्तियों और दावे के संबंध में पारित आदेशों पर सवाल उठाया है (2021 की अपील Nos.164 और 2021 की अपील Nos.164 में)।

एच.

2021 एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष) क्रमशः 2022 की सिविल अपील संख्या 1756 और 2022 की 1807 के माध्यम से।समाधान पेशेवर ने 2022 की सिविल अपील संख्या 1757 के माध्यम से संबंधित पक्ष के दावे (एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष 2021 की अपील संख्या 176 में) के संबंध में पारित आदेश पर सवाल उठाया है।अंत में, समाधान पेशेवर ने 2022 की सिविल अपील संख्या 1759 के माध्यम से एनआरआई शेयरधारक (एनसीएलएटी के समक्ष 2021 की अपील संख्या 218 में) के दावे के संबंध में पारित आदेश पर सवाल उठाया है। 7.अब, हम इस मुकदमे में शामिल प्रमुख पक्षों के प्रासंगिक विवरणों पर ध्यान दे सकते हैं।अपीलीय न्यायाधिकरण, सी. आई. आर. पी. के आदेश और विचाराधीन समाधान योजना के संबंध में अपने-अपने रुख के संदर्भ में पक्षों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

ग

7.1 पहली श्रेणी उन पक्षों की है जो कई मामलों में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश से व्यथित हैं और समाधान योजना की अस्वीकृति और मामले को सी. ओ. सी. को भेजने का विरोध कर रहे हैं। वे इस प्रकार हैंः

डी.

7.1.1.श्री एम. के. राजागोपालन

वह समाधान आवेदक हैं और उन्होंने प्रश्नगत समाधान योजना प्रस्तुत की थी, जिसे 87.39 प्रतिशत के बहुमत से अनुमोदित किया गया था।सी. ओ. सी. के मतदान हिस्से का, लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया, क्योंकि यह संहिता की धारा 30 (2) का उल्लंघन है।वह 2022 की सिविल अपील संख्या 1682-1683,2022 की 1827 और 2022 की 1810 में अपीलार्थी हैं।समाधान पेशेवर द्वारा दायर सभी दीवानी अपीलों में, उसे उत्तरदाताओं में से एक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

ई.

7.1.2.श्री राधाकृष्णन धर्मराजन

च

वह समाधान पेशेवर हैं, जिन्हें सी. ओ. सी. द्वारा दिनांकित 04.09.2020 की तीसरी बैठक में नियुक्त किया गया था और उनकी नियुक्ति की पुष्टि एन. सी. एल. टी. द्वारा दिनांकित 02.11.2020 के क्रम में की गई थी।वह 2022 की सिविल अपील संख्या 1756,2022 की 1807,2022 की 1757 और 2022 की 1759 में अपीलार्थी हैं।समाधान आवेदक द्वारा दायर सभी दीवानी अपीलों में, उसे प्रोफॉर्मा प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

जी.

7.2.दूसरी श्रेणी अपीलों के इस समूह में प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं की है, जो अनिवार्य रूप से अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का समर्थन कर रहे हैं।उन्हें यथोचित रूप से निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

एच.

7.2.1.डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर 13

वह कॉर्पोरेट देनदार अप्पू होटल्स लिमिटेड के प्रवर्तक और पूर्व निदेशक हैं।वह संबंधित पार्टी धरणी फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं।वह 2022 की सिविल अपील संख्या 1682-1683,2022 की 1756 और 2022 की 1807 में प्रतिवादी नंबर 1 हैं।

7.2.2.धरणी फाइनेंस लिमिटेड

इस कंपनी के दावे को, एक परिचालन लेनदार के रूप में अपनी क्षमता के साथ-साथ कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदार के रूप में, एनसीएलटी द्वारा एक संबंधित पक्ष होने के कारण खारिज कर दिया गया था।हालांकि, एन. सी. एल. ए. टी. ने सी. ओ. सी. को असंबंधित वित्तीय/परिचालन लेनदारों से भेदभाव नहीं करने का निर्देश दिया।यह कंपनी 2022 की सिविल अपील संख्या 1757 और 2022 की 1827 में प्रतिवादी संख्या 1 है।

ग

7.2.3.डॉ. वी. जानकीरमन

वह एक एनआरआई शेयरधारक और कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व निदेशक हैं, जिन्होंने अन्य शेयरधारकों के साथ मिलकर कॉर्पोरेट देनदार में पैसा निवेश किया था।वह विचाराधीन समाधान योजना में शेयरधारकों के दावे को अस्वीकार करने से व्यथित हैं और उन्होंने उपरोक्त प्रवर्तक और निगमित देनदार के निदेशक के साथ कुछ अन्य सवाल भी उठाए हैं।वह 2022 की सिविल अपील संख्या 1810 और 2022 की 1759 में प्रतिवादी संख्या 1 हैं।

डी.

ई.

8. उपर्युक्त पक्षों के अलावा, जो इन अपीलों में सीधे शामिल हैं, अन्य हितधारक भी हैं, जो वित्तीय लेनदारों के रूप में अपनी क्षमता में खड़े हैं और विचाराधीन सी. आई. आर. पी. में उनकी अपनी भूमिका है।इनमें शामिल हैंः

8.1.भारतीय स्टेट बैंक 14

च

सी. ओ. सी. में लगभग 26.41% मतदान हिस्सेदारी के साथ कॉर्पोरेट देनदार के इस वित्तीय लेनदार ने, हालांकि पहले प्रश्नगत समाधान योजना के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन अब, सफल समाधान आवेदक की पात्रता की कमी के साथ-साथ प्रक्रिया में कमी से संबंधित एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश को देखते हुए, अनिवार्य रूप से प्रश्नगत समाधान योजना की अस्वीकृति का समर्थन कर रहा है और मामले को नए सिरे से विचार के लिए सी. ओ. सी. को भेज रहा है।

जी.

13 इसके बाद इसे 'प्रवर्तक' भी कहा जाता है।14 ‘एस. बी. आई. ', संक्षेप में।

एच.

8.2.एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ आईडीबीआई डिबेंचर ट्रस्टीशिप लिमिटेड और एलियम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 15

सी. ओ. सी. में लगभग 21.13% मतदान हिस्सेदारी वाले इन वित्तीय लेनदारों ने भी विचाराधीन समाधान योजना के पक्ष में मतदान किया था।उन्होंने विभिन्न आधारों पर एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित आदेश पर सवाल उठाए हैं।इसके अलावा, उन्होंने समाधान आवेदक द्वारा जमा की गई राशि सहित चिंता के कुछ अन्य क्षेत्रों को रेखांकित किया है, और यह भी सुझाव

दिया है कि सी. आई. आर. पी. को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, जबकि प्रवर्तक को स्विस चैलेंज प्रोसेस के माध्यम से समाधान योजना को बेहतर बनाने का अधिकार केवल उसके निपटान प्रस्ताव पर मतदान करने से पहले एस्क्रो खाते में मिलान राशि जमा करने के बाद ही दिया जाना चाहिए।

ग

8.3.भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड

सी. ओ. सी. में मतदान हिस्सेदारी के 5.62% वाले इस वित्तीय संस्थान ने 05.05.2020 (2019 का आई. बी. ए. सं. 1459) पर एन. सी. एल. टी. द्वारा संहिता की धारा 7 के तहत अपने आवेदन को स्वीकार करने के साथ सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की।

डी.

प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलू

9. कार्यवाही के प्रासंगिक विवरणों के साथ-साथ इसमें शामिल प्रमुख पक्षों पर भी ध्यान देने के बाद, हम अब प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं, संक्षेप में, बुनियादी ढांचे के रूप में।

ई.

10. कॉर्पोरेट देनदार, अप्पू होटल्स लिमिटेड, एक सीमित कंपनी है जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U92490TN1983PLC009942 है और पीजीपी हाउस, No.57, स्टर्लिंग रोड, नुंगमबक्कम, चेन्नई-600 034 में पंजीकृत कार्यालय है।निगमित देनदार के प्रवर्तक समूह में संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले लगभग एक सौ अनिवासी निवेशक शामिल हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने निगमित देनदार में विदेशी मुद्रा में बाईस मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है।कॉरपोरेट देनदार ने इंडियन बैंक के नेतृत्व में बैंकरों के एक संघ से 'ले मेरिडियन, कोयंबटूर' के निर्माण के लिए परियोजना ऋण लिया था।ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवसाय अनुमानित अनुमानों के अनुसार अमल में नहीं आया।प्रवर्तकों और निदेशकों ने लगभग रु। कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति को मानक के रूप में रखने के लिए नकदी प्रवाह के अलावा असुरक्षित ऋण के रूप में 100 करोड़ रुपये।यह आगे प्रतीत होता है कि हालांकि होटल परिचालन लाभ कमा रहा था, लेकिन लाभ के लिए अपर्याप्त था

च

जी.

15 'एडलवाइस एंड एसोसिएट्स ', संक्षिप्त और सामूहिक रूप से।

एच.

795

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

ऋण के पुनर्भुगतान को इष्टतम आवश्यकता के अनुसार सेवा प्रदान करना और निगमित देनदार अधिशेष के भुगतान में चूक करता है।

सी. आई. आर. पी की शुरुआत

11. कॉरपोरेट देनदार की ओर से बकाया राशि के भुगतान में चूक के कारण संहिता की धारा 7 के तहत अपने वित्तीय लेनदारों में से एक, टी. एफ. सी. आई. (जिसके पास कुल ऋण राशि का लगभग 5 प्रतिशत है) द्वारा एन. सी. एल. टी. के समक्ष सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए आवेदन किया गया। आई. बी. ए./1459/2019.ऐसा प्रतीत होता है कि वन टाइम सेटलमेंट 16 के कुछ प्रस्ताव कॉर्पोरेट देनदार की ओर से रखे गए थे, लेकिन बिना किसी प्रभावी परिणाम के, क्योंकि कॉर्पोरेट

देनदार वित्तीय लेनदार के बकाया का भुगतान करने में सक्षम नहीं था।एन. सी. एल. टी. ने पाया कि एक वित्तीय ऋण का अस्तित्व होने के कारण और कॉर्पोरेट देनदार की ओर से एक चूक होने के कारण, वित्तीय लेनदार द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार किया जाना बाध्य था और इसके परिणामस्वरूप, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को गति मिली।तदनुसार, एन. सी. एल. टी. ने अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा इस आवेदन को स्वीकार किया और श्री मुकेश कुमार गुप्ता को निम्नलिखित शर्तों में अन्य आवश्यक निर्देशों के साथ अंतरिम समाधान पेशेवर 17 के रूप में नियुक्त कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

“12. दोनों पक्षों के वकील को सुना और रिकॉर्ड में रखे गए दस्तावेजों का अध्ययन किया।यह रिकॉर्ड पर एक तथ्य है कि कॉर्पोरेट देनदार वित्तीय लेनदार को बकाया चुकाने में असमर्थ है और इस तरह ओ. टी. एस. निपटान की आड़ में कॉर्पोरेट देनदार वित्तीय लेनदार को बकाया चुकाने के लिए समय प्राप्त करना चाहता था।इसके अलावा, दिनांक 2 की कार्यवाही के रिकॉर्ड के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि कॉर्पोरेट देनदार वित्तीय लेनदार के बकाया के निपटारे के लिए प्रयास कर रहा था और इस तरह का प्रतिनिधित्व किए जाने पर, कॉर्पोरेट देनदार को मामले को निपटाने के लिए समय दिया गया था और मामले को अंत में निपटान की सूचना देने या मामले के साथ आगे बढ़ने के लिए 02.03.2020 पर पोस्ट किया गया था।इस प्रकार, जब मामले को 02.03.2020 पर जांच के लिए लिया गया था, तो वित्तीय लेनदार के वकील द्वारा इस न्यायाधिकरण के ध्यान में लाया गया है कि कॉर्पोरेट देनदार ने वित्तीय लेनदार के बकाया का भुगतान नहीं किया है और वित्तीय लेनदार के लिए विद्वान वकील ने भी प्रस्तुत किया है कि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा दायर हलफनामे में भी बकाया ऋण को स्वीकार किया गया है जो वित्तीय लेनदार का बकाया है।

ई.

च

जी.

16 ‘ओ. टी. एस., संक्षेप में।17 ‘आई. आर. पी. 'संक्षेप में।

एच.

796

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

13. इस प्रकार, हम संतुष्ट हैं कि निगमित देनदार की ओर से ऋण और चूक है और निगमित देनदार वित्तीय लेनदार को अपने बकाया का भुगतान करने में असमर्थ है।यह लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोनों में आयोजित किया गया है

इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड-वी-आईसीआईसीआई बैंक और एक अन्य (2018) 1 एससीसी 407 के साथ-साथ मोबिलॉक्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड-वी-किरासा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। (2018) 1 एस. सी. सी. 353 जाने के बाद

आई एंड बी संहिता, 2016 की योजना के माध्यम से एक वित्तीय लेनदार द्वारा धारा 7 के तहत दायर एक आवेदन के संबंध में गहराई से एक वित्तीय लेनदार द्वारा धारा 9 के तहत दायर एक आवेदन की तुलना में एक परिचालन लेनदार द्वारा दायर एक आवेदन के संबंध में, एक धारा 7 आवेदन के संबंध में जहां एक 'वित्तीय ऋण' का अस्तित्व है और जब कोई चूक होती है, तो यह न्यायाधिकरण आवेदन को स्वीकार करने के लिए बाध्य है और परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) को ट्रिगर करता है और एक धारा 7 आवेदन के संबंध में कॉर्पोरेट देनदार द्वारा रखे गए सेट ऑफ या काउंटर

क्लेम के बचाव को विवाद के रूप में नहीं माना जा सकता है। वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि कॉर्पोरेट देनदार की ओर से चूक हुई है।

ग

डी.

14. इस प्रकार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ कानून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि आवेदक-वित्तीय लेनदार द्वारा इस आवेदन को आई एंड बी कोड, 2016 की धारा 7 (5) के तहत स्वीकार किया जाना आवश्यक है।

ई.

15. वित्तीय लेनदार ने एक का नाम प्रस्तावित किया है

मुकेश कुमार गुप्ता जिनका पंजीकरण संख्या [आई. बी. बी. आई./आई. पी. ए.-001/आई. पी.-पी. 00207/2017-18 10407] है (ईमेल आईडीः- गुप्तम 11 @जीमेल।कॉम) (मोबः- +91-9810798961) अंतरिम के रूप में

च

प्रस्ताव पेशेवर (आई. आर. पी.) और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2016 के प्रपत्र 2 के तहत निर्धारित प्रारूप में एक लिखित संचार प्रस्तावित आई. आर. पी. द्वारा दायर किया गया है, जिसे आई. आर. पी. के रूप में निगमित ऋणदाता के निगमित दिवाला समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है।नियुक्त आई. आर. पी. इस संबंध में ऐसे अन्य और आगे के कदम उठाएगा जो क़ानून के तहत आवश्यक हैं, विशेष रूप से संहिता की धारा 15,17,18 के संदर्भ में और इस पीठ के समक्ष 20 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा।द ए.

जी.

एच.

797

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

निगमित ऋणदाता के निदेशक मंडल की शक्तियां सूचना एवं प्रसारण संहिता, 2016 के प्रावधानों के संदर्भ में निगमित ऋणदाता के संबंध में सी. आई. आर. प्रक्रिया की शुरुआत के परिणामस्वरूप समाप्त हो जाएंगी।

***

***

***

19. उपरोक्त शर्तों के आधार पर, याचिका संहिता की धारा 7 के संदर्भ में स्वीकार की जाती है और अधिस्थगन इस तारीख से लागू होगा।आदेश की एक प्रति याचिकाकर्ता के साथ-साथ रजिस्ट्री द्वारा ऊपर नामित प्रतिवादी को भी भेजी जाएगी।इसके अलावा, आदेश की एक प्रति रिकॉर्ड के लिए आई. बी. बी. आई. को भी भेजी जाएगी।इसके अलावा, उपरोक्त आई. आर. पी. को रजिस्ट्री द्वारा तुरंत इस आदेश की प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो संबंधित कंपनियों के पंजीयक को कॉर्पोरेट ऋणदाता के संबंध में सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के बारे में भी सूचित करेगा।"

ग

सी. ओ. सी. की बैठकें और सहायक कार्यवाही

डी.

12. इस प्रकार निगमित देनदार के संबंध में सी. आई. आर. पी. शुरू किए जाने के बाद, संहिता और सी. आई. आर. पी. विनियमों की आवश्यकताओं के संदर्भ में विभिन्न कदम उठाए गए, जिसमें सी. ओ. सी. की बैठकें भी शामिल थीं, जिसके परिणामस्वरूप अंततः प्रश्नगत समाधान योजना को मंजूरी दी गई।पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इनमें से कुछ कदम इन अपीलों में अपनी प्रासंगिकता रखते हैं।हम प्रासंगिक कदमों/कार्यवाहियों को उनके व्यवहार्य कालक्रम में संक्षेप में इस प्रकार नोट कर सकते हैंः

ई.

12.1.सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के अनुसार, आई. आर. पी. ने कॉर्पोरेट देनदार में विभिन्न हितधारकों से दावे आमंत्रित करते हुए 08.05.2020 पर फॉर्म ए में एक सार्वजनिक घोषणा जारी की।इसके अलावा, 22.06.2020 पर लेनदारों की समिति की पहली बैठक आयोजित करने के लिए, आई. आर. पी. ने 18.06.2020 पर एक नोटिस जारी किया।उक्त बैठक में सी. ओ. सी. के सभी सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें प्रवर्तक और निगमित देनदार के पूर्व निदेशक शामिल थे।

च

12.2.आई. डी. 1 पर आयोजित सी. ओ. सी. की दूसरी बैठक में सूचना ज्ञापन के संबंध में आई. आर. पी. के प्रस्ताव और फॉर्म जी के प्रकाशन द्वारा ई. ओ. आई. प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।श्री विकास अग्रवाल, श्री अनिल कुमार सक्सेना और श्री अनुभव अग्रवाल (एक समूह) और फ्यूचर वैल्यू एडवाइजर्स इंडिया (पी) लिमिटेड, आई. आर. पी. द्वारा परिसंपत्तियों की तीनों श्रेणियों के लिए पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं के रूप में मूल्यांकनकर्ताओं के दो समूह नियुक्त किए गए थे।

जी.

एच.

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के साथ पंजीकृत एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता इकाई।उनकी फीस को भी सी. ओ. सी. द्वारा मंजूरी दी गई थी।

12.3.17.08.2020 पर या उसके आसपास, आई. आर. पी. ने सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियमन 36 ए के तहत फॉर्म जी प्रकाशित किया, जिसमें समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए संभावित समाधान आवेदकों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई।12.4.इसके बाद, आई. डी. 1 पर आयोजित तीसरी सी. ओ. सी. बैठक में, श्री राधाकृष्णन धर्मराजन को समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया।इसी बैठक में संभावित समाधान आवेदकों से प्राप्त और आई. आर. पी. द्वारा रखी गई पंद्रह ई. ओ. आई. की सूची को सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किया गया। आई. आर. पी. द्वारा उक्त बैठक में सी. ओ. सी. को आगे सूचित किया गया कि मूल्यांकन प्रक्रिया में है और मूल्यांकनकर्ता कॉर्पोरेट देनदार के परिसर में जा सकते हैं।26.09.2020 पर, आई. आर. पी. ने संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची प्रकाशित की।इस संबंध में यह देखा जा सकता है कि अनंतिम सूची के प्रकाशन और प्रारंभिक जांच के अनुसार, प्राप्त ईओआई में से तेरह को शुरू में योग्य पाया गया था, जिनमें से एक को वापस ले लिया गया था और दूसरा, श्री बालाजी विद्यापीठ (जिसमें से सफल समाधान आवेदक प्रबंध न्यासी था) को अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि एक धर्मार्थ न्यास लाभ कमाने वाली संस्था नहीं चला सकता है।इसलिए, ग्यारह संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची 26.09.2020 पर सी. ओ. सी. के समक्ष प्रस्तुत की गई।अंत में, श्री माधव धीर, श्री एम. के. राजगोपालन (समाधान आवेदक-अपीलार्थी) और कोटक स्पेशल सॉल्यूशंस से तीन समाधान योजनाएं प्राप्त हुईं।

डी.

ई.

12.5.आई. डी. 1 पर आयोजित चौथी सी. ओ. सी. बैठक में, आई. आर. पी. ने सदस्यों को कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों का दौरा करने वाले मूल्यांकनकर्ताओं और मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया।

च

12.6.27.10.2020 पर, अपीलार्थी श्री एम. के. राजगोपालन ने अपनी समाधान योजना के साथ-साथ रु. 2 करोड़।आई. डी. 1 पर न्यायाधिकरण ने श्री राधाकृष्णन धर्मराजन की समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी।

12.7.आई. डी. 1 पर आयोजित पांचवीं सी. ओ. सी. बैठक में, कार्यसूची के पहले मद में, सदस्यों ने श्री राधाकृष्णन धर्मराजन की प्रस्ताव पेशेवर के रूप में नियुक्ति पर ध्यान दिया।इसके बाद, दूसरे मद पर, सी. ओ. सी. ने मंजूरी दी कि समाधान पेशेवर समय अवधि बढ़ाने की मांग के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक आवेदन दायर करेगा।

जी.

18 'आई. बी. बी. आई. ', संक्षेप में।

एच.

799

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण संहिता की धारा 12 (2) के तहत 05.05.2020 से 31.10.2020 तक।आर. पी. से अद्यतन जानकारी के संबंध में और समाधान योजना की समय सीमा बढ़ाने/फॉर्म जी के संभावित पुनः जारी करने पर निर्णय लेने के लिए, विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न विचार व्यक्त किए गए, जो निम्नलिखित टिप्पणियों और संकल्प में समाप्त हुएः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"चूंकि सी. ओ. सी. की प्रक्रिया और आगे के रास्ते के बारे में मिश्रित विचार थे, आर. पी. ने घोषणा की कि यह सी. ओ. सी. है जिसे समाधान प्रक्रिया की वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर अपने सर्वोत्तम लाभ के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता है, चाहे वह फॉर्म जी जारी करना हो या समय सीमा का विस्तार और वह सी. ओ. सी. के निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

ग

सी. ओ. सी. सदस्यों ने आगे फॉर्म जी, समाधान योजनाओं की प्राप्ति और समय के विस्तार के बारे में किसी भी आर. ए. से किसी भी संभावित अनुरोध पर चर्चा की।

सी. ओ. सी. सदस्यों की सहमति के साथ, यह निर्णय लिया गया कि समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का कोई विस्तार नहीं किया जाना चाहिए और आर. पी. को मूल्यांकन प्रक्रिया में तेजी लाने और पहले से प्रस्तुत समाधान योजनाओं की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता की जांच करने और विचार के लिए सी. ओ. सी. के समक्ष योग्य समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।"

डी.

12.8.आई. डी. 1 पर आयोजित छठी सी. ओ. सी. बैठक में, आर. पी. ने सी. ओ. सी. सदस्यों को तीन समाधान योजनाओं के बारे में अवगत कराया, जिनमें से, कोटक स्पेशल सॉल्यूशंस से प्राप्त योजना संहिता के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करती है।आर. पी. ने यह भी बताया कि वित्तीय लेनदारों के दावों और संरचना में संशोधन किया गया है और चूंकि दो समाधान आवेदकों को संशोधित विवरण देना अनिवार्य था, इसलिए योजनाओं को संशोधित करने के बाद औपचारिक प्रस्तुति और

समाधान आवेदकों को बुलाया जा सकता है।इस बैठक में, आर. पी. ने सी. ओ. सी. सदस्यों को समय अपवर्जन आवेदन दाखिल करने के बारे में भी अवगत कराया, जिसकी सुनवाई 15.12.2020 पर हुई और आदेश सुरक्षित रखा गया।

ई.

च

12.8.1.उक्त छठी बैठक में, आर. पी. ने यह भी बताया कि उन्होंने सी. ओ. सी. सदस्यों को उन सभी लोगों के लिए उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य प्रदान किया था जिन्होंने गोपनीय वचन पत्र प्रस्तुत किया था और यह कि आई. आर. पी. द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत भूमि और भवन के मूल्य में महत्वपूर्ण अंतर के कारण, उन्हें सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियमन 35 के अनुसार तीसरे मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति करनी होगी।यह भी ध्यान दिया गया कि गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का मूल्यांकन पहले नहीं किया गया था, लेकिन

जी.

एच.

800

आर. पी. द्वारा नियुक्त तीसरे मूल्यांकनकर्ता ने गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का मूल्य प्रस्तुत किया था और इसे सी. ओ. सी. सदस्यों के साथ साझा किया गया था जिन्होंने अपना वचन प्रस्तुत किया था।आरपी ने इस बात पर जोर दिया कि उनका मूल्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, और यह परिसमापन मूल्य को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा।इस छठी सी. ओ. सी. बैठक के कार्यवृत्त के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"आर. पी. ने सी. ओ. सी. सदस्यों को अवगत कराया कि 5 वीं सी. ओ. सी. बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर एक तत्काल आवेदन के साथ एक बहिष्करण आवेदन एन. सी. एल. टी. चेन्नई के समक्ष 19.11.2020 पर दायर किया गया था। आवेदन को सुनवाई 15.12.2020 के लिए सूचीबद्ध किया गया था और आदेश सुरक्षित रखा गया है।

ग

आर. पी. ने आगे बताया कि उन्होंने सी. ओ. सी. सदस्यों को उन सभी लोगों को उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य प्रदान किया है जिन्होंने गोपनीय वचन पत्र प्रस्तुत किया है।आर. पी. ने आगे बताया कि आई. आर. पी. द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत भूमि और भवन के मूल्य में महत्वपूर्ण अंतर के कारण, आर. पी. को सी. आई. आर. पी. विनियम 2016 के विनियम 35 के प्रावधानों के अनुसार तीसरे मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति करनी है।

डी.

यह नोट किए जाने के बाद कि गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का मूल्यांकन नहीं किया गया था, आर. पी. द्वारा नियुक्त तीसरे मूल्यांकनकर्ता ने गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का मूल्य प्रस्तुत किया है और इसे सी. ओ. सी. सदस्यों के साथ साझा किया गया है जिन्होंने अपना वचन प्रस्तुत किया है।आरपी ने जोर देकर कहा कि उनका मूल्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, और यह परिसमापन मूल्य को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा।हालांकि, अंतिम मूल्य तक पहुंचने के लिए गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के लिए दूसरे मूल्यांकन की आवश्यकता होगी।आर. पी. ने सी. ओ. सी. सदस्यों को अवगत कराया कि आई. आर. पी. द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता दिल्ली में स्थित हैं और वे गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के लिए बहुत अधिक कीमत मांग रहे हैं।इसलिए, आर. पी. लागत को ध्यान में रखते हुए एक स्थानीय मूल्यांकनकर्ता को नियुक्त करेगा।"

ई.

च

आर. पी. ने क्रिसमस की पूर्व संध्या से पहले अगली सी. ओ. सी. बैठक बुलाने का प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की, जो संशोधित समाधान योजनाओं को प्राप्त करने के अधीन है।12.9.मध्यावधि में, न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 23.12.2020 के आदेश द्वारा, कॉर्पोरेट देनदार के सी. आई. आर. पी. को पूरा करने के समय की गणना करते हुए 05.05.2020 और 31.10.2020 के बीच की अवधि को हटाने के लिए आर. पी. द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी; और महामारी की स्थिति के कारण आई. बी. सी. की धारा 12 (2) के संदर्भ में उक्त अवधि को सी. आई. आर. पी. की अवधि से निम्नलिखित शब्दों में बाहर रखाः- ए.

जी.

एच.

801

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

“6. आवेदक के लिए विद्वान वकील द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण को सुना और फाइल पर रखे गए अभिलेखों का अवलोकन किया।वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में सी. आई. आर. पी. केवल 05.05.2020 यानी लॉकडाउन की अवधि के दौरान शुरू की गई थी और इस तरह आवेदक ने 05.05.2020 से 31.10.2020 तक की अवधि को बाहर करने की मांग की है।आवेदक ने जी. ओ. सुश्री संख्या 482, राजस्व और आपदा प्रबंधन (डी. एम.-IV) विभाग, तमिलनाडु सरकार दिनांक 12.09.2020 और जी. ओ. सुश्री संख्या 447, राजस्व और आपदा प्रबंधन (डी. एम.-IV) विभाग, तमिलनाडु सरकार दिनांक 30.08.2020 को रिकॉर्ड पर रखा ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि ऐसे समय के दौरान, जहां बहिष्कार की मांग की गई है, तमिलनाडु सरकार में लॉकडाउन अस्तित्व में था।

ग

7. इसके अलावा, यहां यह ध्यान रखना उचित है कि केंद्र/राज्य सरकार द्वारा लगाए गए परिचर लॉकडाउन के साथ कोविड-19 महामारी के कारण, नियामक अर्थात। आई. बी. बी. आई. ने आई. बी. बी. आई. (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 में एक संशोधन पेश किया है, ताकि लॉकडाउन की अवधि को सी. आई. आर. पी. की समयसीमा से बाहर रखा जा सके।

डी.

आई. बी. बी. आई. (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 40 सी में निम्नानुसार कहा गया हैः

ई.

40 ग**.** समय**-**सीमा से संबंधित विशेष प्रावधान।

इन विनियमों में निहित समय-सीमा के बावजूद, लेकिन संहिता के प्रावधानों के अधीन, कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की अवधि को किसी भी गतिविधि के लिए समय-सीमा के उद्देश्यों के लिए नहीं गिना जाएगा, जो कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में इस तरह के लॉकडाउन के कारण पूरा नहीं हो सका था।

च

8. आवेदक के लिए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने सी. आई. आर. पी. की अवधि से कुल 177 दिनों की अवधि, 05.05.2020 से 31.10.2020 तक को बाहर करने की मांग की। इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों के संबंध में, आई. बी. बी. आई. (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 40 सी को देखते हुए आई.

बी. सी., 2016 की धारा 12 (2) के संदर्भ में आई. डी. 2 से आई. डी 1 तक की अवधि को सी. आई. आर. पी. की अवधि से बाहर रखा गया है।आवेदक इस संबंध में सी. आई. आर. पी. को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेगा -

जी.

एच.

802

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

संहिता के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर निगमित ऋणदाता।तदनुसार, आवेदन की अनुमति है।"

12.9.1.कॉर्पोरेट देनदार के दो इक्विटी शेयरधारकों ने कंपनी अपील (ए. टी.) (सी. एच.) (आई. एन. एस.) में अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश को चुनौती दी। 2021 की संख्या 19 और 2021 की संख्या 20 लेकिन, निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 05.05.2021 पर अपीलों को खारिज कर दिया गयाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“33. .....तत्काल मामले में, भले ही हम पाते हैं कि विनियमन 30-सी को कोविड-19 महामारी द्वारा पैदा की गई अभूतपूर्व स्थिति के कारण 17 9 दिनों के बहिष्कार के लिए लागू किया जा सकता था और कुछ वित्तीय लेनदारों ने ईओआई के निमंत्रण के लिए फॉर्म जी के नए प्रकाशन के लिए राय दी। लेकिन सी. ओ. सी. ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि सी. आई. आर. पी. को पूरा करने के लिए केवल 5 मई 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक के 177 दिनों को अलग रखा जाए। लेकिन सी. ओ. सी. ने अपने व्यावसायिक विवेक के तहत, रुचि की अभिव्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए फॉर्म-जी के नए सिरे से प्रकाशन को प्राथमिकता नहीं दी।इसलिए सी. ओ. सी. का ऐसा निर्णय न्यायोचित नहीं है।

ग

डी.

34. ऊपर बताई गई परिस्थितियों में, हमारी सुविचारित राय है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, और दोनों अपील खारिज किए जाने के योग्य हैं।” 12.10.आई. डी. 1 पर आयोजित सातवीं सी. ओ. सी. बैठक में, आर. पी. ने श्री एम. के. राजगोपालन, संकल्प आवेदक द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना पर संक्षेप में चर्चा की, क्योंकि अन्य सफल संभावित समाधान आवेदक, श्री माधव धीर, एक बार विस्तार दिए जाने के बाद भी अपनी समाधान योजना प्रस्तुत नहीं कर सके, जिनके आगे विस्तार के अनुरोध को सी. ओ. सी. द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और श्री एम. के. राजगोपालन से प्राप्त समाधान योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया था।इस प्रकार प्रस्तुत समाधान योजना पर चर्चा करने के बाद, समाधान आवेदक को सी. ओ. सी. सदस्यों द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को शामिल करने के बाद संशोधित समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया और उन्होंने 30.12.2020 द्वारा ऐसा करने का वादा किया।इसके अलावा, आर. पी. ने सी. ओ. सी. को अवगत कराया कि नियुक्त किए गए तीसरे मूल्यांकनकर्ता ने परिसर का दौरा किया था और गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किया था और 30.12.2020 द्वारा मूल्यांकन का मसौदा प्रस्तुत करने का वादा किया था।

ई.

च

जी.

19 इस निर्णय और दिनांक 05.05.2021 के आदेश में अन्य टिप्पणियां हुई थीं, जिन पर NCLT द्वारा प्रश्नगत समाधान योजना को मंजूरी देते समय भरोसा किया गया है और इन अपीलों में विवाद का एक हिस्सा बना है, जैसा कि बाद में देखा जाएगा।

एच.

803

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

12.11.04.01.2021 पर आयोजित आठवीं सी. ओ. सी. बैठक में, प्रस्ताव आवेदक की संशोधित समाधान योजना प्रस्तुत की गई और सी. ओ. सी. सदस्यों के साथ चर्चा की गई।योजना के विभिन्न पहलुओं पर लंबे विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया कि योजना को 22.01.2021 पर सी. ओ. सी. की बैठक के माध्यम से मतदान के लिए रखा जा सकता है।

12.12.समाधान योजना को मतदान के लिए रखे जाने से ठीक एक दिन पहले, प्रवर्तक और कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व निदेशक-डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर ने संहिता की धारा 12-ए के संदर्भ में एक और ओटीएस प्रस्ताव सीओसी को प्रस्तुत किया। डॉयचे बैंक द्वारा जारी एक तथाकथित "टर्म शीट" दिनांक 22.01.2021 को धन के प्रमाण के रूप में माना गया था।

ग

12.13.हालाँकि, सी. ओ. सी. अपने सामने के एजेंडे पर अडिग रहा और प्रस्ताव आवेदक-श्री एम. के. राजगोपालन द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को 22.01.2021 पर आयोजित नौवीं सी. ओ. सी. बैठक में मतदान के लिए रखा गया।यद्यपि उक्त योजना को बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले वित्तीय लेनदारों के कुल मतदान हिस्से के% के साथ अनुमोदित किया गया था, आरपी को समाधान योजना को समाधान आवेदक को वापस भेजने की आवश्यकता थी क्योंकि कुछ वित्तीय लेनदारों द्वारा असहमति थी और संहिता की धारा 30 (2) के संदर्भ में, असहमत वित्तीय लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में धारा 53 के अनुसार ऐसे लेनदारों को भुगतान की गई राशि से कम नहीं होगी। इसलिए, समाधान आवेदक को समाधान योजना को और संशोधित करने के लिए कहा गया।कार्यसूची मद सं. पर सुसंगत संकल्प। ए. 1.नौवीं सी. ओ. सी. बैठक में, वर्तमान मामले में इसकी प्रासंगिकता को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया हैः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

ई.

“ कार्यसूची मद सं। ए. 1-श्री एम. के. राजगोपालन द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना पर चर्चा करना और उस पर मतदान करना।

च

प्रस्ताव पेशेवर ने सी. ओ. सी. सदस्यों को अवगत कराया कि जैसा कि पिछली सी. ओ. सी. बैठक में निर्णय लिया गया था, श्री एम. के. राजगोपालन द्वारा प्रस्तुत संशोधित समाधान योजना को सी. ओ. सी. सदस्यों की मंजूरी के लिए प्रत्यक्ष मतदान के लिए रखा जाएगा।इसके बाद समाधान पेशेवर ने बैठक में उपस्थित सी. ओ. सी. के प्रत्येक सदस्य से पूछा कि क्या संशोधित समाधान योजना को उनकी मंजूरी है या नहीं और मौखिक मतदान का परिणाम इस प्रकार हैः

जी.

एच.

ग

संशोधित समाधान योजना को बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले वित्तीय लेनदारों के कुल मतदान हिस्से के 87.39% के साथ मंजूरी दी गई थी।चूंकि कुछ वित्तीय लेनदारों द्वारा असहमति थी, इसलिए समाधान पेशेवर समाधान आवेदक को समाधान योजना को आगे के संशोधन के लिए वापस भेज देगा, क्योंकि आईबीसी 2016 की धारा 30 (2) में प्रावधान है कि असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को भुगतान की गई राशि कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में धारा 53 के अनुसार ऐसे लेनदारों को भुगतान की गई राशि से कम नहीं होगी।

डी.

ई.

बैंक ऑफ इंडिया टोक्यो के प्रतिनिधि ने जोर देकर कहा कि उन्होंने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मतदान किया है कि उन्हें उनकी पूरी राशि मिल जाएगी।रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल ने उन्हें और समाधान योजना के पक्ष में मतदान करने वाले अन्य सी. ओ. सी. सदस्यों को आश्वासन दिया कि वित्तीय लेनदारों को सहमति देने के लिए प्रदान की गई राशि में कोई बदलाव नहीं होगा। आर. पी. ने आगे बताया कि आर. ए. ने एक वचन दिया है कि आर. ए. आई. बी. सी. की धारा 30 (2) का पालन करेगा और ऋणदाताओं की सहमति के लिए समाधान योजना में प्रदान की गई राशि में कोई बदलाव नहीं होगा।"

च

जी.

12.14.25.01.2021 पर, समाधान आवेदक ने परिवर्तनों को शामिल करते हुए संशोधित समाधान योजना प्रस्तुत की। उन्होंने एक करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भी जमा की। 01.02.2021 पर समाधान पेशेवर को 25 करोड़।इसके बाद, 03.02.2021 पर, समाधान पेशेवर ए

समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के अनुपालन का विवरण वाला फॉर्म एच अनुपालन प्रमाण पत्र। 12.15.हालांकि, घटनाओं के कालक्रम में, सी. ओ. सी. की उपरोक्त कार्यवाही और आर. पी. द्वारा फॉर्म एच जमा करने के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले की एक महत्वपूर्ण विशेषता बनी हुई है कि नौवीं बैठक में समाधान योजना को मंजूरी देते समय भी, सी. ओ. सी. ने समाधान आवेदक को समाधान योजना को और संशोधित करने के लिए कहा, विशेष रूप से असहमत वित्तीय लेनदारों के संबंध में।समाधान आवेदक ने वास्तव में समाधान योजना को संशोधित किया, लेकिन इस तरह की संशोधित योजना को अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करने से पहले सी. ओ. सी. में नहीं रखा गया था।यह पहलू इन अपीलों में दलीलों का एक हिस्सा बना है और इस संबंध में, प्रस्ताव आवेदक की ओर से यह एक तर्क रहा है कि योजना में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ था और किसी भी मामले में, सी. ओ. सी. की बाद की बैठक में, सी. ओ. सी. द्वारा पहले सुझाए गए परिवर्तनों को शामिल करते हुए संशोधित समाधान योजना को कार्योत्तर मंजूरी दी गई थी। इसमें शामिल मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णय को स्वीकार करने से पहले, हम सी. ओ. सी. की दसवीं बैठक का उल्लेख करें, जो 15.06.2021 पर आयोजित की गई थी, और जहां नवीनतम घटनाक्रमों पर आर. पी. के अपडेट पर सी. ओ. सी. द्वारा ध्यान दिया गया था। दसवीं सी. ओ. सी. बैठक दिनांक 15.06.2021 के कार्यवृत्त का प्रासंगिक भाग नीचे पढ़ा गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

ई.

“ कार्यसूची मद सं। नवीनतम विकास पर समाधान पेशेवर का 1-अद्यतन।

• रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने बैठक में सी. ओ. सी. सदस्यों और अन्य लोगों का स्वागत किया

च

• आर. पी. ने बताया कि आई. डी. 2 पर आयोजित नौवीं सी. ओ. सी. बैठक में समाधान योजना की मंजूरी के बाद, योजना को आर. ए. को संशोधन के लिए रखा गया था ताकि मतदान के आधार पर परिसमापन मूल्य प्रदान किया जा सके और संशोधित समाधान योजना आई. डी. 3 पर प्राप्त हुई थी और इसे आई. डी. 1 पर एन. सी. एल. टी. के पास दाखिल किया गया था।

जी.

• आर. पी. ने पुष्टि की कि उस तारीख से सी. डी. को चालू चिंता के आधार पर रखा गया है, हालांकि अप्रैल 2021 की शुरुआत से गंभीर कोविड लहर के आगमन से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसने सी. डी. के व्यापार और नकदी प्रवाह को प्रभावित किया है।

एच.

• चेन्नई, कोयंबटूर के होटलों और कुंभकोणम रिसॉर्ट में नकदी की निगरानी जारी है।

• आर. पी. ने अद्यतन किया कि कोयम्बटूर होटल में वर्तमान अधिभोग 4 प्रतिशत तक गिर गया जो अब तक का सबसे कम है। वित्त वर्ष 2021 के लिए कारोबार 20 प्रतिशत के नकारात्मक जी. ओ. पी. के साथ लगभग 25 करोड़ है।

12.16.आगे बढ़ने से पहले, एक अन्य सहायक पहलू का भी उपयोगी रूप से उल्लेख किया जा सकता है, जिसने इन अपीलों में विवाद का एक हिस्सा भी बनाया है।यह प्रवर्तक के एक अन्य निपटान प्रस्ताव से संबंधित है।यह देखा गया है कि जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही लंबित थी, तो प्रवर्तक ने फिर से, आई. डी. 1 पर, टी. एफ. सी. आई. को एक निपटान प्रस्ताव प्रस्तुत किया और संहिता की धारा 12-ए के तहत सी. आई. आर. पी. को परिणामी रूप से वापस लेने की मांग की; और सी. ओ. सी. को संबोधित एक सविता आयुर्विज्ञान और तकनीकी विज्ञान संस्थान द्वारा जारी किया गया 'समर्थन पत्र' भी प्रस्तुत किया ताकि वह अपने वापसी प्रस्ताव के समर्थन में अपनी क्षमता और प्रामाणिकता प्रदर्शित कर सके।हालाँकि, उक्त समर्थन को बाद में उक्त सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज के अध्यक्ष श्री वीरायन द्वारा वापस ले लिया गया था।

ग

डी.

13. सी. आई. आर. पी. और सी. ओ. सी. की बैठकों की शुरुआत के साथ-साथ सहायक मामलों के संबंध में बुनियादी पृष्ठभूमि पहलुओं पर ध्यान देने के बाद, अब हम न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णय की जांच कर सकते हैं जिससे आवश्यक विवरणों में प्रश्नगत समाधान योजना को मंजूरी मिल सके।

ई.

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण **(**एन**.** सी**.** एल**.** टी**.)** द्वारा अनुमोदित समाधान योजना

14. जैसा कि देखा गया है, सी. ओ. सी. द्वारा समाधान आवेदक-श्री एम. के. राजगोपालन की समाधान योजना के अनुमोदन पर मतदान हिस्सेदारी के% बहुमत के साथ, 2021 के आई. ए. संख्या 150 वाला आवेदन समाधान योजना के अनुमोदन के लिए निर्णय प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के समक्ष आई. बी. सी. की धारा 30 (6) के तहत समाधान पेशेवर द्वारा दायर किया गया था।14.1.न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही के दौरान, संबंधित पक्ष, प्रवर्तक, एक असफल संभावित समाधान आवेदक और कुछ असुरक्षित वित्तीय लेनदारों द्वारा कई आपत्तियां उठाई गईं।

च

जी.

14.2.समाधान योजना के विरोधियों में से एक समाधान योजना के निलंबित निदेशक/प्रवर्तक थे-डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर-जिन्होंने सी. आई. आर. पी. के संचालन में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 2021 का एम. ए. No.13 दायर किया; सी. आई. आर. पी. ए. के विनियमन 35 (1) (ए) का गैर-अनुपालन।

एच.

विनियमन, कई अन्य प्रक्रियात्मक त्रुटियों के साथ कॉर्पोरेट देनदार की गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मूल्यांकन को पूरा करने में; और सी. ओ. सी. के सदस्यों के अनुरोध पर उसी को संशोधित करने के विकल्प के साथ संहिता की धारा 12-ए के तहत उनके प्रस्ताव पर विचार करने के लिए।

14.3.धरणी फाइनेंस लिमिटेड द्वारा दो आवेदन दायर किए गए थे जिसमें मांग की गई थी कि समाधान पेशेवर को 2021 के एमए No.18 वाले आवेदन में परिचालन लेनदार के रूप में रुपये 1,94,14,024 के अपने दावे को स्वीकार करने का निर्देश दिया जाए; और रु। 2021 के एमए No.48 वाले आवेदन में वित्तीय लेनदार के रूप में रु. 4,81,62,175/-।दोनों आवेदनों में, मांगी गई सामान्य राहत को कॉर्पोरेट देनदार के संबंधित पक्ष के रूप में नहीं माना जाना था और समाधान योजना में भेदभाव नहीं किया जाना था।

ग

15.न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने आवेदनों को खारिज कर दिया और सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना की अनुमति दी। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अपने दिनांकित 15.07.2021 आदेश में की गई टिप्पणियाँ और निष्कर्ष इस प्रकार थेः

15.1.जहां तक परिसंपत्तियों के मूल्यांकन और मूल्यांकन रिपोर्ट से जुड़े प्रश्नों का संबंध है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति और उनके द्वारा संचालित कार्यवाही पर ध्यान देते हुए दूसरी, तीसरी, छठी और सातवीं सी. ओ. सी. बैठकों के कार्यवृत्त का उल्लेख किया।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 27 और 35 को आगे बढ़ाया और उसके बाद, अपना संतोष दर्ज किया कि विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार तीन मूल्यांकनकर्ताओं के औसत के आधार पर आर. पी. उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य पर पहुंच गया था।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने 2021 की कंपनी अपील (ए. टी.) (आई. एन. एस.) संख्या 19 और 20 में एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित आदेश का भी उल्लेख किया और कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला था कि समाधान योजना की राशि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद प्राप्त की गई थी।इस प्रकार, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति में आई. आर. पी. या आर. पी. द्वारा की गई कोई त्रुटि नहीं पाई और आगे पाया कि उन पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन के संबंध में कोई त्रुटि नहीं थी।तदनुसार, मूल्यांकन के संबंध में आपत्तियों को खारिज कर दिया गया।15.1.1.सी. ओ. सी. की बैठकों के प्रासंगिक कार्यवृत्त के व्यापक निष्कर्ष के बाद मूल्यांकन और मूल्यांकन रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नों के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की प्रासंगिक टिप्पणियां और निष्कर्ष इस प्रकार थेः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

ई.

च

जी.

“ (I) मूल्यांकन रिपोर्टः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

***

***

***

एच.

80. वर्तमान मामले में, छठी सी. ओ. सी. बैठक से ऊपर निकाले गए कार्यवृत्त से यह देखा जाता है कि आर. पी. ने सी. ओ. सी. सदस्यों को आगे अवगत कराया कि आई. आर. पी. द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत भूमि और भवन के मूल्य में

महत्वपूर्ण अंतर के कारण, आर. पी. को सी. आई. आर. पी. विनियम, 2016 के विनियमन 35 के प्रावधानों के अनुसार तीसरे मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति करनी थी।तदनुसार, तीसरे मूल्यांकनकर्ता ने आर. पी. के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और तदनुसार समाधान पेशेवर द्वारा कॉर्पोरेट ऋणदाता के संबंध में उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य पर निर्णय लिया गया था।

81. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आर. पी. तीनों मूल्यांकनकर्ताओं के औसत के आधार पर उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य पर पहुंच गया है और यह आई. बी. बी. आई. (आई. आर. पी. सी. पी.) विनियम 2016 के विनियम 35 के अनुसार किया गया है।इसके अलावा, कॉर्पोरेट ऋणदाता के प्रवर्तक/निलंबित निदेशक द्वारा सितंबर 2019 के मूल्यांकन प्रमाण पत्र की कोई प्रासंगिकता नहीं होगी क्योंकि यह आईबीसी, 2016 के तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार नहीं किया गया था।इसके अलावा, आर. पी. जो कंपनी देनदार के मामलों का प्रभारी है, एक बार कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में सी. आई. आर. पी. शुरू हो जाने के बाद, उसे विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना होगा और प्रवर्तकों की सनक और इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं कर सकता है।प्रवर्तक प्रथम द्वारा निलंबित निगमित ऋणदाता के निदेशक द्वारा सितंबर 2019 का मूल्यांकन प्रमाण पत्र पूर्व-कोविड अवधि के दौरान किया गया था और यह उन मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एक पैमाना नहीं हो सकता है जिन्हें आईबीसी, 2016 के प्रावधानों के तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार नियुक्त किया गया है।इसके अलावा, प्रवर्तक I के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील का कॉर्पोरेट ऋणदाता के निदेशक को निलंबित करने का रुख कि सी. आई. आर. पी. कोविड के चरम के दौरान शुरू किया गया था, कोई प्रासंगिकता नहीं होगी क्योंकि उस समय, इस न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए किसी कंपनी के संबंध में सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं था।हालाँकि, यह देखा गया है कि सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आवेदन वित्तीय लेनदार द्वारा वर्ष 2019 में ही दायर किया गया था और उस समय के दौरान भारत में कोविड का कोई मामला नहीं था और मामले की विस्तार से सुनवाई की गई और मार्च 2020 के दौरान आदेश सुरक्षित रखे गए थे।जबकि यह तथ्य है, विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क कि केवल कोविड के कारण वे कॉर्पोरेट देनदार के लेनदारों को निपटाने में सक्षम नहीं थे, बहुत अधिक महत्व नहीं रखता है।हालांकि, ए के रूप में मूल्यांकन

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

809

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

हो सकता है कि मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया गया निर्णय कॉर्पोरेट ऋणदाता के पूर्व प्रवर्तकों/निदेशकों के लिए स्वीकार्य न हो, यह उन्हें प्रत्यक्ष आधार पर इस न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष इसे चुनौती देने का अधिकार नहीं दे सकता है।

82. इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि इस न्यायाधिकरण द्वारा आई. ए./1001/आई. बी./2020 में पारित सी. आई. आर. पी. के बहिष्करण के आदेश के खिलाफ, पूर्ववर्ती प्रवर्तक या कॉर्पोरेट देनदार ने अपने दिनांकित आदेश के माध्यम से माननीय एन. सी. एल. ए. टी. और अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की है।

05.05.2021 2021 की कंपनी अपील (एटी) (इंस) संख्या 19 और 20 में

पैरा 14 और 15 में निगमित ऋणदाता के मूल्यांकन के बारे में विचार करते समय निम्नलिखित माना गया है;

ग

14. उपरोक्त के जवाब में, उत्तरदाताओं के वकील ने तर्क दिया कि संपूर्ण सी. आई. आर. पी. आई. एंड बी कोड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित किया गया था।अपीलार्थी, जिसके पास तीसरे प्रत्यर्थी/निगमित देनदार में कुछ इक्विटी शेयर हैं, केवल दिवाला समाधान प्रक्रिया को विचलित करने और विलंबित करने और समाधान योजना के अनुमोदन को रोकने के लिए वर्तमान अपील दायर करके इस अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष आया है, जिसे ऋणदाताओं की समिति ने 87.34% के बहुमत के साथ मंजूरी दी है, जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित है।

डी.

ई.

15. 1600 करोड़ के निगमित देनदार के मूल्यांकन के बारे में अपीलार्थी का तर्क किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है।तथ्य यह है कि समाधान योजना की राशि संहिता और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आई है

₹

च

(जोर दिया गया)

83. इस प्रकार, माननीय एन. सी. एल. ए. टी. ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि समाधान योजना की राशि संहिता और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद प्राप्त की गई है।

जी.

84. इसलिए ऊपर बताए गए तर्क के लिए, इस न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने पाया कि आई. आर. पी./आर. पी. द्वारा कॉर्पोरेट ऋणदाता के संबंध में पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति में कोई त्रुटि नहीं की गई थी, न ही उन पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे मूल्यांकन में कोई त्रुटि थी और इसके परिणामस्वरूप, मूल्यांकन के संबंध में सभी विरोधियों द्वारा उठाई गई आपत्तियां।

एच.

निगमित देनदार को खारिज कर दिया जाता है।तदनुसार, एमए/13/सीएचई/2021 खारिज कर दिया जाता है।"

15.2.जहां तक प्रवर्तक द्वारा धारा 12-ए आई. बी. सी. के तहत दिए गए प्रस्ताव पर विचार न करने के सवाल का संबंध है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने कॉर्पोरेट ऋणदाता के एक अन्य पूर्व प्रवर्तक द्वारा दिए गए प्रस्ताव का उल्लेख किया, जिस पर सी. ओ. सी. द्वारा अपनी नौवीं बैठक में विचार किया गया था और यह पाया गया कि सी. आई. आर. पी. के मूल आवेदक, यानी टी. एफ. आई. सी. को भी इस तरह के प्रस्ताव के बारे में अंधेरे में रखा गया था।यह भी देखा गया कि डॉयचे बैंक की टर्म शीट के साथ प्रस्ताव भी एक अस्वीकरण के साथ आया था।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने यह राय बनाई कि इस तरह का प्रस्ताव केवल विलंबकारी रणनीति का था और समाधान योजना को रोकने के लिए केवल ग्यारहवें घंटे पर ही पेश किया गया था।इस प्रकार, धारा 12-ए आवेदन पर विचार न करने के बारे में प्रवर्तक के आरोपों को आधारहीन पाया गया और खारिज कर दिया गया।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इस संबंध में निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“ (II) SEC.12A आवेदन के गैर**-**अनुमोदन परः**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

डी.

85. कॉरपोरेट ऋणदाता के पूर्व प्रवर्तक प्रथम निदेशक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. रमन ने तर्क दिया कि समाधान पेशेवर और सी. ओ. सी. ने आई. बी. सी., 2016 की धारा 12 ए के तहत दिए गए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है।इस संबंध में, कुछ संचारों का उल्लेख करना उचित है जो उसी के संबंध में पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए थे।सी. ओ. सी. की 9 वीं बैठक में, जिसमें समाधान योजना पर मतदान होने वाला था, कॉर्पोरेट ऋणदाता के पूर्व प्रवर्तक श्री सेन्नी मलाई ने आर. पी. से आई. बी. सी., 2016 की धारा 12 ए के तहत दायर एक आवेदन पर विचार करने का अनुरोध किया। 9 वीं सी. ओ. सी. बैठक में पाए गए कार्यवृत्त का विवरण नीचे दिया गया है।

ई.

च

“ ..... जैसे ही समाधान योजना का एजेंडा मतदान के लिए रखा जाने वाला था, सीडी के प्रबंध निदेशक श्री सेन्नी मलाई और सीडी का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री कलियानन ने आरपी से उनके द्वारा तैयार किए गए और इस बैठक से लगभग दो घंटे पहले सीओसी को वितरित किए गए वापसी अनुरोध पत्र, धारा 12 ए के बारे में अनुरोध किया।आर. पी. ने उन्हें सूचित किया कि उस पर चर्चा इस एजेंडे का हिस्सा नहीं हो सकती क्योंकि वह आवेदक की ओर से नहीं आई है और यह इस बैठक के एजेंडे का हिस्सा नहीं था।हालांकि, कॉर्पोरेट देनदार के प्रतिनिधि ने जोर देकर कहा कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए।आर. पी. ने कहा कि वह इस ए में टी. एफ. सी. आई. होने के नाते आवेदक की राय लेंगे।

जी.

एच.

811

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

मामला।टी. एफ. सी. आई. के श्री अनूप बाली ने कहा कि वह इस पत्र पर अपनी राय नहीं दे सकते क्योंकि यह सी. ओ. सी. को संबोधित है, जब श्री कालियानन ने कहा कि यह पत्र टी. एफ. सी. आई. के माध्यम से रखा जा रहा है, तो श्री अनूप बाली ने कहा कि इसे नहीं लिया जा सकता क्योंकि यह उचित आवश्यक रूप में नहीं आया है और वह इस पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे और उन्होंने आर. पी. से अनुरोध किया कि वे उस दिन के एजेंडे, समाधान योजना पर मतदान को जारी रखें।श्री सेन्नी मलाई ने अन्य लेनदारों से टिप्पणी करने का अनुरोध किया।आर्यव एक्सपोर्ट्स के श्री अरुण शाह ने कहा कि सी. ओ. सी. इस पर चर्चा कर सकते हैं।हालांकि एस. बी. आई., बैंक ऑफ इंडिया जैसे महत्वपूर्ण मतदान हिस्सेदारी वाले अन्य लेनदारों ने कहा कि हमें एजेंडा पर टिके रहना चाहिए और मुख्य एजेंडे से विचलित नहीं होना चाहिए।आर. पी. ने तब कॉर्पोरेट देनदार के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे एजेंडा मदों को पारित करने की अनुमति दें क्योंकि सी. ओ. सी. का बहुमत इसके पक्ष में है और सी. ओ. सी. को भेजे गए पत्र पर आगे कोई चर्चा नहीं की जा सकती है।

ग

86. उपरोक्त कार्यवृत्त के अवलोकन से पता चलता है कि निगमित ऋणदाता के प्रवर्तक ने केवल 9 वीं सी. ओ. सी. बैठक में 12 ए समझौते का प्रस्ताव दिया था, जब समाधान आवेदक की समाधान योजना पर मतदान होने वाला था।इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि याचिका दायर करने वाला लेनदार अर्थात। भारतीय पर्यटन वित्त निगम (टी. एफ. सी. आई.) को भी प्रवर्तकों द्वारा 12 ए प्रस्ताव के बारे में अंधेरे में रखा गया था और यह कहते हुए एक मुद्दा भी उठाया गया था कि पत्र सी. ओ. सी. को संबोधित किया गया है न कि उन्हें।हालाँकि, यह देखा गया है कि धारा 12 ए के तहत किए जाने वाले प्रस्ताव के उक्त एजेंडे पर सी. ओ. सी. द्वारा विचार नहीं किया गया था और वे संकल्प योजना के पक्ष में मतदान करने के लिए आगे बढ़े।

डी.

ई.

च

87. यह भी देखा गया है कि प्रवर्तक के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा टर्म शीट पर भरोसा किया गया ताकि यह साबित किया जा सके कि उनके पास सी. ओ. सी. के पूरे बकाया का निपटान करने का स्रोत है, यह देखा गया है कि डॉयचे बैंक द्वारा जारी की गई उक्त टर्म शीट दिनांक 22.01.2021 निम्नानुसार एक अस्वीकरण के साथ शुरू होगी;

जी.

"कृपया ध्यान दें कि इस टर्म शीट में निर्धारित शर्तें केवल सांकेतिक हैं और सुविधा के वित्तपोषण के लिए एक प्रस्ताव का गठन नहीं करती हैं।टर्म शीट के नियम और शर्तें परिश्रम, आंतरिक अनुमोदन, क्रेडिट समिति अनुमोदन, सफल सिंडिकेशन, केवाईसी और संतोषजनक प्रलेखन के अधीन रहती हैं।"

एच.

88. इस प्रकार, यह देखा गया है कि धारा 12 ए के तहत प्रवर्तकों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव, कॉर्पोरेट ऋणदाता के संबंध में सी. आई. आर. पी. की प्रक्रिया में देरी करने के लिए केवल एक आंख धोने और एक विलंबकारी रणनीति प्रतीत होती है और यह तथ्य कि प्रस्ताव केवल ग्यारहवें घंटे के दौरान पेश किया गया है, समाधान आवेदक द्वारा पेश की गई समाधान योजना को रोकना है।इसलिए, के लिए।उपरोक्त कारणों से, प्रवर्तकों के आरोप कि उनके धारा 12 ए आवेदन पर आर. पी. द्वारा विचार नहीं किया गया था और सी. ओ. सी. कोई गुण नहीं रखता है और खारिज कर दिया जाता है।"

15.3.जहां तक कथित प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का संबंध है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने पाया कि आपत्तियों का कोई सार नहीं है जहां विरोध करने वाले उनके कारण हुए किसी भी पूर्वाग्रह को स्थापित करने में विफल रहे हैं, जबकि यह भी कहा कि अभ्यास और प्रक्रिया के मामले को विनियमित करने वाले एक वैधानिक प्रावधान को आम तौर पर निर्देशिका के रूप में पढ़ा जाएगा और अनिवार्य नहीं होगा।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने पाया कि प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के संबंध में आपत्तियां इतनी गंभीर नहीं थीं कि समाधान योजना को विफल कर सकें।यह भी देखा गया कि कुछ विरोधियों को, वास्तव में, समाधान योजना में दावा की गई राशि का 100% मिल रहा था और यह संदेह पैदा करता है कि क्या उनके द्वारा आपत्तियां बल्कि प्रेरित थीं।

ग

डी.

15.3.1.प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के प्रश्न के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

"(II) प्रक्रियात्मक अनियमितताएँः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

89. समाधान योजना के संबंध में एक अन्य बड़ी आपत्ति यह थी कि आई. आर. पी. आई. आर. पी. ने उसके तहत बनाई गई समयसीमा का पालन नहीं करके विनियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया है।इस संबंध में, यह देखा जाना चाहिए कि आई. बी. बी. आई. विनियमों के तहत दी गई मॉडल समय-सीमा 180 दिनों की सी. आई. आर. पी. अवधि को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी; हालाँकि कई मामलों में सी. आई. आर. पी. अवधि 330 दिनों से अधिक हो गई है और अभी भी जारी है।

इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि आई. आर. पी. या आर. पी. को नियमों के तहत निर्धारित मॉडल समय-सीमा का सख्ती से पालन करना होगा।उदाहरण के लिए, धारा 43,45 और 50 में पाया गया एक परिहार आवेदन या तो आर. पी. द्वारा या परिसमापक द्वारा दायर किया जा सकता है और परिचर विनियमों के तहत निर्धारित मॉडल समय सीमा में कहा गया है कि इसे टी + 75 दिनों में दायर किया जाना चाहिए।यदि उक्त मॉडल समयसीमा को अनिवार्य माना जाता है तो ए

च

जी.

एच.

813

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

परिहार लेन-देन जो परिसमापक को आवेदन दायर करने का अधिकार देते हैं, उन्हें निरर्थक माना जाएगा।

90. यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, अभ्यास या प्रक्रिया के मामले को विनियमित करने वाले एक वैधानिक प्रावधान को आम तौर पर निर्देशिका के रूप में पढ़ा जाएगा और अनिवार्य नहीं होगा।इस प्रकार, भले ही समाधान योजना के विरोधियों ने सी. ओ. सी. के संबंध में कार्यवाही के संचालन के संबंध में कई प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का आरोप लगाया है; हालाँकि वे विरोध करने वाले यह स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहे हैं कि उनके संबंध में क्या पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।इसके अलावा, एक व्यक्ति जिसे सी. ओ. सी. की छठी बैठक में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, उसे पिछली बैठकों में सी. ओ. सी. द्वारा की गई कार्रवाई पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।हालाँकि, आई. ए./181/सी. एच. ई./2021 और आई. ए./183/सी. एच. ई./2021 में आवेदकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में, यह न्यायाधिकरण योजना के संबंध में उनकी आपत्तियों को समझने में असमर्थ है, विशेष रूप से जब वे समाधान आवेदक द्वारा भुगतान की जाने वाली अपने दावे की राशि का 100% प्राप्त कर रहे हों।इसलिए, यह संदेह पैदा करता है कि क्या विरोध करने वालों द्वारा दायर किए गए ये आवेदन प्रेरित हैं।

ग

डी.

91. इस प्रकार, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के संचालन के संबंध में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के संबंध में विरोधियों द्वारा उठाई गई आपत्तियां, समाधान पेशेवर द्वारा दायर समाधान योजना को विफल करने के लिए इतनी गंभीर नहीं हैं।अतः, उक्त कारणों से, उनके संबंध में विरोधियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया जाता है।तदनुसार, आई. ए./181/सी. एच. ई./2021, आई. ए./183/सी. एच. ई./2021, आई. ए./192/सी. एच. ई./2021, आई. ए./172/सी. एच. ई./2021 और आई. ए./291/सी. एच. ई./2021 खारिज हो गए हैं।"

ई.

15.4.संबंधित पक्ष-धरणी फाइनेंस लिमिटेड-और उसके द्वारा दायर आवेदनों से संबंधित प्रश्नों पर आगे बढ़ते हुए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने संहिता की धारा 21 (2) के संदर्भ में अपनी ओर से प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया कि उसे संबंधित पक्ष के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस तर्क को खारिज करते हुए कहाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

जी.

“93. उक्त प्रावधान के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि, भले ही आवेदक अर्थात। मेसर्स धरणी फाइनेंस लिमिटेड को एक वित्तीय सेवा नियामक द्वारा विनियमित किया जाता है, वे यह स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहे हैं कि उनके कारण ऋण

पूरी तरह से इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय उपकरणों में परिवर्तन या प्रतिस्थापन के कारण देय हो गए हैं।आगे वाक्यांश

एच.

814

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

“निर्धारित किए गए ऐसे लेन-देनों को पूरा करने से भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के लेन-देन बोर्ड द्वारा निर्धारित नहीं किए गए हैं।किसी भी मामले में, इस न्यायाधिकरण का विचार है कि एम. ए./18/सी. एच. ई./2021 और एम. ए./48/सी. एच. ई./2021 में आवेदक कॉर्पोरेट ऋणदाता के संबंध में संबंधित पक्ष हैं और आवेदक को वर्गीकृत करने में आई. आर. पी./आर. पी. का निर्णय अर्थात्। मैसर्स धरणी फाइनेंस लिमिटेड कॉर्पोरेट देनदार के "संबंधित पक्ष" के रूप में सभी कानूनी दुर्बलताओं से मुक्त है और इस न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।तदनुसार, एमए/18/सीएचई/2021 और एमए/48/सीएचई/2021 को खारिज कर दिया जाता है।"

15.4.1.न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने वित्तीय लेनदार-असंबंधित पक्ष की तुलना में वित्तीय लेनदार-संबंधित पक्ष को राशि के वितरण के संबंध में समाधान योजना में भेदभाव के सवाल की भी जांच की।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने सिद्धांतों का उल्लेख किया

ग

इस न्यायालय ने एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाम सतीश कुमार गुप्ता के माध्यम से कहा और

ओआरएस.:(2020) 8 एस. सी. सी. 531 और उन दलीलों को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि संहिता की योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसमें अनिवार्य रूप से असंबंधित पक्ष के साथ समानता में संबंधित पक्ष को भुगतान की आवश्यकता हो।इस संबंध में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी कीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

“(IV) समाधान योजना में प्रतिबंधः**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

ई.

94. विरोध करने वालों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत एक अन्य प्रतिद्वंद्वी तर्क यह था कि वित्तीय लेनदार-संबंधित पक्ष को राशि के वितरण के संबंध में वित्तीय लेनदार-असंबंधित पक्ष की तुलना में भेदभाव था।यह तर्क दिया गया था कि समाधान आवेदक द्वारा कॉर्पोरेट ऋणदाता के संबंधित पक्ष को कोई राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, चाहे वह वित्तीय ऋणदाता हो या परिचालन ऋणदाता।इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिस तरह से राशि का वितरण और भुगतान किया जाना है, वह विशुद्ध रूप से समाधान आवेदक के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसके अलावा सी. ओ. सी. ने अपने व्यावसायिक ज्ञान में इसे स्वीकार किया है।इसके अलावा, आई. बी. सी., 2016 में कोई प्रावधान नहीं है जो यह अनिवार्य करता है कि संबंधित पक्ष को असंबंधित पक्ष के साथ समानता में भुगतान किया जाना चाहिए।...

च

जी.

95. यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब तक संहिता और विनियमों के प्रावधानों को पूरा किया गया है, यह वाणिज्यिक ए है

एच.

815

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

सी. ओ. सी. के अपेक्षित बहुमत का विवेक जो एक समाधान योजना पर बातचीत करना और उसे स्वीकार करना है, जिसमें लेनदारों के विभिन्न वर्गों के लिए अंतर भुगतान शामिल हो सकता है, साथ ही एक संभावित समाधान आवेदक के साथ बेहतर या अलग-अलग शर्तों के लिए बातचीत करना भी शामिल हो सकता है जिसमें विभिन्न वर्गों के लेनदारों के बीच राशि के वितरण में अंतर भी शामिल हो सकता है।

96. इस प्रकार, आक्षेपकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलें कि उनके साथ अंतर व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि वे कॉर्पोरेट ऋणदाता के संबंध में संबंधित पक्ष हैं, उपरोक्त चर्चाओं और उनके समर्थन में निर्दिष्ट निर्णयों को देखते हुए कोई योग्यता नहीं रखते हैं।अतः उक्त मुद्दों के संबंध में विरोधियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया जाता है।"
15.5.न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने लंबित परिहार आवेदन से संबंधित प्रश्न पर भी ध्यान दिया और अपना संतोष दर्ज किया कि परिहार योजना में परिहार आवेदन के भाग्य के बारे में विधिवत प्रावधान किया गया था और इसलिए, उस संबंध में आपत्तियों को टालना आवश्यक था।

ग

डी.

15.6.उपरोक्त के अलावा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अन्य संभावित समाधान आवेदकों में से एक द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर भी विचार किया, लेकिन वर्तमान उद्देश्य के लिए उन पहलुओं को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।16. पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपने निष्कर्षों को दर्ज करने के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण निम्नलिखित तरीके से योजना द्वारा सभी अनिवार्य अनुपालनों के संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज करते हुए समाधान योजना को मंजूरी देने के लिए आगे बढ़ाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

"(V) समाधान योजना की मंजूरी

च

103. इस प्रकार, समाधान योजना के संबंध में उठाई गई सभी आपत्तियों को खारिज करने के बाद, इस न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने जहां तक समाधान योजना के अनुमोदन का संबंध है, आई. बी. सी., 2016 की धारा 30 (6) ने इस न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को समाधान योजना की जांच करने के लिए कुछ कर्तव्य दिए हैं कि क्या योजना उक्त धारा की रूपरेखा के भीतर आती है।इसलिए, आई. बी. सी., 2016 के तहत आवश्यक अनिवार्य अनुपालन की तुलना समाधान योजना में किए गए अनुपालन के साथ की जा रही है।

जी.

एच.

816 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

817

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

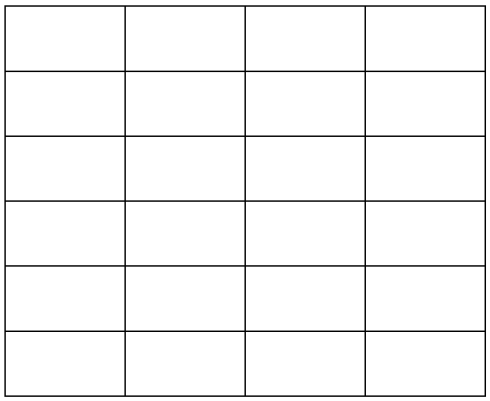

क.

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

17. इसके बाद न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने एस्सार स्टील (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों को संदर्भित किया; के. शशिधर बनाम भारतीय

विदेशी बैंकः**(2019) 12** एससीसी **150;** जेपी केन्सिंगटन बुलेवार्ड अपार्टमेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और ओआरएस**.** वी**.**एनबीसीसी **(**इंडिया**)** लिमिटेड और अन्यः**(2022) 1** एस**.** सी**.** सी**. 401** और महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनामपद्मनाभन वेंकटेश और अन्यः**(2020) 11** संबंध में एस**.** सी**.** सी**. 467**

ये सिद्धांत कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक विवेक पर अपील नहीं करेगा और यह भी कहा कि यह कोई आवश्यकता नहीं है कि समाधान आवेदक की बोली कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन मूल्य से मेल खाती हो।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने समाधान आवेदक द्वारा मांगी गई विभिन्न राहतों/रियायतों के प्रश्नों को भी उचित मंच पर या कानून के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष रखा।

ग

17.1.उपर्युक्त टिप्पणियों और निष्कर्षों के साथ, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने समाधान योजना के अनुमोदन के साथ और निम्नलिखित शर्तों में आगे के निर्देशों के साथ इस मामले पर निष्कर्ष निकालाः- “113. इस प्रकार समाधान योजना को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है और यह निगमित ऋणदाता और इसमें शामिल अन्य हितधारकों के लिए बाध्यकारी है ताकि ऋणदाता कंपनी का पुनरुद्धार तत्काल प्रभाव से लागू हो और आई. बी. सी., 2016 की धारा 14 के तहत लगाए गए "अधिस्थगन" का अब से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।समाधान पेशेवर कार्यवाही शुरू होने के दौरान एकत्र किए गए रिकॉर्ड को अपने रिकॉर्ड के लिए भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और समाधान आवेदक या नए प्रवर्तकों को भी वापस

करेगा।इस आदेश की प्रमाणित प्रति उचित अनुपालन पर संबंधित पक्षों को मांग पर जारी की जाए।इस समाधान योजना के कार्यान्वयन के संबंध में यदि आवश्यक हो तो किसी भी विविध आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।कि नए प्रवर्तकों/समाधान आवेदक द्वारा पूर्ववर्ती कंपनी के स्थान पर कदम रखने और व्यवसाय को संभालने के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू होंगे और इस कारण से इस आदेश की एक प्रति कंपनी पंजीयक, चेन्नई के कार्यालय में प्रस्तुत की जानी है।

डी.

ई.

च

जी.

114. समाधान पेशेवर को समाधान योजना के तहत विचार के अनुसार संचालन शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए समाधान आवेदक को सभी रिकॉर्ड, परिसर/दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया जाता है।समाधान आवेदक ए

एच.

819

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

संचालन शुरू करने के लिए आवश्यक आगे की कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए समाधान पेशेवर के माध्यम से सभी रिकॉर्ड परिसरों/दस्तावेजों तक पहुंच होगी।तदनुसार, आवेदन आई. ए./150/सी. एच. ई./2021 की अनुमति है।अन्य सभी जुड़े हुए अनुप्रयोग, जैसा कि कारण शीर्षक में दिए गए हैं, खारिज कर दिए जाते हैं।"

अपीलीय न्यायाधिकरण **(**एन**.** सी**.** एल**.** ए**.** टी**.)** की अस्वीकृति

18. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार पारित दिनांक 1 के आदेश से व्यथित होने के कारण, समाधान आवेदक की समाधान योजना को मंजूरी देते हुए और इसे कॉर्पोरेट देनदार और अन्य हितधारकों के लिए बाध्यकारी घोषित करते हुए, अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चार अपीलें की गईं, क्रमशः प्रवर्तक डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर, संबंधित पक्ष धरणी फाइनेंस लिमिटेड और एनआरआई शेयरधारक डॉ. वी. जानकीरमन द्वारा, जिनके विवरण कार्यवाही और पक्षों के विवरण में पहले देखे गए हैं।

ग

19. उक्त अपीलों पर एक साथ विचार करने के बाद, अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) ने अपने विवादित निर्णय और दिनांक 17.02.2022 के आदेश द्वारा इसकी अनुमति दी।अपीलीय न्यायाधिकरण ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश को उलट दिया और विचाराधीन समाधान योजना को खारिज करते हुए, समाधान पेशेवर को निर्देश देते हुए मामले को सी. ओ. सी. को भेज दिया, अन्य बातों के साथ-साथ, फॉर्म 'जी' के प्रकाशन के चरण से आगे बढ़ने और सी. आई. आर. पी. विनियमों के अनुसार ई. ओ. आई. को नए सिरे से आमंत्रित करने के लिए।इन अपीलों में उठाए गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक विवरणों में वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक अपीलीय प्राधिकरण की टिप्पणियों, निष्कर्षों और निष्कर्षों पर ध्यान देना उचित होगा। 19.1.जहां तक मूल्यांकन के मुद्दे का संबंध है, अपीलीय न्यायाधिकरण ने संहिता की धारा 30 (2) और 61 (3) की आवश्यकताओं पर चर्चा करने और मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति और परिसंपत्तियों के मूल्यांकन से संबंधित अन्य कानूनी मुद्दों के बारे में दूसरी सी. ओ. सी. बैठक के कार्यवृत्त पर ध्यान देने के बाद कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियमन 27 और 35 का उल्लंघन कर रही थी क्योंकि दिल्ली स्थित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा तमिलनाडु में स्थित संपत्ति का मूल्यांकन दूसरी सी. ओ. सी. बैठक के दौरान विवाद का विषय था; गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का मूल्यांकन पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा नहीं किया गया था; मूल्यांकन रिपोर्ट कभी भी प्रवर्तकों या सी. ओ. सी. के अन्य सदस्यों को वितरित नहीं की गई थी; और परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था।

डी.

ई.

च

जी.

20 यह संकेत दिया जा सकता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय से निष्कर्षण में बोल्ड/इटैलिक/रेखांकित करने पर जोर दिया गया है जैसा कि हमारे सामने रिकॉर्ड पर रखी गई उसकी प्रति में है।

एच.

820

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

निगमित देनदार को सी. ओ. सी. द्वारा नियुक्त दो मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा पूरा नहीं किया गया था।

19.1.1 मूल्यांकन के मुद्दे पर एन. सी. एल. ए. टी. की टिप्पणियों को निम्नानुसार दोहराया जा सकता हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“76..... क्या अनुमोदित समाधान योजना दिवाला की धारा 30 (2) और धारा 61 (3) का उल्लंघन करती है और

बैंकर अप्टसी कोड **2016?**

***

***

***

80. यह उल्लेख करना उचित है कि सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना की मंजूरी सीधे तौर पर इस तथ्य के लिए जिम्मेदार है कि सी. ओ. सी. को कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य के बारे में ठीक से अवगत नहीं कराया गया था।दूसरी सी. ओ. सी. बैठक के बाद से आई. आर. पी. द्वारा मूल्यांकनकर्ताओं की पसंद संदिग्ध रही है।चिंता इस तथ्य से उपजी है कि मूल्यांकनकर्ता दिल्ली में स्थित थे और उन्हें तमिलनाडु में मौजूदा अचल संपत्ति बाजार की स्थितियों के बारे में बहुत कम जानकारी थी।परिस्थितियों को इस तथ्य से और अलग किया गया कि मूल्यांकनकर्ताओं के पास आतिथ्य उद्योग के साथ पर्याप्त अनुभव की कमी थी।इस संबंध में, दूसरी सी. ओ. सी. बैठक के कार्यवृत्त पर ध्यान देना उचित है, जो इस प्रकार हैः

ग

डी.

“इस मोड़ पर सी. ओ. सी. के सदस्यों ने नियुक्त किए गए मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति के संबंध में चिंता जताई है।

ई.

मूल्यांकनकर्ता दिल्ली स्थित हैं और तमिलनाडु के क्षेत्र/संपत्तियों के लिए गोपनीय नहीं हैं और वर्तमान अवधि में यात्रा प्रतिबंधों को देखते हुए तमिलनाडु में स्थित कॉर्पोरेट देनदार के सामूहिक स्थलों पर जाने के लिए भी संघर्ष हो सकता है-- प्रक्रिया मूल्यांकन की क्षमता कम हो सकती है।सी. ओ. सी. के सदस्यों ने अध्यक्ष से प्रोफाइल को एक तुलनात्मक चार्ट में प्रसारित करने का भी अनुरोध किया।सदस्यों को प्रोफाइल/अनुभव का मूल्यांकन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।

च

आतिथ्य उद्योग के संबंध में नियुक्त मूल्यांकनकर्ता।"

जी.

81. सी. ओ. सी. की बैठकों के कार्यवृत्त से यह और स्पष्ट होता है कि आई. आर. पी. द्वारा नियुक्त दो मूल्यांकनकर्ताओं में काफी अंतर है और इसलिए तीसरे मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति की आवश्यकता है।इसके अलावा, आर. पी. ने छठी सी. ओ. सी. बैठक में यह भी स्वीकार किया है कि केवल कॉर्पोरेट ऋणदाता की 'मुख्य परिसंपत्तियों' का मूल्यांकन किया गया था, और 'गैर-मुख्य परिसंपत्तियों' का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है।अतः ए

एच.

821

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

3 आर. डी. मूल्यांकनकर्ता को गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का भी मूल्य निर्धारित करना था।फिर भी, आर. पी., जैसा कि लेनदारों की समिति की छठी बैठक के कार्यवृत्त से स्पष्ट है, ने यह स्पष्ट कर दिया कि कंपनी की गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का मूल्य निर्धारण करने के लिए एक और मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करने की आवश्यकता है, जो नहीं किया गया था।इसलिए गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का मूल्यांकन भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 35 (1) (ए) के अनुपालन में नहीं है।

82. यह इंगित करना उचित है कि लॉकडाउन, संगरोध और यात्रा प्रतिबंधों के कारण, नियुक्त मूल्यांकनकर्ता चेन्नई में या उसके पास मूल्यांकन और उनके एजेंटों का संचालन नहीं कर सके जो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता नहीं हैं और उनकी ओर से अभ्यास करने के लिए विशेषज्ञता की कमी है।इसलिए, पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा परिसंपत्तियों का आगे भौतिक सत्यापन अपरिहार्य है, और प्रत्यर्थी ने सी. ओ. सी. को मूल्यांकन प्रस्तुत करने से पहले वही नोट लिया है। इसके अलावा, 'पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं' के कथित 'सहयोगियों' के विवरण का खुलासा नहीं किया गया है, और सी. ओ. सी. ने न तो उक्त सहयोगी मूल्यांकनकर्ताओं पर विचार किया है और न ही उन्हें मंजूरी दी है।सुविधाजनक रूप से, मूल्यांकन रिपोर्ट का आज तक खुलासा नहीं किया गया है, और केवल मूल्यांकन को सुसमाचार सत्य के रूप में स्वीकार करने की कोशिश की जाती है।इसलिए, सी. ओ. सी. को दिया गया मूल्यांकन भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 35 (1) (ए) का पूरी तरह से उल्लंघन है और कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 8 के विपरीत है।

ग

डी.

ई.

83. इसके अलावा, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सी. ओ. सी. के कई सदस्यों ने मूल्यांकन से संबंधित चिंताओं को उठाया।यहां तक कि सी. ओ. सी. की 7 वीं बैठक में भी इस तथ्य पर चिंता जताई गई थी कि समाधान योजना कॉर्पोरेट ऋणदाता को उस दर पर महत्व देती है जो आई. आर. पी. द्वारा पहले से ही किए गए मामूली मूल्यांकन की तुलना में काफी कम है। इसके अलावा, आर. पी. ने स्वयं उपरोक्त बैठक में उपरोक्त तथ्य को स्वीकार किया।

च

जी.

*** ******

86. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, यह स्पष्ट है कि आई. आर. पी. द्वारा नियुक्त दो मूल्यांकनकर्ताओं ने निगमित देनदार की परिसंपत्तियों का भौतिक रूप से सत्यापन नहीं किया, इसके बावजूद कि सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियमन 35 (1) (ए) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राक्कलनकर्ता का उचित मूल्य और

एच.

822

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

परिसमापन मूल्य की गणना निगमित देनदार की परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के बाद की जाएगी।यह भी पता चलता है कि मूल्यांकन रिपोर्ट कभी भी अपीलार्थी या सी. ओ. सी. के अन्य सदस्यों को प्रसारित नहीं की गई थी। विस्तृत सहायक रिपोर्ट के बिना केवल नग्न मूल्यों का उत्पादन ऋणदाताओं की समिति के वाणिज्यिक ज्ञान को भौतिक रूप से बाधित करेगा।

87. इसके अलावा, विनियमन 27 विनियमन 35 अनिवार्य करता है कि दो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों का मूल्य निर्धारित करते हैं।यह एक स्वीकृत तथ्य है कि समाधान पेशेवर द्वारा नियुक्त दो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं ने निगमित देनदार की गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का मूल्य निर्धारित नहीं किया।हालांकि, विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट को देखते हुए, अपीलार्थी के सी. ओ. सी. के किसी भी सदस्य को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि समाधान पेशेवर द्वारा 'गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों' के रूप में क्या वर्गीकृत किया गया था या इसका मूल्य क्या हो सकता है।ये कॉर्पोरेट ऋण परिसंपत्तियों के उल्लंघन में किए गए घोर वैधानिक उल्लंघन और अनियमितताएं हैं।"

ग

डी.

19.2.अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि व्यवहार और प्रक्रिया के मामले को विनियमित करने वाली वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन चरित्र में अनिवार्य था और न्यायाधिकरण एक क़ानून का निर्माण होने के नाते निम्नलिखित शब्दों में वैधानिक अनुपालन को कम नहीं कर सकता हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“88. हालांकि, विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण/एन. सी. एल. टी.

ई.

यह अवलोकन कि 'अभ्यास या प्रक्रिया के मामले को विनियमित करने वाले एक वैधानिक प्रावधान को आम तौर पर एक निर्देशिका के रूप में पढ़ा जाएगा और अनिवार्य नहीं है**,** गलत है।व्यवहार के मामले को विनियमित करने में वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और

प्रक्रिया अनिवार्य है।’ न्यायाधिकरण कानून का एक सृजन है, और व्याख्या द्वारा, यह वैधानिक अनुपालनों को कमजोर नहीं कर सकता है।” 19.3.सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 36-ए. (2) (iii) के गैर-अनुपालन को ध्यान में रखते हुए, जो दिवालिया होने की शुरुआत की तारीख से जल्द से जल्द और 75 वें दिन के बाद फॉर्म-जी का प्रकाशन अनिवार्य करता है, अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि निर्दिष्ट वेबसाइट पर फॉर्म जी का प्रकाशन आवश्यक था और अनिवार्य रूप से विज्ञापन देने में विफलता का संपत्ति मूल्य के अधिकतमकरण पर सीधा प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से तब जब कोविड-19 महामारी के समय लॉकडाउन के दौरान संपूर्ण सी. आई. आर. पी. का संचालन किया गया था, जब अधिकांश लोग संक्रमण की आशंका के कारण समाचार पत्र पढ़ने से बच रहे थे।इस संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैंः- ए.

च

जी.

एच.

823

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

“89. .....

निगमित व्यक्तियों के लिए आईबीबीआई विनियम**, 2016** के विनियम **36** ए **(2) (iii)** के अनुसार प्रपत्र**-**जी का प्रकाशन न करना।

90. विनियमन 36 ए (2) (iii) के अनुसार, आरपी कॉर्पोरेट ऋणदाताओं और आईबीबीआई वेबसाइटों पर 'फॉर्म-जी' प्रकाशित करेगा।यह सभी संभावित समाधान आवेदकों के लिए पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करेगा।मान लीजिए कि यह आरपी द्वारा नहीं किया गया था। आई. आर. पी. ने फॉर्म-जी को केवल एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया।

91. वास्तव में, 5 वीं सी. ओ. सी. बैठक दिनांक 12.11.2020 में, इस बात पर चर्चा करते हुए कि क्या 'फॉर्म जी' को फिर से प्रकाशित किया जाना चाहिए, वर्तमान आर. पी. ने बताया कि इसे आई. बी. बी. आई. की वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया था, जिससे भविष्य में मुकदमेबाजी हो सकती है।हालांकि, इसके बावजूद 'फॉर्म-जी' को फिर से प्रकाशित करने और नई बोलियां आमंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए।यह एल. डी. द्वारा सी. आई. आर. पी. की अवधि से 05.05.2020 और 31.10.2020 के बीच की अवधि के बहिष्कार के बावजूद किया गया था। न्यायाधिकरण।

ग

डी.

92. आई. बी. सी. के विनियमन 36 ए के गैर-अनुपालन के संबंध में एक याचिका को अपीलार्थी द्वारा एल. डी. के समक्ष योजना पर आपत्ति जताते हुए अपने शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से लिया गया है। न्यायाधिकरण।विवादित आदेश स्वयं दर्ज करता है कि विनियमन 36 ए के गैर-अनुपालन की याचिका उठाई गई थी।

ई.

93. 'फॉर्म-जी' का प्रकाशन न करना परिपत्र सं. आई. बी. बी. आई. द्वारा जारी आई. पी. (सी. आई. आर. पी.)/006/2018 दिनांक 23.02.2018, जो 'फॉर्म-जी' के प्रकाशन के लिए निर्दिष्ट वेबसाइट प्रदान करता है, अर्थात आमंत्रित करता है।rp@ibbi।गव.में।यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य रूप से विज्ञापन देने में विफलता कि अधिक समाधान आवेदक आगे आ सकते हैं, संपत्ति मूल्य के अधिकतमकरण को सीधे प्रभावित करता है।

च

94. 'फॉर्म-जी' के प्रकाशन के बारे में उपरोक्त उल्लंघनों के बावजूद, लर्नड ट्रिब्यूनल ने समाधान योजना को मंजूरी दी है।खंड अपील के पृष्ठों 142-144 पर, उन प्रावधानों की एक सूची निर्धारित की गई है जिनका पालन किया गया है।विनियमन 36 ए में इसका उल्लेख भी नहीं मिलता है।

जी.

*** *** ***

97. इसके अलावा, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि सफल समाधान योजना से संबंधित हस्तक्षेप का दायरा प्रकृति में बेहद सीमित है।चुनौती केवल आई. बी. सी. 2016 की धारा 30 (2) या धारा 61 (3) में दिए गए आधारों के संबंध में हो सकती है।

एच.

ऋणदाताओं की समिति की स्वायत्तता या वाणिज्यिक विवेक की जांच के अलावा अन्य मामलों तक सीमित।

98. यह उल्लेख करना उचित है कि समाधान योजना की मंजूरी के खिलाफ अपील आई. बी. सी. की धारा 61 (3) के तहत आधार पर होगी, अर्थात्, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान अवधि के दौरान समाधान पेशेवर द्वारा शक्तियों के प्रयोग में एक भौतिक अनियमितता हुई है।

99. इसके अलावा, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सी. आई. आर. पी. विनियमों का विनियमन 36 ए इच्छुक और योग्य संभावित समाधान आवेदकों से समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए दिवालिया होने की शुरुआत की तारीख से 75 वें दिन के बाद जल्द से जल्द फॉर्म-जी का प्रकाशन अनिवार्य करता है।

ग

100. उपरोक्त नियामक प्रावधान का पालन न करना स्वीकार किया जाता है।यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि यह पूरा सी. आई. आर. पी. लॉकडाउन के दौरान आयोजित किया गया था जब दुनिया को कोविड-19 महामारी का सामना करना पड़ा था।उस समय, अधिकांश लोग कोविड संक्रमण की आशंका में समाचार पत्र पढ़ने से बचते थे।इसलिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए 'फॉर्म-जी' का प्रकाशन आवश्यक था।यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने महामारी के प्रभाव को देखते हुए संहिता में कुछ संशोधन भी किए हैं।'ई. ओ. आई.' को आमंत्रित करने के बारे में प्रासंगिक विनियमन तैयार संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है।

डी.

ई.

19.4.इसके अलावा, अपीलीय न्यायाधिकरण ने समाधान आवेदक को कंपनी अधिनियम की धारा 164 (2) (बी) के तहत निदेशक के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के कारण और न्यास अधिनियम की धारा 88 के संचालन के कारण भी संहिता की धारा 29-ए (ई) के संदर्भ में समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।

च

19.4.1.जहां तक न्यास अधिनियम के संदर्भ में अयोग्यता का संबंध है, यह अभिनिर्धारित किया गया कि समाधान आवेदक का मामला स्पष्ट रूप से न्यास अधिनियम की धारा 88 के दायरे में आता है, जिससे प्रश्नगत समाधान योजना अवैध हो जाती है क्योंकि न्यास 'श्री बालाजी विद्यापीठ' को पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसमें से समाधान आवेदक प्रबंध न्यासी था जो उसे समाधान योजना के निष्पादन के दौरान अपने अहंकार के रूप में कार्य करने और धारा 88 के तहत वर्जित किसी भी वित्तीय लाभ या लाभ को प्राप्त करने से रोकता था।

जी.

19.4.2.इस पहलू के संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रासंगिक टिप्पणियाँ और निष्कर्ष निम्नानुसार हैंः- ए.

एच.

“101. समाधान आवेदक अयोग्यता यू/एस 29 ए (ई)

कोड।

***

***

***

105. सी. ओ. सी. को केवल यह सूचित किया गया था कि पी. आर. ए. 21 धर्मार्थ न्यासों में से एक इस गतिविधि को करने के लिए अधिकृत नहीं था।हालाँकि, अस्वीकार किया गया न्यास कोई और नहीं बल्कि दूसरा प्रत्यर्थी न्यास था, जिसका नाम 'बालाजी विद्यापीठ' था, जिसका खुलासा कभी भी सी. ओ. सी. को नहीं किया गया था और जिसे जानबूझकर दबा दिया गया था।आई. आर. पी./समाधान पेशेवर को सी. ओ. सी. को सूचित करना चाहिए था कि दूसरे उत्तरदाता ने उक्त न्यास के साथ प्रतिस्पर्धा करके समाधान योजना प्रस्तुत की थी।उन्होंने समाधान योजना में अपनी साख और साख का समर्थन करने के लिए उसी "ट्रस्ट" का उपयोग किया है।समाधान योजना के प्रासंगिक हिस्सों को तैयार संदर्भ के लिए नीचे निकाला गया हैः

ग

“ 3.5.श्री बालाजी विद्यापीठःश्री एम. के. राजगोपालन श्री बालाजी विद्यापीठ के संस्थापक और प्रबंध न्यासी हैं।

डी.

3.10.वित्तीय स्नैपशॉट "

श्री एम. के. राजगोपालन के नेतृत्व में संस्थाएं राष्ट्र और बड़े पैमाने पर जनता की सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए तेजी से बढ़ रही हैं।

ई.

इन संस्थाओं ने एक करोड़ रुपये का कारोबार हासिल किया है। 417.94 वित्त वर्ष में करोड़ 2016-2017; रु। 500.03 वित्त वर्ष में करोड़ 2017-2018; रु। 679.23 वित्त वर्ष में करोड़ 2018-2019 और रु। 860.59 वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए करोड़ (अनुमानित)।

च

उपरोक्त वृद्धि एक सक्षम व्यावसायिक नेता के रूप में आर. ए. की साख और विभिन्न विविध व्यवसायों को प्रबंधित करने और बदलने की उनकी क्षमता का पर्याप्त प्रमाण है।"

106. इसलिए, यह कहना गलत है कि दूसरे उत्तरदाता को धर्मार्थ न्यास से कोई लाभ नहीं मिला है।यह मामला पूरी तरह से भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 88 के दायरे में आता है, और इस तरह, समाधान योजना अवैध है।चूंकि उक्त 'श्री बालाजी विद्यापीठ' को पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया है, इसलिए दूसरा उत्तरदाता इसे लागू करने में अपने अहंकार को बदलने का काम नहीं कर सकता है।

जी.

एच.

21 संभावित समाधान आवेदक।

समाधान योजना और किसी भी वित्तीय लाभ या लाभ को प्राप्त करना भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 88 द्वारा वर्जित है। उक्त प्रावधान तैयार संदर्भ के लिए नीचे निकाला गया है।22

***

***

***

108. यह दावा करना अतार्किक और गलत है कि समाधान योजना का परीक्षण आई. बी. सी., 2016 के प्रावधानों के संदर्भ में किया जा सकता है न कि भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 88 के तहत। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. सी. के प्रावधानों के अनुसार भी, एक समाधान योजना अन्य सभी कानूनों के प्रावधानों द्वारा होगी, और समाधान योजना को देश के कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।इस संबंध में, संहिता की धारा 30 और 61 पर ध्यान देना उचित है, जो इस प्रकार हैः

ग

" धारा 30.समाधान योजना प्रस्तुत करना।–

(2) समाधान पेशेवर अपने द्वारा प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की जांच करेगा ताकि यह पुष्टि की जा सके कि प्रत्येक समाधान योजना -

डी.

(ई) उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।

....

धारा **61.**अपील और अपीलीय प्राधिकरण।**–**

ई.

(3) धारा 31 के तहत समाधान योजना को मंजूरी देने वाले आदेश के खिलाफ अपील निम्नलिखित आधारों पर दायर की जा सकती है, अर्थात्ः—

((i) अनुमोदित समाधान योजना उस समय लागू किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है।**"**

च

109. द्वितीय उत्तरदाता का यह तर्क कि न्यास ने स्वतंत्र रूप से अपने ई. ओ. आई. प्रस्तुत किए थे और दोनों को पता था कि दूसरा अपने ई. ओ. आई. प्रस्तुत कर रहा था, विशुद्ध रूप से शरारतपूर्ण है।मान लीजिए, दूसरा उत्तरदाता उक्त न्यास का प्रबंध निदेशक है, और तथ्य यह है कि दो ईओआई द्वारा प्रस्तुत किए गए थे

जी.

22 "धारा 88.प्रत्ययी द्वारा प्राप्त लाभ।जहां कोई न्यासी, निष्पादक, भागीदार, अभिकर्ता, किसी कंपनी का निदेशक, कानूनी सलाहकार, या किसी अन्य व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए प्रत्ययी चरित्र में बंधा अन्य व्यक्ति, अपने चरित्र का लाभ उठाकर, अपने लिए कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करता है, या जहां इस तरह से बाध्य कोई व्यक्ति उन परिस्थितियों में किसी भी सौदे में प्रवेश करता है जिसमें उसके अपने हित ऐसे अन्य व्यक्ति के हितों के प्रतिकूल होते हैं, या हो सकते हैं और इस तरह वह अपने लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करता है, तो उसे ऐसे अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए इस तरह से प्राप्त लाभ रखना चाहिए।"

एच.

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

दूसरा प्रत्यर्थी, एक अपने लिए और दूसरा न्यास की ओर से।

110. हालाँकि, उक्त तथ्यों को सी. ओ. सी. से दबा दिया गया है, और सी. ओ. सी. के पास इस बात पर विचार करने का अवसर नहीं था कि दूसरे प्रतिवादी ने दो ई. ओ. आई. प्रस्तुत किए थे। इसलिए, यह दावा करना भी गलत है कि दूसरे प्रतिवादी ने आर. एफ. आर. पी. और आई. बी. सी. के प्रावधानों का पालन किया था। दूसरे उत्तरदाता ने भौतिक तथ्यों को दबा दिया और अपनी अयोग्यता और हितों के टकराव के बारे में गलत घोषणाएं कीं।

111. द्वितीय प्रत्यर्थी का यह तर्क कि न्यास को समाधान योजना प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने की स्थिति में हितों का टकराव उत्पन्न होगा, गलत और भ्रामक है।आर. एफ. आर. पी. में कथित 'हितों के टकराव का स्पष्टीकरण' भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 88 के तहत दूसरे प्रतिवादी पर लगाए गए कर्तव्य से मुक्त नहीं होगा। इसके अलावा, यह कहना गलत है कि केवल दो समाधान आवेदकों के बीच हितों का टकराव उत्पन्न हो सकता है।इस तरह की व्याख्या भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 88 के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत है। इसलिए, यह कहना गलत है कि दूसरे उत्तरदाता को धर्मार्थ न्यास से कोई लाभ नहीं मिला है।

ग

डी.

112. यह मामला पूरी तरह से भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 88 के दायरे में आता है, और इस तरह, समाधान योजना अवैध है।चूंकि उक्त 'श्री बालाजी विद्यापीठ' को पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया है, इसलिए दूसरा प्रतिवादी समाधान योजना को लागू करने में अपने अहंकार के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 88 द्वारा किसी भी वित्तीय लाभ या लाभ को प्राप्त करना वर्जित है।

ई.

च

19.4.3.धारा 164 (2) (बी) के तहत अयोग्यता के सवाल पर, अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि श्री एम. के. राजगोपालन इंटरनेशनल एविएशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे, और जैसा कि उक्त कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों से देखा गया है, 2010-2011 से 2017-2018 तक, रु। 12,03,000-उक्त कंपनी द्वारा 'आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि' के रूप में एकत्र किया गया था।अपीलीय न्यायाधिकरण ने आगे ध्यान दिया कि उक्त राशि वापस नहीं की गई थी और इस प्रकार, कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2 (1) (सी) (vii) के स्पष्टीकरण (ए) के संदर्भ में 'जमा' के रूप में माना जाना था, जिसके परिणामस्वरूप, कंपनी अधिनियम की धारा 164 (2) (बी) के संदर्भ में, समाधान आवेदक कार्य करने के लिए अयोग्य हो गया था।

जी.

एच.

किसी भी कंपनी में उस तारीख से पांच साल की अवधि के लिए निदेशक के रूप में जिस दिन उक्त अंतर्राष्ट्रीय विमानन अकादमी प्राइवेट लिमिटेड जमा राशि का भुगतान करने में विफल रही।इस संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण की कुछ प्रासंगिक टिप्पणियों और निष्कर्षों को निम्नलिखित निष्कर्षों में देखा जा सकता हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“117. द्वितीय प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति कभी भी न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष नहीं उठाई गई थी।इस आपत्ति के जवाब में, अपीलार्थी का विद्वान वकील किसी क़ानून के खिलाफ कोई रोक नहीं लगाता है।धारा 61 (3) अपीलीय न्यायाधिकरण को समाधान योजना सहित सी. आई. आर. पी. में अनियमितताओं और अवैधताओं पर सवाल उठाने का अधिकार देती है।समाधान योजना में होने के कारण, ये प्रश्न न्यायिक समीक्षा के अनन्य दायरे में आते हैं।इन आधारों को इस सरल आधार पर विचार से नहीं हटाया जा सकता है कि उन्हें कभी भी एन. सी. एल. टी. के समक्ष नहीं उठाया गया था, क्योंकि जो व्यक्ति एन. सी. एल. टी. के समक्ष नहीं थे, वे भी इस अदालत के समक्ष हैं।

ग

डी.

118. अपीलार्थियों के लिए दूसरे वरिष्ठ वकील ने दूसरे प्रत्यर्थी की अयोग्यता के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 2 की उपरोक्त प्रस्तुतियों के जवाब में तर्क दिया कि दूसरा प्रत्यर्थी मैसर्स इंटरनेशनल एविएशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है, और यह उक्त कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों से देखा जाता है कि 2010-2011 से 2017-2018 की अवधि के लिए Rs.12,03,000/- की राशि 'आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि' के रूप में एकत्र की गई है।

ई.

119. ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त राशि वापस नहीं की गई है और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2 (1) (सी) (vii) के स्पष्टीकरण (ए) के संदर्भ में इसे 'जमा' माना जाएगा।उपरोक्त परिस्थितियों में, कंपनी अधिनियम की धारा 164 (2) (बी) को देखते हुए, दूसरे प्रतिवादी को उस तारीख से पांच साल के लिए किसी भी कंपनी में निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिस दिन उक्त सुश्री इंटरनेशनल एविएशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड 'आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि' के लिए एकत्र की गई जमा राशि का भुगतान करने में विफल रही, जो कुल मिलाकर Rs.12,03,000/है।

च

जी.

120. यह मानते हुए भी कि इन राशियों का भुगतान 2018-2019 के दौरान किया गया है, दूसरे उत्तरदाता को आज तक निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।इस प्रकार, दूसरा उत्तरदाता ए के रूप में कार्य करने के लिए पात्र नहीं है।

एच.

829

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

संहिता की धारा 29-ए (ई) के अनुसार समाधान आवेदक।2011 से 2018 तक के वर्षों के लिए उक्त मैसर्स इंटरनेशनल एविएशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की लेखा परीक्षित बैलेंस शीट। 121.द्वितीय प्रत्यर्थी ने उपरोक्त तथ्यों को दबा दिया है और एक झूठी घोषणा करते हुए समाधान योजना प्रस्तुत की है कि वह किसी भी अयोग्यता से पीड़ित नहीं है।अब, दूसरे प्रत्यर्थी ने दावा किया है कि उक्त मेसर्स इंटरनेशनल एविएशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड को स्वयं आईडी2,03,000/- का भुगतान किया गया था और वह उक्त कंपनी का सदस्य/निदेशक होने के नाते, इस तरह का भुगतान कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014

के नियम 2 (1) (सी) (viii) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 5 दिनांक (आईडी1) के अनुसार 'जमा' के बराबर नहीं होगा।

ग

122. द्वितीय प्रत्यर्थी ने उपरोक्त विवाद का समर्थन करने के लिए कोई भी दस्तावेज दाखिल नहीं करने का फैसला किया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के तहत अपने बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा है।

डी.

123. मान लीजिए कि यह माना जाता है कि दूसरे उत्तरदाता द्वारा उक्त मेसर्स इंटरनेशनल एविएशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड को <आईडी1,3,000/- की राशि का भुगतान किया गया था, तो कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2 (1) (सी) (viii) का आवेदन उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन है, जिनका पालन नहीं किया गया है।इसलिए, यह कहना भ्रामक है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को एक विशिष्ट छूट दी गई है।

ई.

124. इसके अलावा, सामान्य परिपत्र संख्या 5 दिनांक 30.03.2015 के अनुसार, 01.04.2014 के बाद जमा का कोई भी नवीनीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार होगा।इस प्रकार यह पेटेंट है कि Rs.12,03,000/- की उक्त राशि एक जमा है, और इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) (बी) को देखते हुए दूसरे प्रतिवादी को निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

च

125. यह कहना सही है कि आई. आर. पी./आर. पी. को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि क्या अपना ई. ओ. आई. जमा करने वाला समाधान आवेदन संहिता की धारा 29-ए के प्रावधानों के अनुसार पात्र है।जाहिरा तौर पर, मामले में, प्रथम उत्तरदाता ने दूसरे उत्तरदाता की पात्रता को ठीक से सत्यापित नहीं किया है और दूसरे उत्तरदाता द्वारा दी गई झूठी घोषणाओं के आधार पर पूरी तरह से काम किया है।

जी.

एच.

126. हालाँकि, अपीलार्थी सी. आई. आर. पी. और समाधान योजना की वैधता पर सवाल उठाने के अपने अधिकारों के भीतर है।

127. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, यह स्पष्ट है कि दूसरा प्रतिवादी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) (बी) के तहत निदेशक के रूप में अयोग्य है और इसके परिणामस्वरूप धारा 164 (2) (बी) के तहत समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य है। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 का 29 ए (ई)।"

19.5.प्रस्ताव पेशेवर के इस दावे के संबंध में कि नौवीं सी. ओ. सी. बैठक में संशोधित समाधान योजना को मंजूरी दी गई थी, अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रासंगिक कार्यवृत्त की जांच की और कहा कि उक्त बैठक में, समाधान योजना को सी. ओ. सी. प्रस्ताव के आधार पर आगे के संशोधन के लिए समाधान आवेदक को वापस भेज दिया गया था; और प्रस्ताव आवेदक द्वारा दिनांक 25.01.2021 पर प्रस्तुत संशोधित समाधान योजना को सी. ओ. सी. के समक्ष मतदान के लिए रखे बिना सीधे मंजूरी

के लिए एन. सी. एल. टी. में दाखिल किया गया था। अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि संहिता की धारा 30 और 31 की आवश्यकताओं के अनुसार, केवल सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित योजना को अनुमोदन के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था।अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस तरह की प्रक्रियात्मक विफलता एक भौतिक अनियमितता थी, जो प्रक्रिया की अखंडता को कम करती है और समाधान योजना को अमान्य और गैर-कानूनी बनाती है।सी. ओ. सी. द्वारा संशोधित समाधान योजना के अनुमोदन के अभाव के इस मुद्दे के संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण की टिप्पणियों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

ई.

"130. 9 वें सी. ओ. सी. के कार्यवृत्त के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि सी. ओ. सी. ने अंततः 22 जनवरी 2021 को समाधान योजना को मंजूरी नहीं दी।इस बैठक में, सी. ओ. सी. ने सी. ओ. सी. प्रस्ताव के आधार पर आगे के संशोधन के लिए समाधान आवेदक को समाधान योजना वापस भेज दी।25 जनवरी 2021 की इस संशोधित समाधान योजना को कभी भी सी. ओ. सी. के समक्ष अनुमोदन के लिए नहीं भेजा गया था।

च

131. समाधान पेशेवर का यह कथन कि 'संशोधित समाधान योजना को **9** वीं सी**.** ओ**.** सी**.** बैठक में मंजूरी दी गई थी' गलत है।हालाँकि समाधान योजना को कथित रूप से **22** जनवरी **2021** को मंजूरी दी गई थी**,** लेकिन यह संशोधित समाधान योजना नहीं है।इसके बजाय**,** सी**.** ओ**.** सी**.** संकल्प **Dt.22.1.2021** के आधार पर समाधान योजना को और संशोधित किया गया।लेकिन अंतिम संशोधित समाधान योजना**,** दिनांक **25** जनवरी **2021,** को कभी भी सी**.** ओ**.** सी**.** के समक्ष इसकी मंजूरी के लिए नहीं रखा गया।इस प्रकार

जी.

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना का अनुमोदन अनुभाग के अनुपालन में नहीं है। आई एंड बी कोड, 2016 की 31 (1)।

एच.

831

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

132. यह उल्लेख करना उचित है कि सी**.** ओ**.** सी**.** द्वारा समाधान योजना की मंजूरी के बाद संहिता की धारा **30 (2)** के साथ शिकायत करने के लिए समाधान योजना को संशोधित करने की पूरी कवायद समाधान आवेदक के पास छोड़ दी गई थी। **25** जनवरी **2021** की संशोधित समाधान योजना**,** सी**.** ओ**.** सी**.** की आगे की मंजूरी के बिना**,** आर**.** पी**.** द्वारा अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई**,** जिसे अंततः विवादित आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया था।

133. यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण/राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने कहा है कि

विवादित आदेश कि "यह देखा गया है कि अंतिम समाधान योजना को 22 जनवरी 2021 को आयोजित 9 वीं बैठक में सी. ओ. सी. द्वारा विचार के लिए रखा गया था और उक्त प्रस्ताव को 87.39% के भारी बहुमत के साथ मंजूरी दी गई थी।"

ग

134. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि 9 वीं सी. ओ. सी. बैठक में समाधान योजना को मंजूरी नहीं दी गई थी।इसलिए, 9 वीं सी. ओ. सी. बैठक के प्रस्ताव के आधार पर, समाधान योजना को आगे के संशोधन के

लिए समाधान आवेदक को वापस भेजा जाना था।उसके बाद, अंतिम संशोधित समाधान योजना 25 जनवरी 2021 को बनाई गई थी, लेकिन इसे मंजूरी के लिए सी. ओ. सी. के सामने कभी प्रस्तुत नहीं किया गया था।

डी.

ई.

135. "संशोधन" के बाद, संशोधित योजना पर कभी भी मतदान नहीं किया जाता है।इसके बजाय, इसे संशोधित समाधान योजना पर सी. ओ. सी. से किसी भी अनुमोदन के बिना सीधे एन. सी. एल. टी. में दाखिल किया जाता है।धारा 30 (2), 30 (4), 30 (6) और धारा 31 अनिवार्य करती है कि केवल 'सी. ओ. सी.' द्वारा अनुमोदित एक योजना को धारा 31 के तहत अनुमोदन के लिए एन. सी. एल. टी. को प्रस्तुत किया जा सकता है।इस तरह की प्रक्रियात्मक विफलता भौतिक अनियमितता के बराबर होती है और मामले की जड़ तक जाती है, जिससे योजना अमान्य और गैर-कानूनी हो जाती है, क्योंकि यह एक सामान्य कानून है कि जहां कानून किसी विशेष तरीके से किसी काम को करने की अनुमति देता है, अगर ऐसा उस तरीके से नहीं किया जाता है, तो कानून की नजर में ऐसा नहीं है।"

च

19.6.कॉरपोरेट देनदार के प्रवर्तक के धारा 12-ए आई. बी. सी. आवेदन पर विचार न करने के मुद्दे के संबंध में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि निपटान प्रस्ताव पर विचार करना आवश्यक था और निपटान प्रस्ताव को सी. ओ. सी. द्वारा विचार किए बिना खारिज नहीं किया जा सकता था। यह भी माना गया कि सी. ओ. सी. को अपने व्यावसायिक ज्ञान में, समझौते के प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की पूरी स्वतंत्रता थी

जी.

एच.

लेकिन, निपटान प्रस्ताव पर विचार अपरिहार्य था।इस पहलू के संबंध में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“140. पक्षों की दलीलों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि सी. ओ. सी. की बैठक 12 ए आवेदन पर विचार के लिए नहीं बुलाई गई थी।चूँकि 'फॉर्म एफ. ए.' केवल आवेदक वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के बाद प्रस्तुत किया जाना है।

प्रवर्तकों पर विचार किया जाता है, और ऋणदाताओं की समिति के 90 प्रतिशत द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद ही,

आवेदक वित्तीय लेनदार को इसके अनुसार प्रस्ताव दाखिल करना होगा।

फॉर्म एफ. ए. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि समाधान पेशेवर ऐसे असमर्थनीय और सतही आधार पर सी. ओ. सी. की बैठक आयोजित करने के प्रस्ताव की अवहेलना नहीं कर सकता है।

ग

141. ऐसा प्रतीत होता है कि निपटान प्रस्ताव के आधार पर, अपीलकर्ता ने भारतीय वित्तीय लेनदार पर्यटन वित्त निगम को एक पत्र भेजा कि एक निवेशक ने 30 दिनों के भीतर सुरक्षित वित्तीय लेनदारों को पूरी तरह से निपटाने के लिए 350 करोड़ रुपये की राशि डालने की इच्छा व्यक्त की है।यह राशि चालू खाते में जमा की जाएगी।अन्य असुरक्षित वित्तीय लेनदारों, परिचालन लेनदारों और अन्य हितधारकों द्वारा किए गए दावों के संबंध में, उनके साथ चर्चा के बाद और कंपनी के संचालन से धन के उत्पादन के बाद इसका निपटारा किया जाएगा।इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी ने समझौते को स्वीकार करने का अनुरोध

किया ताकि 12 ए आवेदन को एन. सी. एल. टी. के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। डॉयचे बैंक की टर्म शीट को भी निपटान प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया था।142. यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि जब अपील दायर की गई थी, तो अपील स्वीकार करने की पहली तारीख, यानी 30 जुलाई 2021 को, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अदालत में एक बयान दिया कि अपीलार्थी 450 करोड़ रुपये जमा करेगा।इसलिए, उसे 2 या 3 दिनों की आवश्यकता है।चूंकि समाधान योजनाओं की कुल राशि 423 करोड़ रुपये थी, इसलिए अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि निगमित देनदार की परिसंपत्तियों का मूल्य 1600 करोड़ रुपये से अधिक है।यह भी तर्क दिया जाता है कि 12 ए आवेदन लंबित था, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया और मतदान नहीं किया गया।अपीलार्थी की सभी स्थितियों और ईमानदारी पर विचार करते हुए, इस अपीलीय न्यायाधिकरण ने विवादित आदेश को लागू करने पर अंतरिम रोक लगा दी।

डी.

ई.

च

जी.

143. पक्षों की दलीलों के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि एक निपटान प्रस्ताव दिया गया था, और सी. ओ. सी. के 90 प्रतिशत सदस्यों की सहमति प्राप्त करने के बाद एक 12 ए आवेदन प्रस्तुत किया जाना था।

एच.

इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी ने सी. ओ. सी. में निपटान प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया। हालाँकि, निपटान प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सी. ओ. सी. को कभी नहीं बुलाया गया।समाधान पेशेवर ने तर्क दिया है कि सी. ओ. सी. ने अपनी 9 वीं बैठक में निपटान प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।यह बयान भी 9 वीं सी. ओ. सी. बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार नहीं है।9 वीं सी. ओ. सी. के कार्यवृत्त से ऐसा प्रतीत होता है कि उस बैठक में केवल एक समाधान योजना पर चर्चा की गई थी।उसके बाद, सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना को पुनर्विचार और संशोधन के लिए समाधान आवेदक को वापस भेज दिया गया।सी. ओ. सी. की 9 बैठकों में, निपटान प्रस्ताव के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई।यह उल्लेख करना आवश्यक है कि याचिका को स्वीकार करने और लेनदारों की समिति के गठन के बाद, वापसी के लिए धारा 12 ए आवेदन केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है जब सी. ओ. सी. 90 प्रतिशत वोट शेयर के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दे।यह निर्विवाद है कि सी. ओ. सी. को अपने व्यावसायिक विवेक के तहत समझौते के प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की पूरी स्वतंत्रता थी।लेकिन निपटान प्रस्ताव पर विचार करना आवश्यक है।इस मोड़ पर, यह न्यायाधिकरण शाजी पुरुसोथमन बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य (एम. ए. एन. यू./एन. एल./0438/2019 में सूचित) के बीच 6 सितंबर 2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) (आई. एन. एस.) No.91 में इस न्यायाधिकरण की माननीय 3 सदस्यीय पीठ के फैसले को "याद करता है और याद करता है" जिसके तहत और जिसके तहत पैराग्राफ 9 में यह देखा गया है कि;

ग

डी.

ई.

“ यदि अपीलार्थी द्वारा धारा 12 क के तहत कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो लेनदारों की समिति यह निर्णय ले सकती है कि क्या अपीलार्थी द्वारा धारा 12 क के संदर्भ में निपटारे के लिए दिया गया प्रस्ताव उसके द्वारा अनुमोदित समाधान योजना से बेहतर है, और उचित आदेश पारित कर सकती है।हालाँकि, चूंकि इस तरह का निर्णय "लेनदारों की समिति" द्वारा लिया जाना आवश्यक है, हम उस पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं।"

च

144. इस मामले में, सी. ओ. सी. ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत निपटान प्रस्ताव पर कभी विचार नहीं किया।हालाँकि, समाधान प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद, समाधान प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेशेवर पर सी. ओ. सी. की बैठक बुलाना अनिवार्य था।यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सी. ओ. सी. द्वारा विचार किए बिना निपटान प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था।

जी.

19.7.संबंधित पक्ष और असंबंधित पक्ष के दावों के बीच भेदभाव के सवाल के संबंध में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने फीनिक्स एआरसी (पी) लिमिटेड बनाम स्पेड मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए

एच.

वित्तीय सेवा लिमिटेड और अन्यः(2021) 3 एस. सी. सी. 475 ने देखा कि

‘संबंधित पक्ष 'को विशेष रूप से अपने लिए एक वर्ग के रूप में माना जाता था और उसे किसी भी क्षमता (धारा 21 आई. बी. सी. के तहत) में सी. आई. आर. पी. में किसी भी तरह की भागीदारी से प्रतिबंधित किया गया था और समाधान आवेदक (धारा 29-ए आई. बी. सी. के तहत) होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि सी. आई. आर. पी. में किसी संबंधित पक्ष की भागीदारी को कॉर्पोरेट देनदार को अनुचित लाभ देने के रूप में देखा जाता है और वास्तव में, संबंधित पक्ष के साथ उसी वर्ग में व्यवहार किया जाता है जैसा कि कॉर्पोरेट देनदार के साथ किया जाता है।इसलिए, अपीलीय न्यायाधिकरण के अनुसार, एक 'संबंधित पक्ष' को एक असंबंधित पक्ष से स्वतंत्र एक अलग वर्ग के रूप में माना जा सकता है और इसे प्रवर्तकों के साथ इक्विटी शेयरधारकों या भागीदारों के रूप में माना जाना चाहिए।एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के साथ-साथ इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर चर्चा करने के बाद, संबंधित पक्ष और असंबंधित पक्ष की स्थिति के संबंध में, अपीलीय प्राधिकरण ने कहा कि संबंधित पक्ष के वित्तीय या परिचालन लेनदार के साथ समाधान योजना के तहत भेदभाव नहीं किया जा सकता है, केवल एक संबंधित पक्ष होने के कारण समाधान योजना के तहत भुगतान प्राप्त करने के उनके अधिकार से इनकार किया जा सकता है।अपीलीय न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः--प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

“149. आई. बी. सी., 2016 के तहत, असंबंधित और संबंधित पक्षों के साथ समान व्यवहार करने का कोई आदेश नहीं है। इसके विपरीत, आई. बी. सी. और उसके तहत विनियम विशेष रूप से 'संबंधित पक्ष' को अपने लिए एक वर्ग के रूप में मानते हैं और किसी भी स्थिति में 'संबंधित पक्ष' की भागीदारी को प्रतिबंधित करते हैं जहां सी. आई. आर. पी. के प्रभावित होने की संभावना है।जैसा कि फीनिक्स ए. आर. सी. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाहरी लेनदार सी. आई. आर. पी. का संचालन करें। निम्नलिखित वैधानिक प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि संबंधित पक्ष अपने आप में एक वर्ग है।तदनुसार,

ई.

एक संबंधित पक्ष को सी. आई. आर. पी. में निम्नलिखित क्षमताओं में से किसी में कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया हैः

च

जी.

एच.

835

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

150. अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि सी. आई. आर. पी. में किसी भी क्षमता में संबंधित पक्ष की भागीदारी को कॉर्पोरेट देनदार को अनुचित लाभ देने के रूप में देखा जाता है।संक्षेप में, एक संबंधित पक्ष के साथ उसी वर्ग में व्यवहार किया जाता है जैसा कि स्वयं कॉर्पोरेट देनदार के साथ किया जाता है।

151. इसलिए, एक अलग वर्ग के रूप में यह वैधानिक मान्यता एक समाधान योजना पर भी लागू होगी जब सी. ओ. सी. यह तय करता है कि क्या अपने व्यावसायिक ज्ञान में, उसे किसी संबंधित पक्ष को बिल्कुल भी भुगतान करना चाहिए क्योंकि इसका मतलब उन्हीं व्यक्तियों को भुगतान करना होगा जो कॉर्पोरेट देनदार के पीछे हैं।

***

***

***

ग

157. इस प्रकार, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक 'संबंधित पार्टी' को एक असंबंधित पार्टी से स्वतंत्र एक अलग वर्ग के रूप में माना जा सकता है।इस तरह के 'संबंधित पक्ष' को प्रवर्तकों के साथ 'इक्विटी शेयरधारकों' के रूप में भागीदारों के रूप में माना जाना चाहिए।

***

***

***

डी.

162. अनुमोदित समाधान योजना के तत्काल मामले में संबंधित पक्ष असुरक्षित वित्तीय लेनदार और अन्य असुरक्षित वित्तीय लेनदारों, इसी तरह संबंधित पक्ष परिचालन लेनदारों और अन्य परिचालन लेनदारों के बीच भेदभाव किया जाता है।अपीलार्थी का तर्क है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता खंड को देखते हुए उसके दावे को एक असंबंधित परिचालन/वित्तीय लेनदार के समान माना जाना चाहिए।

ई.

***

***

***

171. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सी. ओ. सी. में तोड़फोड़ से बचने के लिए संबंधित पक्षों को सी. ओ. सी. में भाग लेने से रोक दिया गया है। इसके विपरीत, संबंधित पक्ष द्वारा उनके स्वीकृत दावों के आधार पर दायर किए गए दावे ने सी. आई. आर. पी. को प्रभावित किया होगा यदि उन्हें सी. ओ. सी. में भाग लेने की अनुमति दी गई होती। सी. आई. आर. पी. के पूरा होने के बाद और समाधान योजना की मंजूरी के बाद, यदि संबंधित पक्ष के वित्तीय या परिचालन लेनदारों को कोई राशि आवंटित की जाती है, तो इसका सी. आई. आर. पी. पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

च

जी.

172. यह इंगित करना भी आवश्यक है कि कोड एक स्व-निहित कोड है।इसलिए, कोई भी प्रावधान जो संबंधित-पक्ष वित्तीय या परिचालन लेनदार कार्यों को प्रतिबंधित करता है, कोड में कहा गया है।इस प्रकार, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण/एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. संबंधित पक्ष के वित्तीय या परिचालन लेनदारों के अधिकारों को और सीमित नहीं कर सकता है।

एच.

व्याख्या।इसके अलावा, विभिन्न स्थानों पर संहिता और विनियमन के तहत सी. आई. आर. पी. के तहत संबंधित पक्ष के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।इसलिए, व्याख्या के माध्यम से इसके दायरे को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

173. इस प्रकार**,** यह स्पष्ट है कि आई**.** बी**.** सी**.** संबंधित पक्षों को निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए एक अलग श्रेणी के रूप में मानता है**,** धारा **21** के तहत सी**.** ओ**.** सी**.** को छोड़कर और उन्हें धारा **29** ए के तहत समाधान आवेदक होने से अयोग्य ठहराता है। हालाँकि**,** आई**.** बी**.** सी**.** संबंधित पार्टी को किसी अन्य उद्देश्य के लिए एक अलग वर्ग के रूप में नहीं मानता है।इसलिए**,** वर्गीकरण और उप**-**वर्गीकरण को प्राप्त करने के लिए इच्छित वस्तु के बीच किसी भी वर्गीकरण के लिए एक तर्कसंगत संबंध मौजूद होना चाहिए।इसलिए**,** संबंधित पक्ष के वित्तीय या परिचालन लेनदार के साथ समाधान योजना के तहत भेदभाव नहीं किया जा सकता है**,** केवल एक संबंधित पक्ष होने पर समाधान योजना के तहत भुगतान प्राप्त करने के उनके अधिकार से इनकार किया जा सकता है।यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समाधान योजना के तहत केवल भुगतान प्राप्त करके**,** संबंधित पक्ष के लेनदार किसी भी तरह से सी**.** आई**.** आर**.** पी**.** में तोड़फोड़ नहीं कर सकते।

ग

डी.

19.8.अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने निष्कर्षों पर समापन करते हुए और ऊपर देखे गए मुद्दों सहित कई मुद्दों पर अपनी टिप्पणियों को दोहराते हुए कहा कि पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ आरपी के शुल्क में वृद्धि सीओसी का विवेकपूर्ण निर्णय नहीं था; सीओसी की मंजूरी के बिना न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष समाधान योजना प्रस्तुत करने के आरपी के निर्णय पर प्रभाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।अपीलीय न्यायाधिकरण ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को इन कारणों से अस्वीकार कर दिया:(क) एक वैध और सटीक मूल्यांकन रिपोर्ट का अस्तित्व सी. ओ. सी. के लिए अपने वाणिज्यिक विवेक का प्रयोग करने और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अवलोकन के लिए एक अनिवार्य शर्त थी कि सी. आई. आर. पी.

विनियमों का विनियमन 35 सी. ओ. सी. के सदस्यों से गोपनीयता उपक्रम प्राप्त करने पर केवल उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य के आंकड़ों को साझा करने पर विचार करता है; (ख) अभ्यास और प्रक्रिया के मामले को विनियमित करने में वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन अनिवार्य था और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का अवलोकन कि अभ्यास या प्रक्रिया के मामले को विनियमित करने वाले वैधानिक प्रावधान को आम तौर पर निर्देशिका के रूप में माना जाएगा और अनिवार्य नहीं था; (ग) ई. ओ. आई. को आमंत्रित करते हुए प्रपत्र जी. के नोटिसों का प्रकाशन न करना, समाधान पेशेवर द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने में एक भौतिक अनियमितता थी।

ई.

च

जी.

एच.

837

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

संहिता की धारा 30 (2) और 30 (3) का उल्लंघन करते हुए अनुमोदन के लिए सी. ओ. सी. के समक्ष रखे बिना प्राधिकरण का न्यायनिर्णयन करना और इस तरह पूरे सी. आई. आर. पी. को दूषित करना और समाधान योजना को शून्य के रूप में प्रस्तुत करना; और (च) संबंधित पक्ष के वित्तीय या परिचालन लेनदार को केवल संबंधित पक्ष होने पर समाधान योजना के तहत भुगतान प्राप्त करने के उनके अधिकार से वंचित करके भेदभाव नहीं किया जा सकता था।

19.9.अपीलीय न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित शब्दों में अपने निष्कर्ष दर्ज किएः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“ निष्कर्ष

174. पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ आरपी शुल्क में वृद्धि को सीओसी का विवेकपूर्ण निर्णय नहीं माना जा सकता है।सी. ओ. सी. की मंजूरी के बिना भी, अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष समाधान योजना प्रस्तुत करने के आर. पी. के निर्णय पर प्रभाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करना संहिता की धारा 30 (2) और (3) के वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता है और इसने पूरे सी. आई. आर. पी. को दूषित कर दिया है और समाधान योजना को शुरुआत से ही शून्य बना दिया है।

ग

डी.

175. इसके अलावा, प्राधिकरण का यह अवलोकन कि आई. बी. बी. आई. (आई. आर. पी. सी. पी.) विनियम 2016 का विनियम 35 सी. ओ. सी. के सदस्यों से गोपनीयता उपक्रम प्राप्त करने पर केवल उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य के आंकड़ों को साझा करने पर विचार करता है, गलत है।यह पता लगाना भी गलत है कि चूंकि प्रवर्तक सी. ओ. सी. का सदस्य नहीं है, इसलिए मूल्यों को प्रवर्तक के साथ साझा किया गया था और आर. पी. के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट साझा करने के लिए कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है।

ई.

च

176. एक विस्तृत रिपोर्ट के बिना केवल नग्न मूल्यों से युक्त मूल्यांकन मान्य नहीं है।यह एक तय प्रस्ताव है कि मूल्यांकन अभ्यास सी. ओ. सी. की निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए आयोजित किया जाता है।इसलिए, सी. ओ. सी. के लिए अपने व्यावसायिक ज्ञान का प्रयोग करने के लिए एक वैध और सटीक मूल्यांकन रिपोर्ट का अस्तित्व अनिवार्य है।

उपरोक्त लोगों के लिए एक स्वाभाविक अनुक्रम यह होगा कि सी. ओ. सी. के लिए अपने व्यावसायिक ज्ञान का निष्पक्ष रूप से प्रयोग करने के लिए एक विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट आवश्यक है।

जी.

177. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का अवलोकन कि एक वैधानिक

अभ्यास या प्रक्रिया के मामले को विनियमित करने वाला प्रावधान

एच.

आम तौर पर एक निर्देशिका के रूप में पढ़ा जाता है और अनिवार्य नहीं होना गलत है।अभ्यास और प्रक्रिया के मामले को विनियमित करने में वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन

अनिवार्य है।न्यायाधिकरण कानून का एक सृजन है**,** और व्याख्या द्वारा**,** यह वैधानिक अनुपालनों को कमजोर नहीं कर सकता है।

178. इसके अलावा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का यह अवलोकन कि सी. ओ. सी. के संबंध में कार्यवाही के संचालन के संबंध में प्रक्रियात्मक अनियमितताएं तब भी महत्वपूर्ण नहीं होंगी जब विरोध करने वाले उसी के संबंध में उनके कारण हुए पूर्वाग्रह को स्थापित करने में विफल रहे।

179. सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 36 (2) में निगमित ऋणदाता की वेबसाइट और इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा नामित वेबसाइट पर 'फॉर्म-जी' के प्रकाशन के लिए अनिवार्य शर्त प्रदान की गई है।फॉर्म जी के नोटिसों का गैर-प्रकाशन कॉर्पोरेट दिवाला समाधान अवधि के दौरान समाधान पेशेवर द्वारा शक्तियों के प्रयोग में एक भौतिक अनियमितता है।तत्काल मामले में, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान समाधान पेशेवर द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने में एक भौतिक अनियमितता हुई है।

ग

डी.

180. चूंकि उक्त न्यास (संभावित समाधान आवेदक) 'श्री बालाजी विद्यापीठ' को पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया है, इसलिए दूसरे प्रत्यर्थी (एस. आर. ए.) को समाधान योजना को लागू करने में अपने अहंकार के विपरीत कार्य करने और कोई वित्तीय लाभ या लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 88 द्वारा वर्जित है।

ई.

181. समाधान पेशेवर ने गलत बयान दिया कि संशोधित समाधान योजना को 9 वीं सी. ओ. सी. बैठक में मंजूरी दी गई थी। संशोधित समाधान योजना को 22 जनवरी 2021 को मंजूरी नहीं दी गई थी।22 जनवरी 2021 के बाद, सी. ओ. सी. संकल्प Dt.22.1.2021 के आधार पर, समाधान योजना को और संशोधित किया गया, और 25 जनवरी 2021 की अंतिम संशोधित समाधान योजना को कभी भी सी. ओ. सी. के समक्ष अनुमोदन के लिए नहीं रखा गया।इस प्रकार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन को धारा के तहत वैध नहीं माना जा सकता है। आई एंड बी कोड, 2016 की 31 (1)।

च

जी.

182. हालाँकि, आई. बी. सी. संबंधित पार्टी को किसी अन्य उद्देश्य के लिए एक अलग वर्ग के रूप में नहीं मानता है।इसलिए, ए प्राप्त करने के लिए मांगी गई वस्तु के बीच किसी भी वर्गीकरण के लिए एक तर्कसंगत संबंध मौजूद होना चाहिए।

वर्गीकरण और उप-वर्गीकरण।इसलिए, संबंधित पक्ष के वित्तीय या परिचालन लेनदार के साथ समाधान योजना के तहत केवल संबंधित पक्ष होने पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

183. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, यह स्पष्ट है कि आई. बी. सी. संबंधित पक्षों को धारा 21 के तहत सी. ओ. सी. को छोड़कर निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए एक अलग श्रेणी के रूप में मानता है और उन्हें धारा 29 ए के तहत समाधान आवेदक होने से अयोग्य ठहराता है। हालाँकि, आई. बी. सी. संबंधित पार्टी को किसी अन्य उद्देश्य के लिए एक अलग वर्ग के रूप में नहीं मानता है।इसलिए, वर्गीकरण और उप-वर्गीकरण को प्राप्त करने के लिए इच्छित वस्तु के बीच किसी भी वर्गीकरण के लिए एक तर्कसंगत संबंध मौजूद होना चाहिए।

ग

184. इसलिए, संबंधित पक्ष के वित्तीय या परिचालन लेनदार के साथ समाधान योजना के तहत भेदभाव नहीं किया जा सकता है, केवल एक संबंधित पक्ष होने पर समाधान योजना के तहत भुगतान प्राप्त करने के उनके अधिकार से इनकार किया जा सकता है।यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समाधान योजना के तहत केवल भुगतान प्राप्त करके, संबंधित पक्ष के लेनदार किसी भी तरह से सी. आई. आर. पी. में तोड़फोड़ नहीं कर सकते।

डी.

185. उपरोक्त चर्चा के आधार पर**,** यह स्पष्ट है कि अनुमोदित समाधान योजना दिवाला और दिवालियापन संहिता **2016** की धारा **30 (2)** का उल्लंघन है**,** जो कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करती है।**"**

ई.

20. इसलिए, अपीलीय प्राधिकरण ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को अलग कर दिया; समाधान पेशेवर को सी. आई. आर. पी. विनियमों के अनुसार नए सिरे से ई. ओ. आई. आमंत्रित करने के लिए फॉर्म जी के प्रकाशन चरण से सी. आई. आर. पी. के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया और आगे सी. ओ. सी. के समक्ष विचार के लिए प्रवर्तक के निपटान प्रस्ताव को रखा; और यह आदेश दिया कि संबंधित पक्ष के वित्तीय/परिचालन लेनदारों के दावे में असंबंधित वित्तीय/परिचालन लेनदारों से भेदभाव नहीं किया जाए।

च

इस न्यायालय में कार्यवाही

21. अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय और दिनांक 1 के आदेश से व्यथित होकर, इस न्यायालय के समक्ष आठ अपील दायर की गई हैं।जैसा कि देखा गया है, एक उप-समूह समाधान आवेदक द्वारा दायर चार अपीलों का है और दूसरा उप-समूह समाधान पेशेवर द्वारा प्रवर्तक और कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व निदेशक, संबंधित वित्तीय और परिचालन लेनदार के खिलाफ और एनआरआई शेयरधारक और कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व निदेशक के खिलाफ दायर चार अपीलों का है।विवरण.

जी.

जिन पर कार्यवाही और पक्षों के विवरणों में पहले भी ध्यान दिया गया है।

22. इस न्यायालय में कार्यवाही के अभिलेख से कुछ प्रासंगिक पहलुओं का उल्लेख करना सार्थक होगा।

22.1.07.03.2022 पर, इस न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए 2022 की <ID2,2022 की 1759,2022 की 1756,2022 की 1757,2022 की 1807 संख्या वाली दीवानी अपीलें बुलाई गईं।सुनवाई के दौरान, प्रस्ताव आवेदक के वकील और चुनाव लड़ने वाले पक्षों के वकील को सुना गया, लेकिन समाधान पेशेवर के वकील की दलीलें अनिर्णायक रहीं और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 11.03.2022 पर भेज दिया गया।प्रस्तुतियों के दौरान यह भी बताया गया कि समाधान आवेदक ने डॉ. वी. जानकीरमन और धरणी फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ क्रमशः 2022 की संख्या 1810 और 2022 की संख्या 1827 वाली दो अन्य दीवानी अपीलें दायर की हैं।उक्त अपीलों को 11.03.2022 पर मामलों के इस समूह के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था।इसके अलावा, समाधान पेशेवर के विद्वान वकील ने इस अदालत के समक्ष 03.03.2022 पर आयोजित ग्यारहवीं सी. ओ. सी. बैठक के कार्यवृत्त को भी रखा, जिसे उचित हलफनामे के साथ रजिस्ट्री में दाखिल करने का आदेश दिया गया था।बाद में, आर. पी. ने ग्यारहवीं सी. ओ. सी. बैठक के कार्यवृत्त के साथ-साथ दसवीं सी. ओ. सी. बैठक और शपथ पत्र के साथ अन्य दस्तावेज भी दाखिल किए।सी. ओ. सी. की इन और बाद की अन्य बैठकों का विवरण इस निर्णय के अगले खंड में दिया गया है।22.2.16.03.2022 पर, संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों के साथ सुनने के बाद, निर्णय सुरक्षित रखा गया था और पक्षों के विद्वान वकील को 22.03.2022 द्वारा अपनी प्रस्तुतियों पर अपना नोट/अतिरिक्त नोट्स दाखिल करने के लिए समय दिया गया था।प्रस्तुतियों के दौरान आगे यह उल्लेख किया गया कि अपीलीय प्राधिकरण के दिनांकित 17.02.2022 के विवादित आदेश के अनुसार, सी. ओ. सी. की बैठक 03.03.2022 पर हुई थी और एक और बैठक 21.03.2022 के लिए निर्धारित की गई थी।इस निवेदन के संबंध में, परिस्थितियों की समग्रता में, इस न्यायालय ने इन अपीलों में पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों के अधीन, सी. ओ. सी. की बैठकों/कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना उचित समझा।

ग

डी.

ई.

च

जी.

23. हालाँकि, समाधान आवेदक के विद्वान वकील ने 14.05.2022 पर इस मामले में उचित निर्देशों के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें प्रस्ताव पेशेवर द्वारा शुरू किए गए सी. आई. आर. पी. पर रोक लगाने के लिए अंतरिम निर्देश की मांग की गई, जैसा कि संकल्प पेशेवर ने अपने दिनांकित 17.02.2022 के फैसले में एन. सी. एल. ए. टी. के निर्देशों के अनुसार 26.04.2022 पर फॉर्म जी प्रकाशित किया; या ए. की अयोग्यता के संबंध में दिनांकित 17.02.2022 के विवादित फैसले के संचालन पर रोक लगाने के लिए।

एच.

841

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

समाधान आवेदक और समाधान पेशेवर को नए सी. आई. आर. पी. में अपने ई. ओ. आई. पर विचार करने का निर्देश देना।

23.1.उपरोक्त आवेदन को इस न्यायालय द्वारा 20.05.2022 पर लिया गया था।आवेदन के कथनों को ध्यान में रखते हुए और सभी कार्यवाहियों को इन अपीलों के अंतिम परिणाम के अधीन बनाते हुए, इस न्यायालय ने उस स्तर पर अपने कथनों के संबंध में कोई और आदेश या निर्देश पारित करना आवश्यक या समीचीन नहीं समझा।

24. <ID1 पर, कॉर्पोरेट देनदार के प्रवर्तक और पूर्व निदेशक डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर ने 2022 की सिविल अपील संख्या 1682 में 2022 की आई. ए. संख्या 168602 वाला एक आवेदन दायर किया, जिसमें बाद के तथ्यों और दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाने की अनुमति मांगी गई कि इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान, संहिता की धारा 12-ए के तहत निपटान के उनके प्रस्ताव को सी. ओ. सी. द्वारा 12.10.2022 पर 100 प्रतिशत स्वीकार कर लिया गया था।बहुमत जिसे अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष रखा गया था।

ग

डी.

24.1.उपरोक्त आवेदन के जवाब में, प्रस्ताव आवेदक की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि सी. ओ. सी. द्वारा प्रवर्तक के धारा 12-ए आवेदन पर विचार करना अपीलीय प्राधिकरण के अपने दिनांकित निर्णय में स्पष्ट निर्देश के खिलाफ था, जिसमें सी. ओ. सी. को प्रवर्तक के लंबित या मौजूदा धारा 12-ए प्रस्ताव की जांच करने के लिए केवल 15 दिनों की अनुमति दी गई थी, जिसे सी. ओ. सी. द्वारा <आई. डी. 1 पर खारिज कर दिया गया था और इसलिए, सी. ओ. सी. के पास उपलब्ध इस तरह की अस्वीकृति के बाद एकमात्र उपाय नए सी. आई. आर. पी. के साथ जारी रहना था और नए फॉर्म जी. 24.2 जारी करने के बाद नए आवेदन पर विचार करने या मतदान करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।इस प्रकार दायर किए गए आवेदनों के मद्देनजर, इस न्यायालय द्वारा मामले को फिर से आई. डी. 2 पर लिया गया और संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद इस न्यायालय ने न्यायिक प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वे इन अपीलों में निर्णय की प्रतीक्षा करें, जबकि संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को आई. डी. 1 द्वारा उक्त आवेदन के संबंध में आगे की दलीलें दायर करने की अनुमति दें।इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान की घटनाएँ।

ई.

च

जी.

25. एक समय-सीमा को एक साथ रखने के लिए, बाद की घटनाओं पर ध्यान देना सार्थक होगा जो अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों और निर्देशों के अनुसार दिनांकित 17.02.2022 के आदेश में प्रस्ताव पेशेवर को नए ईओआई को आमंत्रित करने वाले फॉर्म जी के प्रकाशन के चरण से सीआईआरपी के साथ आगे बढ़ने का निर्देश देते हुए पारित किए गए थे।

एच.

धारा 12-ए आई. बी. सी. के तहत प्रवर्तक के निपटान प्रस्ताव पर विचार।

26. एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित दिनांक 17.02.2022 के विवादित आदेश के अनुपालन में, ग्यारहवीं सी. ओ. सी. बैठक 03.03.2022 पर आयोजित की गई और प्रस्ताव पेशेवर ने प्रवर्तक के निपटान प्रस्ताव को सी. ओ. सी. में मतदान करने के लिए रखा, जहां मतदान 25.03.2022 तक जारी रहा।अंततः, उक्त निपटान प्रस्ताव के खिलाफ सी. ओ. सी. में मतदान हिस्सेदारी के 51.81% द्वारा मतदान किया गया।

26.1.18.04.2022 पर आयोजित बारहवीं CoC बैठक में, EOI जारी करने के लिए पात्रता मानदंड और मूल्यांकन मैट्रिक्स को इस बैठक में चर्चा के बाद मतदान के लिए रखा गया था और CoC सदस्यों की कुल मतदान शक्ति के 92.52% के साथ इसे मंजूरी दी गई थी।

ग

26.2.23.05.2022 पर आयोजित तेरहवीं CoC बैठक में, समाधान पेशेवर ने CoC के सदस्यों को सूचित किया कि EOI 26.04.2022 पर प्रकाशित किया गया था और जमा करने की अंतिम तिथि 15.05.2022 निर्धारित की गई थी और 7 EOI प्राप्त हुए थे।ई. ओ. आई. जमा करने के लिए समय बढ़ाने के संबंध में, सी. ओ. सी. ने संकल्प लिया कि ई. ओ. आई. जमा करने की अंतिम तिथि सी. ओ. सी. की कुल मतदान शक्तियों के 93.46% के साथ 09.06.2022 तक बढ़ाई जाए। आगे यह संकल्प लिया गया कि समाधान योजना के लिए अनुरोध (आर. एफ. आर. पी.) में कुछ भी नहीं बदला जाए और प्रदर्शन बैंक गारंटी (पी. बी. जी.) राशि जैसा कि सी. ओ. सी. द्वारा पहले तय किया गया था। 25 करोड़ रुपये स्वीकृत रहेंगे और अपरिवर्तित रहेंगे।

डी.

ई.

26.3.आई. डी. 1 पर आयोजित चौदहवीं सी. ओ. सी. बैठक में सी. ओ. सी. द्वारा यह संकल्प लिया गया कि आर. पी. न्यायिक प्राधिकरण के साथ दायर किए जाने वाले धारा 12 (2) आई. बी. सी. आवेदन के तहत आई. डी. 2 से सी. आई. आर. पी. की समयसीमा को तुरंत 90 दिनों तक बढ़ाने की मांग करेगा।इसके अलावा, समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के संबंध में, सी. ओ. सी. ने 19.07.2022 पर आयोजित अपनी पंद्रहवीं बैठक में 92.70% ध्वनि मत के साथ समय सीमा को 01.08.2022 तक बढ़ाने का संकल्प लिया।समय के और विस्तार के संबंध में, 10.08.2022 पर आयोजित सोलहवीं सी. ओ. सी. बैठक में, 79.29% की कुल मतदान शक्ति वाले सी. ओ. सी. सदस्यों ने आर. पी. के लिए सी. आई. आर. पी. के साथ जारी रहने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष समय के और विस्तार/बहिष्कार के लिए एक आवेदन दायर करने का संकल्प लिया।

च

जी.

26.4.आई. डी. 1 पर आयोजित सत्रहवीं सी. ओ. सी. बैठक में, संभावित समाधान आवेदकों द्वारा प्रस्तुत समाधान योजनाओं के अनुपालन के बारे में चर्चा करते हुए, सी. ओ. सी. के सदस्यों में से एक ने एक सवाल उठाया कि अयोग्य और अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद ए

एच.

843

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा, श्री एम. के. राजगोपालन की समाधान योजना पर विचार क्यों किया जा रहा था।इस पर, अध्यक्ष ने जवाब दिया कि इस न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश में निर्णय को सुरक्षित रखते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि सी. ओ. सी. की सभी बैठकें/कार्यवाही न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों के अधीन जारी रहेगी और यह जानकारी स्पष्ट रूप से संभावित समाधान आवेदकों की सूची के साथ-साथ योग्य समाधान आवेदकों की अंतिम सूची में अस्वीकरण के साथ निर्धारित की गई थी और सभी को पता था।उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में कानूनी सलाह मांगी गई थी और सी. ओ. सी. ने भी अपनी सहमति दी थी।

26.5.आई. डी. 2 पर आयोजित सी. ओ. सी. की अठारहवीं बैठक में, सी. ओ. सी. के सदस्यों को यह सूचित करने के बाद कि अब तक 7 समाधान योजनाएं प्राप्त हो चुकी हैं और उनका मूल्यांकन प्रक्रिया में है, अध्यक्ष ने सी. ओ. सी. को अवगत कराया कि प्रवर्तक डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर द्वारा आई. बी. सी. की धारा 12-ए के तहत एक संशोधित निपटान प्रस्ताव

प्रस्तुत किया गया है।सी. ओ. सी. के सदस्यों ने प्राप्त समाधान योजनाओं के मूल्यांकन और विचार के साथ-साथ धारा 12-ए प्रस्ताव पर विचार करने की संभावनाओं पर बहस की।हालाँकि, यह देखते हुए कि अनिवार्य 330 दिनों की अवधि 12.10.2022 पर समाप्त होने वाली थी, सी. ओ. सी. सदस्यों ने सर्वसम्मति से मतदान किया और सी. आई. आर. पी. की समयसीमा को हटाने/बढ़ाने की मांग पर सहमति व्यक्त की और आर. पी. को एन. सी. एल. टी. के समक्ष धारा 12 (2) आई. बी. सी. के तहत उपयुक्त आवेदन दायर करने का निर्देश दिया।

ग

डी.

ई.

26.6.आई. डी. 1 पर आयोजित उन्नीसवीं सी. ओ. सी. बैठक में, प्रवर्तक-डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर द्वारा प्रस्तुत निपटान प्रस्ताव के संबंध में चर्चा जारी रही और एक व्यापक चर्चा के बाद, सी. ओ. सी. ने 12-ए प्रस्ताव का मूल्यांकन करने और इसे मतदान के लिए रखने का निर्णय लिया।तदनुसार, निपटान प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया था और सदस्यों की कुल मतदान शक्तियों के 100% के साथ सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था।इस बैठक में स्वीकार किए गए प्रस्तावों के प्रासंगिक भाग और मतदान के बाद अंतिम निष्कर्ष, जैसा कि उन्नीसवीं बैठक के कार्यवृत्त में कहा गया है, नीचे पढ़ा गया हैः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

“ सी. ओ. सी. द्वारा मतदान हेतु संकल्प

जी.

“यह निर्णय लिया गया कि आई. बी. सी., 2016 की धारा 12 ए के तहत श्री पलानी जी. पेरियासामी (प्रवर्तक) द्वारा प्रस्तुत निपटान प्रस्ताव, जिसे 12.10.2022 पर आयोजित उन्नीसवीं सी. ओ. सी. बैठक में चर्चा और अनुमोदन के लिए सी. ओ. सी. के समक्ष रखा गया था, को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

एच.

(उपरोक्त प्रस्ताव पर दोपहर 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक मतदान किया जा रहा है और इस मतदान के परिणाम के आधार पर मतदान के बाद के कार्यवृत्त को अद्यतन किया जाएगा और सी. ओ. सी. को भेजा जाएगा।)

प्रस्ताव का परिणाम**,** मतदान के बाद रात **10** बजे **31/10/2022** पर समाप्त हुआ

आई. बी. सी., 2016 की धारा 12 ए के तहत निपटान के लिए प्रवर्तक का उपरोक्त प्रस्ताव, जिसे 14.10/2022 से 31/10/2022 पर मतदान के लिए रखा गया था, सी. ओ. सी. की कुल मतदान शक्तियों के 100% के साथ अनुमोदित किया गया है।

मतदान के परिणाम और ई-मतदान से अनुमोदन पत्र अलग से सी. ओ. सी. को भेजा जाता है।"

ग

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ

27. हमने सुना है कि विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक एम. सिंघवी और श्री सी. आर्यमा सुंदरम समाधान आवेदक की ओर से पेश हुए; विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विजय नारायण समाधान पेशेवर की ओर से पेश हुए; विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी, श्री के. वी. विश्वनाथन और श्री ध्रुव मेहता के साथ-साथ विद्वान वकील सुश्री हरिप्रिया पद्मनाभन भी संबंधित चुनाव लड़ने वाले दलों की ओर से पेश हुई।हमने एडलवाइस और सहयोगियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी और एस. बी. आई. की ओर से पेश विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता को भी सुना है।

डी.

ई.

28. समाधान आवेदक के विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक एम. सिंघवी ने मुख्य मामले में पेश होते हुए अपीलीय न्यायाधिकरण के निष्कर्षों और टिप्पणियों पर निम्नलिखित प्रमुख प्रस्तुतियों के साथ सवाल उठाते हुए विवादित आदेश के खिलाफ जोरदार तर्क दिया हैः

च

28.1.जहां तक संहिता की धारा 12-ए के संदर्भ में प्रवर्तक द्वारा रखे गए समझौते के प्रस्ताव का संबंध है, यह तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 7 के तहत स्वीकार किए गए आवेदन को वापस लेने के लिए दाखिल करने की पात्रता टी. एफ. सी. आई. तक सीमित होगी, यानी वह आवेदक जिसने नब्बे प्रतिशत की मंजूरी के साथ आवेदन दायर किया था।सी. ओ. सी. का मतदान हिस्सा और वापस लेने के लिए इस तरह के आवेदन को केवल समाधान पेशेवर के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता था।टी. एफ. सी. आई. द्वारा इस तरह के किसी भी कदम के अभाव में, प्रवर्तक को निकासी के लिए आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं था।

जी.

एच.

क.

28.1.1.यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि 21.01.2021 दिनांकित निपटान पत्र धन के प्रमाण के बिना प्रस्तुत किया गया था और ड्यूश बैंक इंडिकेटिव टर्म-शीट दिनांक 22.01.2021 में इंगित प्रस्ताव में धन के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं थी।यहां तक कि सविता संस्थान द्वारा जारी किए गए धन के लिए समर्थन पत्र को भी बाद में 02.09.2021 दिनांकित ईमेल द्वारा वापस ले लिया गया था।इसके बाद, विवादित एन. सी. एल. ए. टी. निर्णय के पारित होने के बाद हुई ग्यारहवीं सी. ओ. सी. बैठक में, प्रतिवादी संख्या 1 ने समाधान प्रस्ताव पर भरोसा किया, इसके समर्थन में मेज पर कोई धन रखे बिना।इस प्रकार यह समझौता प्रस्ताव और कुछ नहीं बल्कि सी. आई. आर. पी. की कार्यवाही में देरी करने का एक प्रयास था जैसा कि एन. सी. एल. टी. द्वारा उचित रूप से देखा गया था।

ग

28.2.समाधान आवेदक के रूप में कार्य करने के लिए अपीलार्थी की पात्रता से संबंधित प्रश्नों के संबंध में, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि न्यास अधिनियम की धारा 88 को संहिता की धारा 29-ए के तहत अपीलार्थी की अयोग्यता के आधार के रूप में नहीं माना जाएगा।यद्यपि विचाराधीन न्यास को ई. ओ. आई. के स्तर पर अयोग्य माना गया था, फिर भी अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में पात्र माना गया था।इस प्रकार, जबकि न्यास को अयोग्य ठहराया जा सकता है, न्यासी को, एक अलग इकाई होने के नाते, अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है और अपीलार्थी की वित्तीय क्षमता न्यास की राशि से स्वतंत्र थी।

डी.

28.2.1.विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि अपीलार्थी को संहिता की धारा 29-ए (ई) के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि कंपनियों के पंजीयक ने उसे कंपनी अधिनियम की धारा 164 (2) (बी) के तहत अन्य कंपनी इंटरनेशनल एविएशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में कथित गैर-वित्त पोषित जमा के लिए अयोग्य नहीं ठहराया था, जिसमें अपीलार्थी निदेशक था।इसके अलावा, अपीलार्थी की डी. आई. एन. स्थिति "सक्रिय अनुपालन" थी और एन. सी. एल. ए. टी. ने सी. राजा में अपने स्वयं के निर्णय पर विचार नहीं किया।

ई.

च

जॉन बनाम आर**.** राघवेंद्रन और अन्यःकम्प**.**एपल।**(**एटी**) (**सीएच**) (**इंस**)**

2021 का सं**. 207** जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि डी**.** आई**.** एन**.** सक्रिय है**,** तो संहिता की धारा **29-**ए **(**ई**)** लागू नहीं होगी।

28.2.2.इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि अयोग्यता का मुद्दा तथ्य और कानून का एक मिश्रित सवाल था, इसलिए इसे पहली बार एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष नहीं उठाया जा सकता था, क्योंकि कंपनी अधिनियम की धारा 164 (2) के तहत मानित अयोग्यता की कोई अवधारणा नहीं है। 28. 3।निगमित देनदार की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के सवाल पर आते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि समाधान योजना को इस तर्क के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है कि मूल्यांकन परिसमापन मूल्य से कम था।रिलायंस को फैसले पर रखा गया है

जी.

एच.

महाराष्ट्र निर्बाध (ऊपर) यह प्रस्तुत करने के लिए कि परिसमापन मूल्य से मेल खाने के लिए समाधान योजना की आवश्यकता नहीं होगी।विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि सी. ओ. सी. के सदस्यों को परिसमापन और उचित मूल्य प्रदान किया गया था; पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को मुख्य और गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया गया था; और इन मूल्यांकनकर्ताओं ने सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियमन 35 के अनुपालन में उस उद्देश्य के लिए संपत्तियों का भौतिक रूप से दौरा किया।इसके बाद, सी. ओ. सी. ने अपने व्यावसायिक ज्ञान में इस मूल्यांकन को मंजूरी दी, जिसके बाद एन. सी. एल. टी. ने भी इसे मंजूरी दी, जिसका बाद के चरण में दूसरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यह प्रश्न कि क्या मूल्यांकनकर्ता पंजीकृत था, निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह आईबीबीआई के समक्ष प्रश्न में नहीं था।

ग

28.4.विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि जहां तक वेबसाइट पर फॉर्म-जी के गैर-प्रकाशन का संबंध है, इस मुद्दे पर पांचवीं सी. ओ. सी. बैठक के दौरान चर्चा की गई थी और सी. ओ. सी. ने एक विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अपने व्यावसायिक ज्ञान में सी. आई. आर. पी. के साथ आगे बढ़े।इसके अलावा, एन. सी. एल. ए. टी. का दिनांक 05.05.2021 का गैर-प्रकाशन को मंजूरी देने वाला पूर्व निर्णय न्यायिक निर्णय के रूप में कार्य करेगा।निर्भरता स्थापित करना

डी.

कल्पराज धर्मशी और अन्न बनाम।कोटक निवेश सलाहकार

लिमिटेड और एन. आर.:(2021) 10 एस. सी. सी. 401, यह प्रस्तुत किया गया था कि वेबसाइट पर फॉर्म-जी का प्रकाशन न करने को गंभीर अनियमितता नहीं माना जा सकता है।

28.5.जहां तक संशोधित अंतिम समाधान योजना को सी. ओ. सी. के समक्ष नहीं रखने के मुद्दे का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी ने संशोधित योजना के अनुसार परिसमापन की स्थिति में असहमत वित्तीय लेनदारों को योग्य राशि आवंटित करने की आवश्यकता का पहले ही पालन कर लिया था और सी. ओ. सी. से आगे अनुमोदन लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, दसवीं बैठक में, सी. ओ. सी. ने संशोधित योजना को 'कार्योत्तर मंजूरी' दी थी और एन. सी. एल. ए. टी. दिनांक 09.09.2021 के समक्ष दायर हलफनामे में इसके किसी भी हिस्से पर आपत्ति नहीं जताई थी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान मामले में अपनाई गई प्रक्रिया एक भौतिक अनियमितता थी।

ई.

च

28.6.एस. बी. आई. द्वारा अभियोग के लिए दायर आवेदन पर आते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि एस. बी. आई. ने सभी बैठकों में भाग लिया और समाधान योजना के पक्ष में मतदान किया, एन. सी. एल. टी. या एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष कोई आपत्ति नहीं उठाई और समाधान योजना के तहत अपने बकाया का <आई. डी. 1] प्राप्त कर रहा है।विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी फैसले का उल्लेख किया है

जी.

ईबीआईएक्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड बनामएडुकॉम्प के लेनदारों की समिति

सॉल्यूशंस लिमिटेड और एन**.** आर**.:(2022) 2** एस**.** सी**.** सी**. 401** प्रस्तुत करता है कि संकल्प ए

एच.

847

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

एक सफल समाधान आवेदक और सी. ओ. सी. के बीच योजना बाध्यकारी होगी।इस प्रकार, सी. ओ. सी. का हिस्सा होने के नाते, एस. बी. आई. बाद में सी. ओ. सी. द्वारा लिए गए रुख के विपरीत रुख नहीं उठा सकता है।

28.7.सी. ओ. सी. के व्यावसायिक विवेक के पहलू पर, के. शशिधर में इस न्यायालय के फैसलों पर जोरदार निर्भरता रखी गई है।

महाराष्ट्र सीमलेस**,** एस्सार स्टील**,** जेपी केन्सिंगटन**,** कल्पराज धर्मशी **(**ऊपर**);** और प्रताप टेक्नोक्रेटस **(**पी**)** लिमिटेड और ओआरएस बनाम।रिलायंस इन्फ्राटेल लिमिटेड और ए**.** एन**.** आर की निगरानी समिति**:2021** एससीसी

ऑनलाइन एस. सी. 569 यह प्रस्तुत करने के लिए कि सफल समाधान योजना से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप का दायरा बेहद संकीर्ण है, और चुनौती केवल आई. बी. सी. की धारा 30 (2) या 61 (3) के तहत सी. ओ. सी. की स्वायत्तता या वाणिज्यिक ज्ञान की जांच के अलावा अन्य मामलों तक सीमित है। वर्तमान मामले में, चूंकि समाधान योजना को सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था, इसलिए किसी भी हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं होगा।

ग

28.8.समाधान आवेदक की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सी. आई. आर. पी. एक उन्नत चरण में पहुंच गया था, समाधान आवेदक ने रुपये की बैंक गारंटी दी थी। अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में 01.02.2021 पर 25 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि। 150 करोड़ रुपये, जो समाधान योजना की मंजूरी के 45 दिनों के भीतर प्रेषित किए जाने की आवश्यकता थी, 15 दिनों के भीतर जमा किए गए थे और समाधान आवेदक हमेशा शेष धन के साथ तैयार रहता है।यह भी

जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि सी. आई. आर. पी. की प्रक्रिया को विफल करने के लिए प्रवर्तक द्वारा जानबूझकर विलंबकारी रणनीति अपनाई गई है, जिसमें देरी के कारण काफी समय बर्बाद हो गया है।

डी.

ई.

28.9.जहां तक प्रवर्तक और निगमित देनदार के पूर्व निदेशक द्वारा 2022 की सिविल अपील संख्या 1682-1683 में 2022 के आई. ए. संख्या 168602 वाले आवेदन का संबंध है-जिसमें बाद के तथ्यों को दर्ज करने की अनुमति मांगी गई है कि इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान संहिता की धारा 12-ए के तहत निपटारे का उनका प्रस्ताव सी. ओ. सी. द्वारा सदस्यों की मतदान शक्ति द्वारा अपनी उन्नीसवीं बैठक में पारित किया गया था-समाधान आवेदक के लिए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि सी. ओ. सी. द्वारा प्रवर्तक के धारा 12-ए आवेदन पर विचार करना अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 17.02.2022 के स्पष्ट निर्देश के खिलाफ था, जिसके तहत सी. ओ. सी. को लंबित या मौजूदा धारा 12-ए के प्रस्ताव की जांच करने के लिए केवल 15 दिनों का समय दिया गया था। और इस तरह के प्रस्ताव को वास्तव में सी. ओ. सी. द्वारा 25.03.2022 पर खारिज कर दिया गया था।इसलिए, इस तरह की अस्वीकृति के बाद सी. ओ. सी. के पास उपलब्ध एकमात्र पाठ्यक्रम नए सी. आई. आर. पी. के साथ जारी रखना था और सी. ओ. सी. के पास ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

च

जी.

एच.

नया प्रपत्र जी जारी करने के बाद प्रवर्तक के नए निपटान प्रस्ताव पर विचार या मतदान करें। विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि प्रवर्तक के धारा 12-ए प्रस्ताव पर विचार करने के संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्देश तब समाप्त हो गया था जब सी. ओ. सी. द्वारा अपनी ग्यारहवीं बैठक में निपटान प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था और किसी भी मामले में सी. ओ. सी. द्वारा एक नए धारा 12-ए आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता था।

29. एक अन्य पहलू पर, 2022 के सीए संख्या 1827 में, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री सी. आर्यमा सुंदरम ने धरणी फाइनेंस (संबंधित पक्ष) के खिलाफ पेश होते हुए, इस न्यायालय के विभिन्न फैसलों पर भरोसा किया है, जिसमें फीनिक्स एआरसी, प्रताप टेक्नोक्रेट और अन्य मामले शामिल हैं।

ग

कल्पराज धर्मशी **(**ऊपर**)** और फेसर अलॉयज लिमिटेड में भी।भुवन

मदन और ओआरएसः**2021** की सिविल अपील संख्या **5129** यह प्रस्तुत करने के लिए कि

यद्यपि समाधान आवेदक ने संबंधित पक्षों के प्रति कुछ देय राशि स्वीकार की है, अंतिम समाधान योजना में किसी भी भुगतान का प्रावधान नहीं था और इन मामलों में इस न्यायालय द्वारा योजना को बरकरार रखा गया था।पिछले अवसरों पर, इस न्यायालय के साथ-साथ अन्य मंचों ने समाधान योजनाओं के तहत संबंधित और गैर-संबंधित पक्षों के बीच अंतर किया था। विद्वान वरिष्ठ वकील इस प्रस्ताव के खिलाफ तर्क देंगे कि एक संबंधित पक्ष सी. ओ. सी. का हिस्सा हो सकता है जब वह एक वित्तीय लेनदार हो।इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 14 सी. ओ. सी. के निर्णय पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित 'राज्य' नहीं है।

डी.

ई.

30. समाधान पेशेवर की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विजय नारायण ने मुख्य रूप से आर. पी. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और उठाए गए कदमों के संबंध में आदेश में दिए गए निष्कर्षों और टिप्पणियों पर सवाल उठाए हैं और विभिन्न प्रकार के प्रस्तुतिकरण किए हैं:30.1.जहां तक मूल्यांकन के प्रश्न का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया है कि सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 35 (2) के तहत आर. पी. की एकमात्र जिम्मेदारी गोपनीयता वचन प्राप्त करने के बाद सी. ओ. सी. के सदस्यों के साथ उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य को साझा करना है, जो वर्तमान मामले में किया गया था।सी. ओ. सी. या किसी अन्य हितधारक को रिपोर्ट की प्रति प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।2017 के कंपनी (मूल्यांकन) नियमों के तहत मूल्यांकन के विवाद पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि अंतरिम समाधान पेशेवर ने परिसंपत्तियों के तीन मुख्य वर्गों के लिए मूल्यांकनकर्ताओं के तीन समूह नियुक्त किए हैं।

च

जी.

30.1.1.परिसंपत्तियों के भौतिक मूल्यांकन के संबंध में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने चौथे सी. ओ. सी. ए. के कार्यसूची मद संख्या 4 पर जोर दिया।

एच.

849

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

बैठक, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि मूल्यांकनकर्ताओं ने कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति का दौरा किया था।

30.1.2.जहां तक गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मूल्य निर्धारण के मुद्दे का संबंध है, आर. पी. की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि हालांकि गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का मूल्य काफी महत्वहीन था, लेकिन सातवीं सी. ओ. सी. बैठक में आर. पी. ने सूचित किया कि दूसरे मूल्यांकनकर्ता श्री जी. वैद्य रमण ने गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के लिए परिसर का दौरा किया और बाद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।उक्त रिपोर्टों वाला बयान न्यायाधिकरण के समक्ष रखा गया था।इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया है कि न्यायाधिकरण के लिए यह निष्कर्ष निकालना गलत था कि वर्तमान मामले में गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का मूल्यांकन नहीं किया गया था।

ग

30.2.वेबसाइट पर फॉर्म-जी के गैर-प्रकाशन के संबंध में, यह तर्क दिया गया है कि यह सभी प्रमुख समाचार पत्रों में 09.08.2020 पर प्रकाशित किया गया था और तत्कालीन आई. आर. पी. ने आई. बी. बी. आई. को ईमेल करके सूचित किया था कि वेबसाइट पर उक्त फॉर्म को अपलोड करने में कुछ तकनीकी समस्या थी, उसी को अपलोड करने के अनुरोध के साथ।इस प्रकार, सभी आवश्यक कदम उचित रूप से उठाए जाने के बाद, जो प्रक्रिया एक उन्नत चरण में पहुंच गई थी, उसे इस तरह की तकनीकीता पर रद्द नहीं किया जा सकता था।

डी.

30.3.इसके अलावा, संशोधित समाधान योजना को सी. ओ. सी. के समक्ष नहीं रखने के मुद्दे पर विचार करते हुए, नौवीं सी. ओ. सी. बैठक दिनांक 2 पर इस निवेदन के साथ निर्भरता रखी गई है कि समाधान योजना को कुल मतदान हिस्से के% के साथ मंजूरी दी गई थी और समाधान आवेदक को केवल पुनर्वितरण के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को संहिता की धारा 30 (2) (बी) के संदर्भ में उनका हिस्सा दिया गया था।इसके अनुसार, समाधान आवेदक ने संशोधित समाधान योजना प्रस्तुत की जिसमें असुरक्षित असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के लिए आवंटन को 29 करोड़ से संशोधित कर 49.13 करोड़ कर दिया गया था।संशोधित योजना को तब दसवीं सी. ओ. सी. बैठक में सी. ओ. सी. के समक्ष रखा गया था और उस समय कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।

ई.

च

30.4.यह भी प्रस्तुत किया गया है कि निगमित देनदार द्वारा प्रस्तुत निपटान प्रस्ताव आई. बी. सी. की धारा 12-ए के साथ पठित सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियमन 30-ए के तहत निर्दिष्ट जनादेश के अनुरूप नहीं था।

जी.

30.5.आर. पी. शुल्क में वृद्धि के मुद्दे पर जो एन. सी. एल. टी. के समक्ष नहीं उठाया गया था और केवल एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष उठाया गया था, यह प्रस्तुत किया गया है कि शुल्क में संशोधन के लिए अनुरोध वास्तव में किया गया था।

एच.

उक्त संशोधन के कारणों के साथ, उस तारीख से बहुत पहले किया गया था जिस दिन सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दी गई थी।

30.6.यह भी प्रस्तुत किया गया है कि समाधान आवेदक की अयोग्यता का मुद्दा एन. सी. एल. टी. के समक्ष नहीं उठाया गया था, लेकिन एन. सी. एल. ए. टी. ने अपने विवादित आदेश में उसे अयोग्य ठहराया है।इस संबंध में, आर. पी. केवल सार्वजनिक डोमेन खोज कर सकता था और सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 39 को देखते हुए समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुपालन के हलफनामे को ध्यान में रख सकता था।

30.7.एक संबंधित पक्ष लेनदार होने के लिए भेदभावपूर्ण व्यवहार के बारे में धरणी फाइनेंस के आरोप पर आते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि योजना मतदान के हकदार वित्तीय लेनदारों (असहमत वित्तीय लेनदारों सहित) को भुगतान प्रदान करती है।धारा 30 (2) (बी) (ii), धारा 21 और विनियमन 38 (1) पर निर्भरता रखते हुए, यह तर्क दिया गया है कि अनुमोदित योजना संहिता और विनियमों के अनुसार है।

ग

30.8.अंत में, समाधान पेशेवर के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उन्होंने संहिता की धारा 43 के तहत कॉर्पोरेट देनदार के प्रवर्तक-निदेशक के खिलाफ आवेदनों को प्राथमिकता दी है, जिसमें कुछ ऐसे लेनदेन से बचने की मांग की गई है जो प्रकृति में तरजीही हैं।उक्त आवेदन निर्णय के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष लंबित हैं।हालाँकि, इन परिहार आवेदनों के संबंध में, वीनस रिक्रूटर्स में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया जाता है।

डी.

ई.

प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्यः**2020** एससीसी ऑनलाइन डेल।

1479 इसका कोई लाभ नहीं है क्योंकि उक्त मामले में, उच्च न्यायालय ने समाधान योजना की मंजूरी के बाद धारा 43 के तहत एक आवेदन पर विचार करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र की जांच की है।

च

31. डॉ. पेरिसामी पलानी गौंडर (प्रवर्तक और पूर्व निदेशक) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने अपीलार्थी की ओर से की गई दलीलों को चुनौती देते हुए विवादित आदेश का समर्थन किया है।

31.1.विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि सी. ओ. सी. ने सभी लेनदारों के साथ समझौता करने और संहिता की धारा 12-ए के तहत सी. आई. आर. पी. को वापस लेने के लिए दिनांकित 21.01.2021 और 08.03.2021 पत्रों के तहत प्रवर्तक द्वारा रखे गए निपटान प्रस्तावों पर विचार किए बिना प्रश्नगत समाधान योजना को मंजूरी दे दी।निर्णय पर निर्भरता रखते हुए

जी.

स्विस रिबन (पी) लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम में इस न्यायालय का।भारत संघ और

ओआरएस**.:(2019) 4** एस**.** सी**.** सी**. 17,** यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रवर्तक का ए

एच.

851

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

प्रस्तावों को एजेंडा आइटम के रूप में भी नहीं रखा गया था और इसलिए, सी. ओ. सी. को कॉर्पोरेट देनदार को एक चालू चिंता के रूप में ठीक से विचार करने का अवसर नहीं दिया गया था; बल्कि सी. आई. आर. पी. को अन्य लेनदारों और शेयरधारकों की अनदेखी करके केवल ऋण वसूली प्रक्रिया में बदल दिया गया था।यह तर्क दिया गया है कि प्रतिस्पर्धा करने वाला प्रवर्तक कॉर्पोरेट देनदार को एक चालू चिंता के रूप में संरक्षित करने के लिए ईमानदार प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके वास्तविक प्रयासों को जल्दबाजी और अवैध रूप से संचालित सी. आई. आर. पी. से निराश होने की कोशिश की गई और इस तरह, अनुमोदित समाधान योजना अनिवार्य रूप से कॉर्पोरेट देनदार की पर्याप्त संपत्ति को अत्यधिक कम मूल्य पर दे रही थी।इस प्रकार, इस मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय कानून के साथ-साथ तथ्यों पर भी सही है।

ग

31.2.यह भी जोरदार तर्क दिया गया है कि विचाराधीन समाधान योजना कानून के विपरीत है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से ट्रस्ट अधिनियम की धारा 88 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) (बी) के अंतर्निहित सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। न्यास अधिनियम की धारा 88 के उल्लंघन के संबंध में प्रस्तुतियों का मुख्य मुद्दा यह रहा है कि हितों का टकराव है, क्योंकि अपीलकर्ता एक व्यक्ति के रूप में अपनी क्षमता में एक न्यास के हितों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है जिसमें वह संस्थापक प्रबंध न्यासी था।इसके अलावा, प्रस्ताव पेशेवर द्वारा पहले ही यह फैसला सुनाया जा चुका है कि उक्त ट्रस्ट श्री बालाजी विद्यापीठ एक धर्मार्थ ट्रस्ट और एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में अपनी स्थिति के कारण एक समाधान आवेदक होने के लिए अयोग्य था।इन तथ्यों के बावजूद, अपीलकर्ता एक ही न्यास की वित्तीय साख से समर्थन लेकर अपनी व्यक्तिगत क्षमता में एक समाधान योजना प्रस्तुत करता है, जो मूल रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने की कोशिश करता है जिसे वह प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं कर सकता था।इसके अलावा, यह तथ्य कि न्यास एक संभावित समाधान आवेदक था और अयोग्य पाया गया था, सी. ओ. सी. की जानकारी से दबा दिया गया था।

डी.

ई.

च

31.2.1.यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कोयंबटूर की संपत्ति को अस्पताल में बदलने की समाधान आवेदक की योजना के परिणामस्वरूप सीधे हितों का टकराव होगा और कंपनी एम. जी. एम. हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में उनके द्वारा दिए गए प्रत्ययी कर्तव्यों का उल्लंघन होगा।विद्वान वकील के अनुसार यह कंपनी अधिनियम की धारा 166 (4) का सीधा उल्लंघन होगा जो कंपनी के निदेशक को ऐसी स्थिति में खुद को शामिल करने से रोकता है जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो सकता है जो कंपनी के हित के साथ टकराव या संभवतः टकराव हो सकता है।इस कारण से भी, विचाराधीन समाधान योजना कानून के विपरीत है और संहिता की धारा 30 (2) (ई) के तहत पारित नहीं हो सकती है।

31.2.2.प्रवर्तक की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील का एक अन्य तर्क यह रहा है कि अपीलार्थी संहिता की धारा 29 ए (ई) के तहत समाधान योजना प्रस्तुत करने का पात्र नहीं है।यह तर्क दिया गया है कि समाधान आवेदक 'इंटरनेशनल एविएशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड' नामक कंपनी का निदेशक रहा है और 2010-2011 से 2017-2018 के लिए उक्त कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, इस बात के प्रमाण थे कि रु। 12,03,000 को "आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि" के रूप में एकत्र किया गया था और इसे वापस नहीं किया गया था।इसके परिणामस्वरूप इसे कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2 (1) (सी) (viii) के स्पष्टीकरण (ए) के परंतुक के अर्थ के भीतर "गैर-वित्त पोषित जमा" के रूप में माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी-समाधान आवेदक को कंपनी अधिनियम की धारा 164 (2) (बी) के तहत निदेशक होने से अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप, विचाराधीन सी. आई. आर. पी. में समाधान आवेदक होने से अयोग्य घोषित किया जाएगा।

ग

31.3.यह भी प्रस्तुत किया गया है कि निगमित देनदार की परिसंपत्तियों का अंतिम समाधान योजना में बहुत कम मूल्यांकन किया गया था, जिसके तहत रु। केवल 1600 करोड़ रुपये की राशि के हस्तांतरण की मांग की गई थी। 423 करोड़ रु.इस तर्क का समर्थन करने के लिए, सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 35 (1) और 35 (2) पर निर्भरता रखी गई है। विनियमन 35 (1) में प्रावधान है कि दो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को समाधान पेशेवर को भौतिक सत्यापन के बाद कॉर्पोरेट देनदार के 'उचित मूल्य' और 'परिसमापन मूल्य' का अनुमान प्रस्तुत करना चाहिए, और विनियमन 35 (2) में समाधान पेशेवर से सी. ओ. सी. के प्रत्येक सदस्य को उपरोक्त मूल्यांकन प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

डी.

ई.

31.3.1.यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में, कोई भौतिक सत्यापन नहीं था क्योंकि नियुक्त पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता दिल्ली में स्थित थे और उन्होंने तमिलनाडु में अपने सहयोगियों को भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया सौंपने की मांग की थी।इस संबंध में चिंताओं को दूसरी सी. ओ. सी. बैठक दिनांक 06.08.2020 में भी उजागर किया गया था।इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का मूल्यांकन अनियमित रूप से किया गया था न कि सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियमन 35 के अनुसार।इसके अलावा, केवल मूल्यांकन के आंकड़े साझा किए गए थे और मूल्यांकन रिपोर्ट पूर्व निदेशकों और सी. ओ. सी. के सदस्यों को प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस प्रकार, विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा यह सही देखा गया था कि विस्तृत संलग्न रिपोर्ट के बिना परिसंपत्तियों के नग्न मूल्य का केवल उत्पादन सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक ज्ञान को बाधित करेगा। रिलायंस को सातवीं सी. ओ. सी. बैठक में यह प्रस्तुत करने के लिए भी रखा गया है कि समाधान योजना की चिंता सही ए को नहीं दर्शाती है।

च

जी.

एच.

निगमित देनदार का मूल्य सी. ओ. सी. सदस्यों द्वारा व्यक्त किया गया था।यह भी प्रस्तुत किया गया है कि समाधान पेशेवर ने कॉर्पोरेट देनदार को एक चालू चिंता के रूप में बनाए रखने के बहाने, एक अवैध समाधान योजना को मंजूरी दी है जो कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों को गंभीर अवमूल्यन पर सौंपती है।

31.3.2.इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि महाराष्ट्र सीमलेस (उपरोक्त) में निर्णय वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक नहीं होगा क्योंकि यह ऐसी स्थिति का उल्लेख नहीं करता है जिसमें उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य का निर्धारण अवैध तरीके से और इस तरह से किया जाता है जो कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों को पूरी तरह से कम करता है।वर्तमान मामले में, निगमित देनदार का कुल ऋण उसकी परिसंपत्तियों के परिसमापन मूल्य से बहुत कम है।इसके अलावा, विद्वान वकील के अनुसार, न्यायपालिका के सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित प्रस्ताव पूरी तरह से गलत है क्योंकि एन. सी. एल. ए. टी. में उक्त कार्यवाही एक अलग पक्ष के कहने पर थी और पिछले मुकदमे में मुख्य मुद्दे का समाधान योजना, या सी. आई. आर. पी. में वैधानिक उल्लंघन से कोई लेना-देना नहीं था।

ग

डी.

31.4.वेबसाइट पर फॉर्म जी के गैर-प्रकाशन के मुद्दे से निपटने के लिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियमन 36 ए (2) (iii), जो आई. बी. बी. आई. की वेबसाइट और कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट पर प्रकाशन को अनिवार्य करता है, का उल्लंघन किया गया है क्योंकि यह एक स्वीकृत स्थिति रही है कि समाधान पेशेवर द्वारा ऐसा नहीं किया गया था।समाधान पेशेवर की कार्रवाई, इसलिए, विनियमन 36 ए और परिपत्र असर संख्या का उल्लंघन थी। आईपी (सीआईआरपी)/006/2018 दिनांकित 23.02.2018।समाधान पेशेवर ने दावा किया है कि फॉर्म को तकनीकी कारणों से अपलोड नहीं किया जा सका है, लेकिन सी. आई. आर. पी. में इस कमी को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या करने में विफल रहा है।

ई.

च

31.5.सी. ओ. सी. के समक्ष अंतिम समाधान योजना को नहीं रखने के मुद्दे पर आते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है, नौवीं सी. ओ. सी. बैठक दिनांक 1 के कार्यवृत्त के संदर्भ में, कि जब समाधान योजना को मतदान के लिए रखा गया था, तो संकल्प पेशेवर के लिए धारा 30 (2) आई. बी. सी. का पालन करने के लिए प्रस्ताव आवेदक को योजना वापस भेजने की आवश्यकता थी। हालाँकि, इसके बाद, संशोधित योजना को सीधे एन. सी. एल. टी. के समक्ष रखा गया, न कि सी. ओ. सी. के समक्ष, जो संहिता की धारा 30 (2), 30 (4), 30 (6) और 31 का उल्लंघन है।इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 31 में समाधान योजना के किसी भी कार्योत्तर अनुसमर्थन की परिकल्पना नहीं की गई है।

जी.

एच.

31.6.अपनी उन्नीसवीं बैठक में सदस्यों की मतदान शक्तियों के साथ सी. ओ. सी. द्वारा धारा 12-ए आई. बी. सी. के तहत उनके निपटान प्रस्ताव की स्वीकृति की बाद की घटना को रिकॉर्ड में लाने के लिए आवेदन के संदर्भ में, सी. आई. आर. पी.

विनियमों की धारा 12-ए और विनियमन 30-ए पर भरोसा करते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि उक्त धारा के तहत वापस लेने के लिए कई निपटान प्रस्तावों को प्रस्तुत करने पर न तो कोई रोक है और न ही कोई कट-ऑफ तिथि है जिसके भीतर प्रस्ताव सी. आई. आर. पी. के दौरान किया जाना है। वह यह भी तर्क देंगे कि 'निकासी' के रूप में शैलीबद्ध धारा 12-ए के तहत आवेदन इस सिद्धांत को भी लागू करता है कि ऋणदाता दिवालिया कार्यवाही में प्रभावी हैं और उन्हें न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के अधीन कार्यवाही वापस लेने का अधिकार है।

ग

31.7.प्रवर्तक के लिए विद्वान वकील यह भी तर्क देंगे कि समाधान आवेदक को संहिता के प्रावधानों के तहत अपनी योजना को स्वीकार करने और लागू करने का कोई निहित अधिकार नहीं है।प्रस्ताव आवेदक के इस तर्क के जवाब में कि समाधान आवेदक ने रु। 150 करोड़ रुपये जो वापस नहीं किए गए हैं, प्रवर्तक के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि ग्यारहवीं सी. ओ. सी. बैठक के दौरान, प्रवर्तक के सवाल पर, समाधान पेशेवर ने जवाब दिया कि प्रक्रिया उनके और समाधान आवेदक के बीच थी और कुछ प्रक्रियात्मक मुद्दों को संबोधित किया जाना था जिसके बाद, जमा धन वापस कर दिया जाएगा।

डी.

ई.

32. प्रवर्तक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन ने इस बात पर फिर से जोर दिया है कि संशोधित योजना को कभी भी मतदान के लिए नहीं रखा गया था और मूल्यांकनकर्ताओं का कर्तव्य था कि वे उन संपत्तियों का भौतिक रूप से मूल्यांकन करें जिन्हें उन्होंने पूरा नहीं किया था।इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया है कि जेपी में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करके शेयरधारकों के पास सी. आई. आर. पी. प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आवश्यक अधिकार नहीं होगा।

च

केन्सिंगटन (ऊपर)।

33. अन्य प्रवर्तक और पूर्व निदेशक डॉ. वी. जानकीरमन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री ध्रुव मेहता ने नौवीं सी. ओ. सी. बैठक के कार्यवृत्त पर भरोसा करते हुए काफी हद तक इसी तरह की दलीलें दी हैं कि आई. बी. सी. की धारा 30 (4) और 30 (6) का उल्लंघन किया गया था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे एस्सार स्टील (उपरोक्त) के फैसले का उल्लेख इस बात पर जोर देने के लिए किया है कि संशोधित समाधान योजना को कभी भी सी. ओ. सी. के सामने नहीं रखा गया था और इसलिए, पूरी प्रक्रिया दूषित हो गई है।

जी.

एच.

855

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

34. धरणी फाइनेंस की विद्वान वकील सुश्री हरिप्रिय पद्मनाभन ने मुख्य रूप से समाधान योजना के तहत बकाया के भुगतान के लिए संबंधित पक्षों के साथ एक अलग वर्ग के रूप में व्यवहार करने के खिलाफ तर्क दिया है।यह प्रस्तुत किया गया है कि धरणी फाइनेंस एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है।इस मामले में, यह एक वित्तीय लेनदार और कॉर्पोरेट देनदार का एक परिचालन लेनदार है और भले ही इसके रु। 1,94,14,024 और रु। क्रमशः परिचालन ऋण और वित्तीय ऋण का 4,81,62,175, विधिवत स्वीकार किया गया था, इसे एक संबंधित पक्ष होने के लिए समाधान योजना के तहत कुछ भी भुगतान नहीं किया गया था।फीनिक्स ए. आर. सी. (ऊपर) में निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय ने संबंधित पक्षों के साथ एक अलग वर्ग के रूप में व्यवहार करने के कारण निर्धारित किए हैं, और कहा है कि संबंधित पक्षों को सी. ओ. सी. से बाहर रखा जाना चाहिए ताकि वे समाधान प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करें।इसके पीछे का तर्क संबंधित पक्षों को संकल्प योजना प्रस्तुत करने या सी. ओ. सी. का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं देकर हासिल किया गया है। हालाँकि, जब स्वीकृत समाधान योजना के तहत बकाया के भुगतान की बात आती है तो उन्हें एक अलग वर्ग के रूप में माने

जाने का कोई कारण नहीं है।इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि इस मामले में समाधान पेशेवर ने प्राप्त सभी दावों पर निर्णय लिए बिना जल्दबाजी में प्रक्रिया शुरू की।

ग

डी.

34.1.सातवीं और आठवीं सी. ओ. सी. बैठकों के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि संबंधित पक्षों के लिए एक निश्चित राशि निर्धारित की गई थी, हालांकि, अंतिम समाधान योजना में, संबंधित पक्षों को भुगतान करने के लिए कोई राशि नहीं बताई गई थी और इस संबंध में सी. ओ. सी. में कोई चर्चा नहीं हुई थी।इस प्रकार, धरणी फाइनेंस के लिए एक परिचालन और वित्तीय लेनदार होने के नाते, अंतिम समाधान योजना में अपने ऋण के निर्वहन का प्रावधान करने में विफलता, संहिता की धारा 30 (2) (बी), (ई) और (एफ) का उल्लंघन है।यह जोरदार तर्क दिया गया है कि कम से कम, सी. ओ. सी. को इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि क्या धरणी फाइनेंस को चुकाया जाना है, जो नहीं किया गया है।

ई.

च

35. एस. बी. आई. की ओर से पेश हुए भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने कहा है कि इस वित्तीय लेनदार का सी. ओ. सी. में लगभग 26 प्रतिशत मतदान हिस्सा है, जिसमें रु। 102.88 करोड़।रिकॉर्ड के रूप में, यह स्वीकार किया गया है कि एस. बी. आई. ने 500 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दी है। सी. ओ. सी. में मतदान हिस्सेदारी के 87.39% के भीतर समाधान आवेदक द्वारा जमा किए गए 423 करोड़ रुपये। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस. बी. आई. की सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि सी. आई. आर. पी. का निर्णय एक निश्चित समय सीमा में किया जाए क्योंकि लगभग 2 साल बीत चुके हैं और आगे की देरी से परिसंपत्ति मूल्य में गिरावट आएगी।चूंकि सी. ओ. सी. ने पहले ही आगे बढ़ने के लिए कदम उठाए थे

जी.

एच.

दिनांक 17.02.2022 के विवादित आदेश के अनुसार, यह प्रार्थना की गई है कि सी. ओ. सी. को फॉर्म जी के नए जारी होने के चरण से सी. आई. आर. पी. के साथ जारी रखने की अनुमति दी जाए; संहिता की धारा 12-ए के तहत प्रस्ताव पर विचार किया जाए और स्वतंत्र आधार पर अपीलार्थी की पात्रता भी निर्धारित की जाए, जो एन. सी. एल. ए. टी. की टिप्पणियों से अप्रभावित हो।

35.1.इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान नई कार्यवाही के संबंध में (जैसा कि ऊपर देखा गया है), एस. बी. आई. की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि आगे का अवसर दिए जाने के बाद, प्रवर्तक ने धारा 12-ए आई. बी. सी. के तहत निपटान प्रस्ताव को फिर से जमा किया। 105 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी। 325 करोड़; और मतदान के लिए रखे जाने पर, इस निपटान प्रस्ताव को सी. ओ. सी. में 100% वोटिंग शेयर द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए।विद्वान एस. जी. ने वल्लाल आर. सी. के बनाम शिवा इंडस्ट्रीज मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है।

ग

और होल्डिंग्स लिमिटेड और ओआरएस।:2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 717 और ब्रिलियंट

मिश्र धातु **(**पी**)** लिमिटेड बनामएस**.** राजगोपाल और अन्यः**(2022) 2** एससीसी **544**।

36. एडलवाइस और सहयोगियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी ने कहा कि सी. ओ. सी. में कुल 21.13% मतदान हिस्सेदारी के साथ कॉर्पोरेट देनदार के इन वित्तीय लेनदारों ने भी प्रश्नगत समाधान योजना के पक्ष में मतदान किया था और सी. ओ. सी. में मतदान हिस्सेदारी के 87.39% के साथ इस तरह से अनुमोदित योजना में हल्के से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था।विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि केवल संशोधित समाधान योजना पर विचार न करने के लिए, जिसे सी. ओ. सी. के कहने पर ही संशोधित किया गया था, अनुमोदन को सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक ज्ञान को दरकिनार नहीं किया जा सकता था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि संहिता की धारा 12-ए के संदर्भ में प्रवर्तकों का पूर्व प्रस्ताव पूरी तरह से अस्पष्ट था और इसे सी. ओ. सी. के समक्ष या एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष प्रस्तुत किए गए तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता था। समाधान आवेदक द्वारा जमा की गई राशि सहित चिंता के कुछ अन्य क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए, इन वित्तीय लेनदारों की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि सी. आई. आर. पी. को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, जबकि प्रवर्तक को स्विस चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से एक बेहतर समाधान योजना का प्रस्ताव करने का अधिकार दिया जाना चाहिए; और उस उद्देश्य के लिए, उसे कम से कम रु। उनके निपटान प्रस्ताव पर मतदान से पहले एक एस्क्रो खाते में 471.70 करोड़।

डी.

ई.

च

जी.

निर्धारण के लिए बिंदु

37. ऊपर जो देखा गया है और समग्र परिदृश्य को देखते हुए, अपीलों के इस समूह में निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रमुख बिंदु उत्पन्न होते हैंः

एच.

857

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

क. क्या निगमित देनदार की परिसंपत्तियों की मूल्यांकन प्रक्रिया सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 27 और 35 का उल्लंघन थी और इस प्रकार, समाधान योजना का अनुमोदन संहिता की धारा 30 (2) और 61 (3) का उल्लंघन था?बी. क्या सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 36-ए (2) (iii) का अनुपालन नहीं किया गया था क्योंकि निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रपत्र जी का प्रकाशन दिवालिया होने की शुरुआत की तारीख से 75 वें दिन के बाद नहीं हुआ था; और अनिवार्य रूप से विज्ञापन देने में विफलता का परिसंपत्ति मूल्य के अधिकतमकरण पर सीधा प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से जब कोविड-19 महामारी के समय लॉकडाउन के दौरान संपूर्ण सी. आई. आर. पी. का संचालन किया गया था?

ग

सी1।क्या समाधान आवेदक कंपनी अधिनियम की धारा 164 (2) (बी) के तहत निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य होने के कारण संहिता की धारा 29-ए (ई) के संदर्भ में समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य है?

सी2।क्या समाधान आवेदक एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य है ताकि ट्रस्ट "श्री बालाजी विद्यापीठ" के अहंकार के रूप में कार्य किया जा सके जिसे पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया था; और समाधान आवेदक द्वारा योजना प्रस्तुत करना ट्रस्ट अधिनियम की धारा 88 के आधार पर वर्जित है?

डी.

सी3।क्या विचाराधीन समाधान योजना कंपनी अधिनियम की धारा 166 (4) का उल्लंघन करती है और इसलिए, संहिता की धारा 30 (2) (ई) के संदर्भ में अनुमोदित नहीं की जा सकती है?

ई.

डी1.क्या अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि विचाराधीन समाधान योजना, जिसे अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष रखा गया था, अमान्य और गैर-कानूनी थी क्योंकि नौवीं सी. ओ. सी. बैठक दिनांक आई. डी. 2 में, समाधान योजना को आगे के संशोधन के लिए समाधान आवेदक को वापस भेज दिया गया था; और इसके बाद समाधान आवेदक द्वारा आई. डी. 1 पर प्रस्तुत की गई संशोधित समाधान योजना को सी. ओ. सी. के समक्ष मतदान के लिए रखे बिना सीधे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष दायर किया गया था?डी2.क्या अपीलीय न्यायाधिकरण ने समाधान पेशेवर के शुल्क में वृद्धि के खिलाफ टिप्पणियां करने और सी. ओ. सी. की मंजूरी के बिना न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष समाधान योजना प्रस्तुत करने के उनके निर्णय पर इसके प्रभाव की संभावना को मानते हुए गलती की है?

च

जी.

एच.

ई. क्या अपीलीय न्यायाधिकरण ने निगमित देनदार के संबंधित पक्ष के संबंध में गैर-भेदभाव के सिद्धांतों को लागू करने में गलती की है और इस तरह संबंधित पक्ष के लिए प्रावधान के अभाव के कारण प्रश्नगत समाधान योजना के खिलाफ पकड़ बनाई है?

च. क्या अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि संहिता की धारा 12-ए के संदर्भ में प्रवर्तक के निपटान प्रस्ताव को सी. ओ. सी. के विचार के लिए नहीं रखा गया था; और क्या इस तरह के प्रस्ताव पर विचार न करने का प्रश्नगत समाधान योजना के अनुमोदन के प्रश्न पर कोई प्रभाव पड़ता है?

जी. बाद की घटनाओं का क्या प्रभाव और प्रभाव है, विशेष रूप से सी. ओ. सी. द्वारा अपनी उन्नीसवीं बैठक में 12.10.2022 पर आयोजित मतदान हिस्सेदारी के बहुमत द्वारा प्रवर्तक के निपटान प्रस्ताव की मंजूरी का?

ग

प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान

38. हमने पक्षों और उनकी संबंधित स्थिति पर ध्यान दिया है; प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि के पहलुओं पर ध्यान दिया है, जिनके कारण वर्तमान अपीलों का दौर शुरू हुआ है, जिसमें सी. ओ. सी. की विभिन्न बैठकें और सी. आई. आर. पी. के दौरान हुई अन्य घटनाएं; एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के क्रमशः आई. डी. 1 और आई. डी. 2 के विवादित आदेश; और इन अपीलों में निर्धारित किए जाने वाले प्रमुख बिंदु शामिल हैं।आगे बढ़ने से पहले, वैधानिक प्रावधानों पर ध्यान देना सार्थक होगा, जो इन अपीलों में आग्रह की गई दलीलों के लिए प्रासंगिक हैं।

डी.

ई.

38.1.हम आई. बी. सी. के कुछ अन्य प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों पर भी ध्यान दे सकते हैं जिनमें धारा 12-ए शामिल है जो धारा 7,9 या 10 के तहत स्वीकार किए गए आवेदन को वापस लेने का प्रावधान करती है; सी. ओ. सी. के गठन और संरचना के संबंध में धारा 21; धारा 24 जो सी. ओ. सी. की बैठकों के बारे में निर्दिष्ट करती है; धारा 25 जो कॉर्पोरेट देनदार के संबंध

में समाधान पेशेवर के कर्तव्यों को निर्धारित करती है; धारा 29-ए जो प्रदान करती है कि कुछ व्यक्ति समाधान आवेदक होने के लिए अयोग्य हो सकते हैं; धारा 30 जो समाधान योजना प्रस्तुत करने से संबंधित है; धारा 31 जो समाधान योजना के अनुमोदन के लिए प्रदान करती है; धारा 32 जो समाधान योजना को मंजूरी देने के आदेश से अपील का प्रावधान करती है; धारा 61 जो अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की प्रक्रिया और आधार निर्धारित करती है; और धारा 238 जिसमें कहा गया है किये प्रावधान इस प्रकार हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

जी.

23 यह देखा जा सकता है कि जहां तक संभव हो, संशोधनों का संकेत देते हुए, प्रासंगिक प्रावधानों को यहां निकाला गया है जो वर्तमान में ध्यान देने योग्य हैं।

एच.

859

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

“ 24 धारा **12** ए। धारा **7,9** या **10** के तहत स्वीकार किए गए आवेदन की वापसी।**—**

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नब्बे प्रतिशत अनुमोदन के साथ आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के तहत स्वीकार किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति दे सकता है।लेनदारों की समिति का मतदान हिस्सा, इस तरह से जो निर्दिष्ट किया जाए।

धारा 21.ऋणदाताओं की समिति।- (1) अंतरिम संकल्प

व्यावसायिक, निगमित देनदार के खिलाफ प्राप्त सभी दावों के मिलान और निगमित देनदार की वित्तीय स्थिति के निर्धारण के बाद, लेनदारों की एक समिति का गठन करेगा।

ग

(2) लेनदारों की समिति में निगमित देनदार के सभी वित्तीय लेनदार शामिल होंगेः

बशर्ते कि 25 [वित्तीय लेनदार या धारा 24 की उप-धारा (6) या उप-धारा (6ए) या उप-धारा (5) में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदार के अधिकृत प्रतिनिधि, यदि वह निगमित देनदार का संबंधित पक्षकार है] को लेनदारों की समिति की बैठक में प्रतिनिधित्व, भागीदारी या मतदान का कोई अधिकार नहीं होगाः26 [बशर्ते कि पहला परंतुक किसी वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा विनियमित वित्तीय लेनदार पर लागू नहीं होगा, यदि वह निगमित देनदार का एक संबंधित पक्ष है जो केवल ऋण को इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय साधनों में परिवर्तित करने या प्रतिस्थापित करने के कारण है।

डी.

ई.

च

(3) 28 [उप-धारा (6) और (6ए) के अधीन रहते हुए, जहां निगमित देनदार पर संघ या समझौते के हिस्से के रूप में दो या दो से अधिक वित्तीय लेनदारों का वित्तीय ऋण बकाया है, ऐसा प्रत्येक वित्तीय लेनदार लेनदारों की समिति का हिस्सा होगा और उनका मतदान हिस्सा उन्हें देय वित्तीय ऋणों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

जी.

24 2018 के अधिनियम 26 द्वारा अंतःस्थापित, धारा. 9 (w.r.e.f। 6-6-2018)।

25 उप.2018 के अधिनियम 26 द्वारा, धारा. 15 (i) (a), "संबंधित पक्ष जिसके लिए एक कॉर्पोरेट देनदार पर वित्तीय ऋण बकाया है" (w.r.e.f)। 6-6-2018)।

26 2018 के अधिनियम 26 द्वारा अंतःस्थापित, धारा. 15 (i) (b) (w.r.e.f। 6-6-2018)।27 2020 के अधिनियम 1 द्वारा अंतःस्थापित, धारा। 7 (w.r.e.f। 28-12-2019)।

एच.

28 उप.2018 के अधिनियम 26 द्वारा, धारा. 15 (ii), "कहाँ" के लिए (w.r.e.f। 6-6-2018)।

(4) जहाँ कोई व्यक्ति वित्तीय लेनदार होने के साथ-साथ परिचालन लेनदार भी है, -

(क) ऐसा व्यक्ति निगमित देनदार द्वारा देय वित्तीय ऋण की सीमा तक एक वित्तीय लेनदार होगा, और लेनदारों की समिति में शामिल किया जाएगा, जिसमें ऐसे लेनदार को देय वित्तीय ऋणों की सीमा के अनुपात में मतदान का हिस्सा होगा;

(ख) ऐसे व्यक्ति को ऐसे लेनदार के लिए निगमित देनदार द्वारा देय परिचालन ऋण की सीमा तक एक परिचालन लेनदार माना जाएगा।

(5) जहां एक परिचालन लेनदार ने किसी वित्तीय लेनदार को कोई परिचालन ऋण सौंपा है या कानूनी रूप से हस्तांतरित किया है, तो समनुदेशिती या हस्तांतरणकर्ता को ऐसे कार्य या कानूनी हस्तांतरण की सीमा तक एक परिचालन लेनदार माना जाएगा।

ग

(6) जहां एक संघ व्यवस्था या सिंडिकेटेड सुविधा 29 [* * *] के हिस्से के रूप में विस्तारित वित्तीय ऋण की शर्तें सभी वित्तीय लेनदारों के लिए कार्य करने के लिए एक एकल ट्रस्टी या एजेंट का प्रावधान करती हैं, प्रत्येक वित्तीय लेनदार -

डी.

(क) न्यासी या अभिकर्ता को अपने मतदान के हिस्से की सीमा तक लेनदारों की समिति में अपनी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करें;

(ख) अपने मतदान के हिस्से की सीमा तक लेनदारों की समिति में अपना प्रतिनिधित्व करें;

ई.

(ग) अपने मतदान हिस्से की सीमा तक लेनदारों की समिति में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने खर्च पर एक दिवालिया पेशेवर (समाधान पेशेवर के अलावा) नियुक्त करें; या

(घ) एक या अधिक वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से या अलग-अलग अपने मतदान हिस्से की सीमा तक मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करें।

च

30 [(6(क) जहाँ वित्तीय ऋण -

(क) प्रतिभूतियों या जमाओं के रूप में है और वित्तीय ऋण की शर्तें सभी वित्तीय लेनदारों के लिए अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए एक ट्रस्टी या एजेंट की नियुक्ति के लिए प्रदान करती हैं, ऐसे ट्रस्टी या एजेंट ऐसे वित्तीय लेनदारों की ओर से कार्य करेंगे;

जी.

29 अधिनियम द्वारा "या प्रतिभूतियों के रूप में जारी" शब्दों को हटा दिया गया है। 2018 का सं. 26, सेक. 15 (iii) (w.r.e.f। 6-6-2018)।

30 2018 के अधिनियम 26 द्वारा अंतःस्थापित, धारा. 15 (iv) (w.r.e.f। 6-6-2018)।

एच.

861

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

(ख) खंड (क) या उप-धारा (6) के अंतर्गत आने वाले लेनदारों के अलावा, निर्दिष्ट संख्या से अधिक लेनदारों के लिए बकाया है, अंतरिम समाधान पेशेवर सभी वित्तीय लेनदारों की सूची के साथ, जिसमें अंतरिम समाधान पेशेवर के अलावा एक दिवालिया पेशेवर का नाम होगा, अपने अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन करेगा, जिसे लेनदारों की समिति की पहली बैठक से पहले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(ग) एक अभिभावक, निष्पादक या प्रशासक द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, ऐसा व्यक्ति ऐसे वित्तीय लेनदारों की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा,

ग

और खंड (ए) या खंड (बी) या खंड (सी) के तहत ऐसा अधिकृत प्रतिनिधि लेनदारों की समिति की बैठकों में भाग लेगा, और प्रत्येक वित्तीय लेनदार की ओर से अपने मतदान हिस्से की सीमा तक मतदान करेगा।

डी.

(6 बी) अधिकृत प्रतिनिधि को देय पारिश्रमिक-(i) उप-धारा (6 ए) के खंड (ए) और (सी) के तहत, यदि कोई हो, वित्तीय ऋण की शर्तों या प्रासंगिक दस्तावेजों के अनुसार होगा; और

ई.

((ii) उप-धारा (6 ए) के खंड (बी) के तहत जैसा निर्दिष्ट किया गया है, वह दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का हिस्सा होगा।]31 [(7) बोर्ड उप-धारा (6) और (6 ए) के तहत आने वाले वित्तीय ऋणों के संबंध में मतदान का तरीका और मतदान के हिस्से का निर्धारण निर्दिष्ट कर सकता है।

च

(8) इस संहिता में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, लेनदारों की समिति के सभी निर्णय कम से कम 51 प्रतिशत के मत से लिए जाएंगे।वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से काःबशर्ते कि जहां किसी निगमित देनदार के पास कोई वित्तीय लेनदार नहीं है, वहां लेनदारों की समिति का गठन किया जाएगा और इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जो ऐसी तरीके से ऐसे कार्यों का प्रयोग करेंगे जो निर्दिष्ट किया जाए।]

जी.

(9) ऋणदाताओं की समिति को समाधान पेशेवर से संबंध में कोई भी वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध करने का अधिकार होगा।

31 उप.2018 के अधिनियम 26 द्वारा, धारा. 15 (v), उप-धारा (7) और (8) (w.r.e.f) के लिए। 6-6-2018)।

एच.

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय निगमित देनदार को।

10) समाधान पेशेवर ऐसी मांग के सात दिनों की अवधि के भीतर उप-धारा (9) के तहत लेनदारों की समिति द्वारा आवश्यक कोई भी वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराएगा।

धारा 24.लेनदारों की समिति की बैठक।- (1) द.

लेनदारों की समिति के सदस्य व्यक्तिगत रूप से या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मिल सकते हैं जो निर्दिष्ट किए जाएं।

(2) ऋणदाताओं की समिति की सभी बैठकें समाधान पेशेवर द्वारा संचालित की जाएंगी।

ग

(3) समाधान पेशेवर ऋणदाताओं की समिति की प्रत्येक बैठक की सूचना देगा -

(क) धारा 21 की उप-धारा (6) और (6 क) और उप-धारा (5) में निर्दिष्ट अधिकृत प्रतिनिधियों सहित 32 [लेनदारों की समिति] के सदस्य;

डी.

(ख) निलंबित निदेशक मंडल के सदस्य या कॉर्पोरेट व्यक्तियों के भागीदार, जैसा भी मामला हो;

(ग) परिचालन लेनदार या उनके प्रतिनिधि यदि उनके कुल बकाया की राशि ऋण के दस प्रतिशत से कम नहीं है।(4) निदेशक, भागीदार और परिचालन ऋणदाताओं का एक प्रतिनिधि, जैसा कि उप-धारा (3) में निर्दिष्ट है, ऋणदाताओं की समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी बैठकों में मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होगाः

ई.

बशर्ते कि ऐसी किसी निदेशक, भागीदार या परिचालन ऋणदाताओं के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी बैठक की कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगी।

च

(5) 33 [धारा 21 की उप-धाराओं (6), (6 ए) और (6 बी) के अधीन रहते हुए, कोई भी लेनदार जो लेनदारों की समिति का सदस्य है, ऋणदाताओं की समिति की बैठक में ऐसे लेनदार का प्रतिनिधित्व करने के लिए समाधान पेशेवर के अलावा किसी अन्य दिवालिया पेशेवर को नियुक्त कर सकता हैः

जी.

32 उप.2018 के अधिनियम 26 द्वारा, धारा. 18 (i), "लेनदारों की समिति" के लिए (w.r.e.f। 6-6-2018)।33 उप.2018 के अधिनियम 26 द्वारा, धारा. 18 (ii), "किसी भी लेनदार" के लिए (w.r.e.f। 6-6-2018)।

एच.

क.

बशर्ते कि किसी भी व्यक्तिगत लेनदार का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे दिवालिया पेशेवर को देय शुल्क ऐसे लेनदार द्वारा वहन किया जाएगा।(6) प्रत्येक लेनदार ऐसे लेनदार को देय वित्तीय ऋणों के आधार पर उसे सौंपे गए मतदान हिस्से के अनुसार मतदान करेगा।(7) समाधान पेशेवर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से प्रत्येक लेनदार को सौंपे जाने वाले मतदान हिस्से का निर्धारण करेगा।(8) ऋणदाताओं की समिति की बैठकें उस तरीके से आयोजित की जाएंगी जो निर्दिष्ट की जाए।

धारा 25।समाधान पेशेवर के कर्तव्य।- (1) यह होगा।

निगमित देनदार की परिसंपत्तियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए समाधान पेशेवर का कर्तव्य, जिसमें निगमित देनदार का निरंतर व्यावसायिक संचालन भी शामिल है।

ग

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए समाधान पेशेवर निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:—

डी.

(क) निगमित देनदार के व्यावसायिक रिकॉर्ड सहित निगमित देनदार की सभी परिसंपत्तियों की तत्काल अभिरक्षा और नियंत्रण लेना;

(बी) तीसरे पक्ष के साथ कॉर्पोरेट देनदार की ओर से प्रतिनिधित्व और कार्य करें, न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या मध्यस्थता कार्यवाही में कॉर्पोरेट देनदार के लाभ के लिए अधिकारों का प्रयोग करें;

ई.

(ग) धारा 28 के तहत लेनदारों की समिति के अनुमोदन के अधीन अंतरिम वित्त जुटाना;

(घ) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से लेखाकार, कानूनी या अन्य पेशेवरों की नियुक्ति;

च

(ई) दावों की एक अद्यतन सूची बनाए रखें;

(च) ऋणदाताओं की समिति की सभी बैठकों को बुलाना और उसमें भाग लेना; (छ) धारा 29 के अनुसार सूचना ज्ञापन तैयार करना;

जी.

34 [(ज) संभावित समाधान आवेदकों को आमंत्रित करें, जो कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय की जटिलता और संचालन के पैमाने और ऐसी अन्य शर्तों को ध्यान में रखते हुए ऐसे मानदंडों को पूरा करते हैं जो लेनदारों की समिति के अनुमोदन से उनके द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

34 उप.2018 के अधिनियम 8 द्वारा, धारा. 4, खंड (एच) (w.r.e.f) के लिए। 23-11-2017)।

एच.

समाधान योजना या योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।]

((i) ऋणदाताओं की समिति की बैठकों में सभी समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करना।

(जे) अध्याय III, यदि कोई हो, के अनुसार लेन-देन से बचने के लिए आवेदन दायर करें; और

((ट) ऐसी अन्य कार्रवाइयां जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाएं।

35 [धारा **29** ए। वे व्यक्ति जो संकल्प के लिए पात्र नहीं हैं

आवेदक।– एक व्यक्ति एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति, या कोई अन्य व्यक्ति संयुक्त रूप से या ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर काम कर रहा है, -

ग

(क) एक अविमुक्त दिवालिया है;

(बी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के तहत जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एक जानबूझकर चूककर्ता है;

डी.

(ग) 36 [समाधान योजना जमा करते समय एक खाता है] या ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन या नियंत्रण के तहत एक निगमित देनदार का खाता या जिसका ऐसा व्यक्ति एक प्रवर्तक है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) 37 [या किसी अन्य कानून के तहत जारी वित्तीय क्षेत्र के नियामक के दिशानिर्देशों] के तहत जारी गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कम से कम एक वर्ष की अवधि इस तरह के वर्गीकरण की तारीख से निगमित देनदार की निगमित दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तारीख तक समाप्त हो गई हैः

ई.

च

बशर्ते कि व्यक्ति समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र होगा यदि ऐसा व्यक्ति समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले ब्याज और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति खातों से संबंधित शुल्कों के साथ सभी अतिदेय राशियों का भुगतान करता हैः

जी.

35 2018 के अधिनियम 8 द्वारा अंतःस्थापित, धारा। 5 (w.r.e.f। 23-11-2017)।

36 उप.2018 के अधिनियम 26 द्वारा, धारा. 22 (i) (A), "खाता है" के लिए, (w.r.e.f। 6-6-2018)।37 2018 के अधिनियम 26 द्वारा अंतःस्थापित, धारा. 22 (i) (B) (w.r.e.f। 6-6-2018)।

38 2018 के अधिनियम 26 द्वारा अंतःस्थापित, धारा. 22 (i) (C) (w.r.e.f। 6-6-2018)।

एच.

38 [बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी समाधान आवेदक पर लागू नहीं होगा जहां ऐसा आवेदक एक वित्तीय इकाई है और निगमित देनदार का संबंधित पक्ष नहीं है।

स्पष्टीकरण.आई.-इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "संबंधित पक्ष" अभिव्यक्ति में वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा विनियमित एक वित्तीय इकाई शामिल नहीं होगी, यदि वह निगमित देनदार का वित्तीय लेनदार है और निगमित देनदार का एक संबंधित पक्ष है,

जो दिवालिया होने की शुरुआत की तारीख से पहले ऋण को इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय उपकरणों में परिवर्तित करने या प्रतिस्थापित करने के कारण है।

ग

स्पष्टीकरण.II.-इस खंड के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी समाधान आवेदक का खाता है, या ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन या नियंत्रण में किसी निगमित देनदार का खाता है, या जिसका ऐसा व्यक्ति प्रवर्तक है, जिसे गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसा खाता इस संहिता के तहत अनुमोदित पूर्व समाधान योजना के अनुसार अर्जित किया गया था, तो इस खंड के प्रावधान इस संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा ऐसी समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए ऐसे समाधान आवेदक पर लागू नहीं होंगे।

डी.

40 [(घ) कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है -

ई.

(i) बारहवीं अनुसूची के तहत निर्दिष्ट किसी अधिनियम के तहत दो साल या उससे अधिक के लिए; या

((ii) वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत सात साल या उससे अधिक के लिएः

च

बशर्ते कि यह खंड किसी व्यक्ति को कारावास से रिहा होने की तारीख से दो साल की अवधि समाप्त होने के बाद लागू नहीं होगाः

बशर्ते कि यह खंड स्पष्टीकरण I के खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी संबंधित व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगा;] (ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हैः

जी.

39 2020 के अधिनियम 1 द्वारा अंतःस्थापित, धारा। 9 (i) (w.r.e.f। 28-12-2019)।

40 उप.2018 के अधिनियम 26 द्वारा, धारा. 22 (ii), खंड (d) (w.r.e.f के लिए। 6-6-2018)।

एच.

41 [बशर्ते कि यह खंड स्पष्टीकरण I के खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी संबंधित व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगा;]

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रतिभूतियों में व्यापार करने या प्रतिभूति बाजारों तक पहुँचने से प्रतिबंधित है; (छ) एक प्रवर्तक या एक निगमित देनदार के प्रबंधन या नियंत्रण में रहा है जिसमें एक तरजीही लेनदेन, कम मूल्य का लेनदेन, जबरन ऋण लेनदेन या धोखाधड़ी का लेनदेन हुआ है और जिसके संबंध में इस संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा एक आदेश दिया गया हैः

42 [बशर्ते कि यह खंड तब लागू नहीं होगा जब इस संहिता के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार या वित्तीय क्षेत्र के नियामक या अदालत द्वारा अनुमोदित योजना या योजना के अनुसरण में समाधान आवेदक द्वारा कॉर्पोरेट देनदार के अधिग्रहण से पहले कोई तरजीही लेनदेन, कम मूल्य का लेनदेन, जबरन ऋण लेनदेन या धोखाधड़ी वाला लेनदेन हुआ हो और ऐसे

समाधान आवेदक ने अन्यथा तरजीही लेनदेन, कम मूल्य वाले लेनदेन, जबरन ऋण लेनदेन या धोखाधड़ी वाले लेनदेन में योगदान नहीं दिया हो।

ग

डी.

(ज) एक निगमित देनदार के संबंध में एक लेनदार के पक्ष में 43 [एक गारंटी] को निष्पादित किया है जिसके खिलाफ ऐसे लेनदार द्वारा किए गए दिवालिया समाधान के लिए एक आवेदन इस संहिता 44 के तहत स्वीकार किया गया है [और ऐसी गारंटी लेनदार द्वारा लागू की गई है और पूर्ण या आंशिक रूप से अवैतनिक बनी हुई है];

ई.

(i) भारत के बाहर किसी अधिकार क्षेत्र में किसी भी कानून के तहत खंड (ए) से (एच) के अनुरूप किसी भी विकलांगता के अधीन है; या

च

(जे) एक संबंधित व्यक्ति है जो खंड (ए) से (आई) 46 [स्पष्टीकरण] के तहत पात्र नहीं है।I]।— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "संबंधित व्यक्ति" अभिव्यक्ति का अर्थ है -

41 2018 के अधिनियम 26 द्वारा अंतःस्थापित, धारा. 22 (iii) (w.r.e.f। 6-6-2018)।42 2018 के अधिनियम 26 द्वारा अंतःस्थापित, धारा. 22 (iv) (w.r.e.f। 6-6-2018)।

जी.

43 उप.2018 के अधिनियम 26 द्वारा, धारा. 22 (v) (A), "एक प्रवर्तनीय गारंटी" (w.r.e.f) के लिए। 6-6-2018)।

44 2018 के अधिनियम 26 द्वारा अंतःस्थापित, धारा. 22 (v) (B) (w.r.e.f। 6-6-2018)।

45 उप.2018 के अधिनियम 26 द्वारा, धारा. 22 (vi), के लिए "किया गया है" (w.r.e.f। 6-6-2018)।

46 2018 के अधिनियम 26 द्वारा स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण I के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया। 22 (vii) (w.r.e.f। 6-6-2018)।

एच.

867

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

((i) कोई भी व्यक्ति जो प्रस्ताव आवेदक का प्रवर्तक या प्रबंधन या नियंत्रण में है; या

((ख) कोई भी व्यक्ति जो समाधान योजना के कार्यान्वयन के दौरान निगमित देनदार के व्यवसाय का प्रवर्तक या प्रबंधन या नियंत्रण करेगा; या

((iii) खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की धारक कंपनी, सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी या संबंधित पक्ष।47 [बशर्ते कि स्पष्टीकरण I के खंड (iii) में कुछ भी समाधान आवेदक पर लागू नहीं होगा जहां ऐसा आवेदक एक वित्तीय इकाई है और निगमित देनदार का संबंधित पक्षकार नहीं हैः

ग

बशर्ते कि "संबंधित पक्ष" अभिव्यक्ति में वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा विनियमित एक वित्तीय इकाई शामिल नहीं होगी, यदि वह निगमित देनदार का वित्तीय लेनदार है और निगमित देनदार का एक संबंधित पक्ष है जो केवल ऋण को इक्विटी शेयरों या

इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय उपकरणों में परिवर्तित करने या प्रतिस्थापित करने के कारण है।II.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "वित्तीय संस्था" का अर्थ निम्नलिखित संस्थाएं होंगी जो ऐसे मानदंडों या शर्तों को पूरा करती हैं जिन्हें केंद्र सरकार वित्तीय क्षेत्र के नियामक के परामर्श से इस संबंध में अधिसूचित कर सकती है, अर्थात्:— (क) एक अनुसूचित बैंक;

डी.

ई.

(बी) किसी विदेशी केंद्रीय बैंक या प्रतिभूति बाजार नियामक या भारत के बाहर किसी क्षेत्राधिकार के अन्य वित्तीय क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित कोई भी इकाई जो वित्तीय कार्रवाई कार्य बल मानकों का अनुपालन करती है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरकर्ता है;

च

(ग) कोई भी निवेश वाहन, पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक या एक विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, जहां शर्तों का अर्थ विदेशी मुद्रा प्रबंधन के विनियमन 2 में उन्हें सौंपा गया है (भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण या जारी करना)

जी.

47 उप.2018 के अधिनियम 26 द्वारा, धारा. 22 (vii), परंतुक (w.r.e.f) के लिए। 6-6-2018)।48 2020 के अधिनियम 1 द्वारा अंतःस्थापित, धारा। 9 (ii) (w.r.e.f। 28-12-2019)।

49 2018 के अधिनियम 26 द्वारा अंतःस्थापित, धारा. 22 (viii) (w.r.e.f। 6-6-2018)।

एच.

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के तहत बनाए गए विनियम, 2017;

(घ) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 3 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत एक वैकल्पिक निवेश कोष;

(च) व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियाँ जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।]

ग

धारा 30.समाधान योजना प्रस्तुत करना।- (1) एक संकल्प

आवेदक सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार किए गए समाधान पेशेवर को एक समाधान योजना 50 [एक हलफनामे के साथ जिसमें कहा गया है कि वह धारा 29 ए के तहत पात्र है] प्रस्तुत कर सकता है।(2) समाधान पेशेवर अपने द्वारा प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की जांच करेगा ताकि यह पुष्टि की जा सके कि प्रत्येक समाधान योजना -

डी.

(क) निगमित देनदार के अन्य ऋणों के 51 [भुगतान] को प्राथमिकता देते हुए बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों के भुगतान का प्रावधान करता है;

52 [(ख) प्रचालन ऋणदाताओं के ऋणों के भुगतान के लिए ऐसी रीति का प्रावधान करता है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाए जो -

ई.

(i) धारा 53 के तहत निगमित देनदार के परिसमापन की स्थिति में ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि; या

च

((ख) वह राशि जो ऐसे लेनदारों को दी जाती, यदि समाधान योजना के तहत वितरित की जाने वाली राशि धारा 53 की उप-धारा (1) में प्राथमिकता के क्रम के अनुसार वितरित की गई होती, जो भी अधिक हो, और वित्तीय लेनदारों के ऋणों के भुगतान के लिए प्रावधान करता है, जो समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, ऐसी तरीके से जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाए, जो ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगी।

जी.

50 2018 के अधिनियम 26 द्वारा अंतःस्थापित, धारा. 23 (i) (w.r.e.f। 6-6-2018)

51 उप.2018 के अधिनियम 26 द्वारा, धारा. 23 (ii) (ए) "पुनर्भुगतान" के लिए (w.r.e.f। 6-6-2018)

52 उप.2019 के अधिनियम 26 द्वारा, धारा. 6 (क), खंड (ख) के लिए 16-8-2019, एस. ओ. 2953 (ई), दिनांक 16 अगस्त, 2019 के माध्यम से]।

एच.

क.

निगमित देनदार के परिसमापन की स्थिति में धारा 53 की उप-धारा (1) के अनुसार।

स्पष्टीकरण 1.—संदेहों को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के प्रावधानों के अनुसार वितरण ऐसे लेनदारों के लिए उचित और न्यायसंगत होगा।

स्पष्टीकरण 2.— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से इस खंड के प्रावधान एक निगमित देनदार की निगमित दिवालियापन समाधान प्रक्रिया पर भी लागू होंगे -

ग

(i) जहाँ किसी समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित या अस्वीकार नहीं किया गया है;

((ख) जहां धारा 61 या धारा 62 के तहत कोई अपील की गई है या ऐसी अपील उस समय लागू कानून के किसी प्रावधान के तहत प्रतिबंधित नहीं है; या

डी.

((ग) जहाँ किसी समाधान योजना के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है;]

(ग) समाधान योजना के अनुमोदन के बाद निगमित देनदार के मामलों के प्रबंधन का प्रावधान करता है;

ई.

(घ) समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण; (ङ) उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।

(च) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है।

च

53 [स्पष्टीकरण।— खंड (ई) के प्रयोजनों के लिए, यदि समाधान योजना के तहत कार्यों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या किसी अन्य कानून के तहत शेयरधारकों की किसी भी मंजूरी की आवश्यकता है, तो ऐसी मंजूरी दी गई मानी जाएगी और यह उस अधिनियम या कानून का उल्लंघन नहीं होगा।

जी.

(3) समाधान पेशेवर अपने अनुमोदन के लिए लेनदारों की समिति के समक्ष ऐसी समाधान योजनाएं प्रस्तुत करेगा जो उप-धारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों की पुष्टि करती हैं।

एच.

53 2018 के अधिनियम 26 द्वारा अंतःस्थापित, धारा. 23 (ii) (B) (w.r.e.f। 6-6-2018)

54 [(4) लेनदारों की समिति कम से कम 55 [छियासठ] प्रतिशत के मत से एक समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है। वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से का, इसकी व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद, 56 [प्रस्तावित वितरण का तरीका, जो धारा 53 की उप-धारा (1) में निर्धारित लेनदारों के बीच प्राथमिकता के क्रम को ध्यान में रख सकता है, जिसमें एक सुरक्षित लेनदार के प्रतिभूति हित की प्राथमिकता और मूल्य शामिल हैं] और ऐसी अन्य आवश्यकताएं जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैंः

बशर्ते कि ऋणदाताओं की समिति दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश 7) के प्रारंभ से पहले प्रस्तुत एक समाधान योजना को मंजूरी नहीं देगी, जहां समाधान आवेदक धारा 29 ए के तहत अयोग्य है और समाधान पेशेवर से एक नई समाधान योजना आमंत्रित करने की आवश्यकता हो सकती है जहां कोई अन्य समाधान योजना उपलब्ध नहीं हैः

ग

बशर्ते कि जहां पहले परंतुक में निर्दिष्ट समाधान आवेदक धारा 29 ए के खंड (सी) के तहत अयोग्य है, समाधान आवेदक को लेनदारों की समिति द्वारा ऐसी अवधि, जो तीस दिनों से अधिक नहीं हो, धारा 29 ए के खंड (सी) के परंतुक के अनुसार अतिदेय राशियों का भुगतान करने की अनुमति दी जाएगीः

डी.

ई.

बशर्ते कि दूसरे परंतुक में कुछ भी धारा 12 की उप-धारा (3) के परंतुक के प्रयोजनों के लिए अवधि के विस्तार के रूप में नहीं माना जाएगा, और निगमित दिवालिया समाधान प्रक्रिया उस उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।]

च

57 [बशर्ते कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का आदेश 6) द्वारा संशोधित धारा 29 ए में पात्रता मानदंड उस समाधान आवेदक पर लागू होंगे जिसने दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का आदेश 6) के प्रारंभ की तारीख तक समाधान योजना प्रस्तुत नहीं की है।]

जी.

54 उप.2018 के अधिनियम 8 द्वारा, धारा. 6, उप-धारा (4) (w.r.e.f) के लिए। 23-11-2017)।55 उप.2018 के अधिनियम 26 द्वारा, धारा. 23 (iii) (a) "पचहत्तर" (w.r.e.f) के लिए। 6-6-2018) 56 इंस. 2019 के अधिनियम 26 द्वारा, सेक। 6 (बी) [डब्ल्यू. ई. एफ. 16-8-2019, एस. ओ. 2953 (ई) दिनांक 16 अगस्त, 2019 के माध्यम से)।

57 2018 के अधिनियम 26 द्वारा अंतःस्थापित, धारा. 23 (iii) (b) (w.r.e.f। 6-6-2018)।

एच.

871

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

(5) समाधान आवेदक ऋणदाताओं की समिति की बैठक में भाग ले सकता है जिसमें आवेदक की समाधान योजना पर विचार किया जाता हैः

बशर्ते कि समाधान आवेदक को लेनदारों की समिति की बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसा समाधान आवेदक भी वित्तीय लेनदार न हो।

(6) समाधान पेशेवर ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

धारा **31.**समाधान योजना की स्वीकृति।**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

ग

(1) यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि धारा 30 की उप-धारा (4) के तहत लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो वह आदेश द्वारा उस समाधान योजना को मंजूरी देगा जो निगमित देनदार और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों पर बाध्यकारी होगी।

डी.

ई.

59 [बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, इस उप-धारा के तहत समाधान योजना के अनुमोदन के लिए एक आदेश पारित करने से पहले, यह संतुष्ट करेगा कि समाधान योजना में इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रावधान हैं।]

च

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि समाधान योजना उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पुष्टि नहीं करती है, वह एक आदेश द्वारा समाधान योजना को अस्वीकार कर सकता है।

(3) उप-धारा (1) के तहत अनुमोदन के आदेश के बाद, -

(क) धारा 14 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित अधिस्थगन आदेश का प्रभाव समाप्त हो जाएगा; और

जी.

58 इंस. 2019 के अधिनियम 26 द्वारा, धारा. 7 [डब्ल्यू. ई. एफ. 16-8-2019, एस. ओ. 2953 (ई), दिनांक 16 अगस्त, 2019 के माध्यम से]।

59 2018 के अधिनियम 26 द्वारा अंतःस्थापित, धारा। 24 (ए) (w.r.e.f। 6-6-2018)।

एच.

872

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

(ख) समाधान पेशेवर निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के संचालन और समाधान योजना से संबंधित सभी रिकॉर्ड बोर्ड को उसके डेटाबेस पर दर्ज करने के लिए भेजेगा।60 [(4) समाधान आवेदक, उप-धारा (1) के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, उप-धारा (1) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर, जो भी बाद में हो, किसी भी कानून के तहत आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा।

बशर्ते कि जहां समाधान योजना में संयोजन का प्रावधान है, जैसा कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 5 में संदर्भित है, समाधान आवेदक ऋणदाताओं की समिति द्वारा ऐसी समाधान योजना के अनुमोदन से पहले उस अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा।धारा 32.अपील करें।- समाधान योजना को मंजूरी देने वाले आदेश की कोई भी अपील धारा 61 की उप-धारा (3) में निर्धारित तरीके और आधारों पर होगी।

ग

डी.

धारा 61.अपील और अपीलीय प्राधिकरण।- (1)

कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) के तहत इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, इस भाग के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है।

ई.

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अपील तीस दिनों के भीतर राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाएगीःबशर्ते कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील दायर करने की अनुमति दे सकता है यदि यह संतुष्ट हो कि अपील दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था लेकिन ऐसी अवधि पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होगी।(3) धारा 31 के तहत समाधान योजना को मंजूरी देने वाले आदेश के खिलाफ अपील निम्नलिखित आधारों पर दायर की जा सकती है, अर्थात्ः

च

जी.

((i) अनुमोदित समाधान योजना उस समय लागू किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है।

60 2018 के अधिनियम 26 द्वारा अंतःस्थापित, धारा. 24 (बी) (w.r.e.f। 6-6-2018)।

एच.

873

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

((ii) निगमित दिवाला समाधान अवधि के दौरान समाधान पेशेवर द्वारा शक्तियों के प्रयोग में भौतिक अनियमितता हुई है;

((ग) निगमित देनदार के परिचालन ऋणदाताओं को देय ऋणों का समाधान योजना में बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से प्रावधान नहीं किया गया है;

((iv) अन्य सभी ऋणों की तुलना में प्राथमिकता से पुनर्भुगतान के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का प्रावधान नहीं किया गया है; या

(v) समाधान योजना बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मानदंड का पालन नहीं करती है।

ग

[61 (4) धारा 33, या धारा 54 एल की उप-धारा (4), या धारा 54 एन की उप-धारा (4) के तहत पारित परिसमापन आदेश के खिलाफ अपील ऐसे परिसमापन आदेश के संबंध में की गई भौतिक अनियमितता या धोखाधड़ी के आधार पर दायर की जा सकती है।

(5) धारा 54-ओ की उप-धारा (2) के तहत पारित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के आदेश के खिलाफ अपील, ऐसे आदेश के संबंध में की गई भौतिक अनियमितता या धोखाधड़ी के आधार पर दायर की जा सकती है।]

डी.

धारा **238**।अन्य कानूनों को ओवरराइड करने के लिए इस संहिता के प्रावधान।**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

इस संहिता के प्रावधानों का प्रभाव होगा, इसके बावजूद कि उस समय लागू किसी अन्य कानून या किसी ऐसे कानून के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी दस्तावेज में कुछ भी असंगत है।"

ई.

38.2.हम सी. आई. आर. पी. विनियमों में विनियमों पर भी ध्यान दे सकते हैं जो वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए निम्नानुसार प्रासंगिक हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

62 [27.पेशेवरों की नियुक्ति।**- (1)** संकल्प

पेशेवर अपनी नियुक्ति के सात दिनों के भीतर लेकिन दिवाला शुरू होने के सैंतालीसवें दिन के बाद नहीं

61 उप.2021 के अधिनियम 26 द्वारा, धारा. 9, उप-धारा (4) (w.r.e.f) के लिए। 4-4-2021)।प्रतिस्थापन से पहले उप-धारा (4) निम्नानुसार थीः

जी.

“(4) धारा 33 के तहत पारित परिसमापन आदेश के खिलाफ अपील ऐसे परिसमापन आदेश के संबंध में की गई भौतिक अनियमितता या धोखाधड़ी के आधार पर दायर की जा सकती है।"

62 अधिसूचना संख्या द्वारा प्रतिस्थापित। विनियमन 27 के लिए आई. बी. बी. आई./2021-22 जी. एन./आर. ई. जी. 075, दिनांक 14 जुलाई, 2021 14-7-2021)।इससे पहले विनियमन 27 को अधिसूचना संख्या 27 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। आई. बी. बी. आई./2017-18 जी. एन./आर. ई. जी. 024, दिनांक 6 फरवरी, 2018 (से. 6-2-2018) और संशोधित

एच.

तारीख, विनियमन 35 के अनुसार निगमित देनदार के उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य को निर्धारित करने के लिए दो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त करें।

(2) अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के संचालन में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए उप-विनियमन (1) के तहत पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं के अलावा किसी भी पेशेवर को नियुक्त कर सकता है, यदि उसकी राय है कि ऐसे पेशेवर की सेवाओं की आवश्यकता है और ऐसी सेवाएं निगमित देनदार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(3) अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, एक उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए इस विनियमन के तहत एक पेशेवर की नियुक्ति करेगाः

ग

बशर्ते कि निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, अर्थात्:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

(ए) समाधान पेशेवर का एक रिश्तेदार; (बी) कॉर्पोरेट देनदार का एक संबंधित पक्ष;

(ग) दिवाला शुरू होने की तारीख से पहले पांच साल की अवधि के दौरान किसी भी समय निगमित देनदार का लेखा परीक्षक;
(घ) दिवाला पेशेवर इकाई का एक भागीदार या निदेशक जिसमें समाधान पेशेवर एक भागीदार या निदेशक है।

ई.

अधिसूचना सं। आई. बी. बी. आई./2018-19 जी. एन./आर. ई. जी. 031, दिनांक 3 जुलाई, 2018 (से. 4-7-2018)। प्रतिस्थापन से पहले विनियमन 27 निम्नानुसार थाः

च

“27. पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति।- समाधान पेशेवर अपनी नियुक्ति के सात दिनों के भीतर, लेकिन दिवाला शुरू होने की तारीख से सैंतालीसवें दिन के बाद नहीं, विनियमन 35 के अनुसार कॉर्पोरेट देनदार के उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य को निर्धारित करने के लिए दो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त करेगाः

बशर्ते कि निम्नलिखित व्यक्तियों को पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, अर्थात्:

जी.

(ए) समाधान पेशेवर का एक रिश्तेदार; (बी) कॉर्पोरेट देनदार का एक संबंधित पक्ष;

(ग) दिवाला शुरू होने की तारीख से पहले के पांच वर्षों के दौरान किसी भी समय निगमित देनदार का लेखा परीक्षक; या

(घ) दिवाला पेशेवर इकाई का एक भागीदार या निदेशक जिसमें समाधान पेशेवर एक भागीदार या निदेशक है।

एच.

(4) इस विनियमन के तहत नियुक्त पेशेवर द्वारा किए गए शुल्क और अन्य खर्चों के लिए चालान पेशेवर के नाम पर उठाया जाएगा और सीधे ऐसे पेशेवर के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा।]

63 [30A. आवेदन वापस लेना।**- (1)** के लिए आवेदन

धारा 12 ए के तहत निकासी न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को की जा सकती है -

(क) समिति के गठन से पहले, आवेदक द्वारा अंतरिम समाधान पेशेवर के माध्यम से;

(ख) समिति के गठन के बाद, आवेदक द्वारा अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर के माध्यम से, जैसा भी मामला हो सकता हैः

ग

बशर्ते कि जहां विनियम 36 ए के तहत ब्याज की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण जारी होने के बाद खंड (बी) के तहत आवेदन किया जाता है, वहां आवेदक ऐसे निमंत्रण जारी होने के बाद वापसी को उचित ठहराते हुए कारण बताएगा।

डी.

(2) उप-विनियमन (1) के तहत आवेदन अनुसूची के प्रपत्र-एफ. ए. में बैंक गारंटी के साथ किया जाएगा -

(क) विनियमन 33 के प्रयोजनों के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर पर या उसके द्वारा उप-विनियमन (1) के खंड (क) के तहत आवेदन दाखिल करने की तारीख तक किए गए अनुमानित खर्चों के लिए; या

ई.

(ख) विनियम 31 के खंड (एए), (एबी), (सी) और (डी) के प्रयोजनों के लिए उप-विनियम (1) के खंड (बी) के तहत आवेदन दायर करने की तारीख तक किए गए अनुमानित खर्चों के लिए।

च

(3) जहां निकासी के लिए आवेदन उप-विनियमन (1) के खंड (ए) के तहत है, अंतरिम समाधान पेशेवर अपनी प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर आवेदक की ओर से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(4) जहां निकासी के लिए आवेदन उप-विनियमन (1) के खंड (बी) के तहत है, समिति आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर उस पर विचार करेगी।

जी.

63 उप.अधिसूचना सं। विनियमन 30 ए के लिए आई. बी. बी. आई./2019-20 जी. एन./आर. ई. जी. 048, दिनांक 25 जुलाई, 2019 25-7-2019)।

एच.

(5) जहाँ उप-विनियमन (4) में निर्दिष्ट आवेदन को नब्बे प्रतिशत मतदान हिस्सेदारी के साथ समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, वहाँ समाधान पेशेवर ऐसे अनुमोदन के तीन दिनों के भीतर, आवेदक की ओर से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को समिति के अनुमोदन के साथ ऐसा आवेदन प्रस्तुत करेगा।(6) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, आदेश द्वारा, उप-विनियमन (3) या (5) के तहत प्रस्तुत आवेदन को मंजूरी दे सकता है।

(7) जहां आवेदन को उप-विनियमन (6) के तहत अनुमोदित किया जाता है, वहां आवेदक उप-विनियमन (2) के खंड (ए) या खंड (बी) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किए गए वास्तविक खर्चों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन की तारीख तक, जैसा कि अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऐसे अनुमोदन के तीन दिनों के भीतर, कॉर्पोरेट देनदार के बैंक खाते में जमा करेगा, जिसमें विफल रहने पर उप-विनियमन (2) के तहत प्राप्त बैंक गारंटी को संहिता के तहत आवेदक के खिलाफ अनुमत किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू किया जाएगा।

ग

डी.

64 [35.उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य।**- (1)** उचित मूल्य और

परिसमापन मूल्य निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगाः- (क) विनियमन 27 के तहत नियुक्त दो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता निगमित देनदार की सूची और अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के बाद, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मूल्यांकन मानकों के अनुसार गणना किए गए उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य का अनुमान समाधान पेशेवर को प्रस्तुत करेंगे।

ई.

(ख) यदि समाधान पेशेवर की राय में, किसी मूल्य के दो अनुमान काफी भिन्न हैं, तो वह एक अन्य पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता नियुक्त कर सकता है जो उसी तरीके से गणना किए गए मूल्य का अनुमान प्रस्तुत करेगा; और

च

(ग) किसी मूल्य के दो निकटतम अनुमानों के औसत को उचित मूल्य या परिसमापन मूल्य माना जाएगा, जैसा भी मामला हो।

जी.

(2) संहिता और इन नियमों के अनुसार समाधान योजनाओं की प्राप्ति के बाद, समाधान पेशेवर प्रदान करेगा

64 उप.अधिसूचना सं। विनियमन 35 के लिए आई. बी. बी. आई./2017-18 जी. एन./आर. ई. जी. 024, दिनांक 6 फरवरी, 2018 6-2-2018)।

एच.

877

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

समिति के प्रत्येक सदस्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य, सदस्य से इस आशय का वचन प्राप्त होने पर कि ऐसा सदस्य उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य की गोपनीयता बनाए रखेगा और ऐसे मूल्यों का उपयोग अपने या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ या अनुचित नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करेगा और धारा 29 की उप-धारा (2) के तहत आवश्यकताओं का पालन करेगा।

(3) समाधान पेशेवर और पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य की गोपनीयता बनाए रखेंगे।"

65 [36 ए**.** रुचि की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण।**- (1)** द**.**

समाधान पेशेवर इच्छुक और योग्य संभावित समाधान आवेदकों से समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अनुसूची के फॉर्म जी में रुचि की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण का संक्षिप्त विवरण जल्द से जल्द, दिवालिया होने की शुरुआत की तारीख से पचहत्तरवें दिन के बाद प्रकाशित करेंगे।

ग

(2) समाधान पेशेवर फॉर्म जी प्रकाशित करेगा -

डी.

(i) निगमित ऋणदाता के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय, यदि कोई हो, के स्थान पर व्यापक प्रसार के साथ एक अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में और किसी अन्य स्थान पर जहां समाधान पेशेवर की राय में निगमित ऋणदाता भौतिक व्यावसायिक संचालन करता है;

ई.

((ख) निगमित देनदार की वेबसाइट पर, यदि कोई हो;

((ग) इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट वेबसाइट पर, यदि कोई हो; और

((iv) किसी अन्य तरीके से जो समिति द्वारा तय किया जाए।(3) अनुसूची में फॉर्म जी होगा -

च

(क) जहां रुचि की अभिव्यक्ति के लिए विस्तृत निमंत्रण डाउनलोड किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो; और (ख) रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि प्रदान करें जो विस्तृत निमंत्रण जारी करने की तारीख से पंद्रह दिनों से कम नहीं होगी।

जी.

(4) उप-विनियमन (3) में निर्दिष्ट विस्तृत निमंत्रण -

65 उप.अधिसूचना सं। विनियमन 36 ए के लिए आई. बी. बी. आई./2018-19 जी. एन./आर. ई. जी. 031, दिनांक 3 जुलाई, 2018 4-7-2018)।

एच.

878

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

(क) धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अनुसार समिति द्वारा अनुमोदित संभावित समाधान आवेदकों के लिए मानदंड निर्दिष्ट करें;

(ख) संभावित समाधान आवेदकों के लिए लागू सीमा तक धारा 29 ए के तहत अयोग्यता मानदंडों को बताएँ;

(ग) निगमित देनदार के बारे में ऐसी बुनियादी जानकारी प्रदान करें जो ब्याज की अभिव्यक्ति के लिए संभावित समाधान आवेदक द्वारा आवश्यक हो; और

(घ) ब्याज की अभिव्यक्ति जमा करने के लिए किसी भी शुल्क या किसी भी गैर-वापसी योग्य जमा के भुगतान की आवश्यकता नहीं है।

ग

66 [(4 ए) रुचि की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण में कोई भी संशोधन उस तरीके से किया जा सकता है जैसे रुचि की अभिव्यक्ति के लिए प्रारंभिक निमंत्रण दिया गया थाः

बशर्ते कि ऐसा संशोधन एक से अधिक बार नहीं किया जाएगा।](5) एक संभावित समाधान आवेदक, जो रुचि की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण की आवश्यकताओं को पूरा करता है, उप-विनियमन (3) के खंड (बी) के तहत निमंत्रण में निर्दिष्ट समय के भीतर रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है।

डी.

(6) उप-विनियमन (3) के खंड (बी) के तहत निमंत्रण में निर्दिष्ट समय के बाद प्राप्त ब्याज की अभिव्यक्ति को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ई.

(7) रुचि की अभिव्यक्ति बिना शर्त होगी और इसके साथ होगी -

(क) भावी समाधान आवेदक द्वारा एक वचन कि वह धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत समिति द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है;

च

(ख) खंड (क) के तहत मानदंडों को पूरा करने के साक्ष्य में प्रासंगिक रिकॉर्ड;

(ग) भावी समाधान आवेदक द्वारा एक वचन कि वह धारा 29 क के तहत लागू सीमा तक किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त नहीं है;

जी.

66 अधिसूचना सं. आई. बी. बी. आई./2021-22 जी. एन./आर. ई. जी. 078, दिनांक 30 सितंबर, 2021 (से. 30-9-2021)।

एच.

879

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

(घ) खंड (ग) के तहत अयोग्यता के आकलन को सक्षम करने के लिए प्रासंगिक जानकारी और रिकॉर्ड;

(ई) संभावित समाधान आवेदक द्वारा एक वचन कि वह समाधान पेशेवर को तुरंत सूचित करेगा यदि वह कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय अयोग्य हो जाता है;

(च) संभावित समाधान आवेदक द्वारा एक वचन कि ब्याज की अभिव्यक्ति में प्रदान की गई प्रत्येक जानकारी और रिकॉर्ड सही और सही है और किसी भी समय किसी भी गलत जानकारी या रिकॉर्ड की खोज आवेदक को समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य बना देगी, किसी भी वापसी योग्य जमा राशि को जब्त कर लेगी, और संहिता के तहत दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित करेगी; और

ग

(छ) भावी समाधान आवेदक द्वारा इस आशय का वचन कि वह सूचना की गोपनीयता बनाए रखेगा और ऐसी जानकारी का उपयोग अपने या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ या अनुचित नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करेगा और धारा 29 की उप-धारा (2) के तहत आवश्यकताओं का पालन करेगा।

डी.

(8) समाधान पेशेवर रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर उचित परिश्रम करेगा ताकि यह संतुष्ट किया जा सके कि संभावित समाधान आवेदक -

ई.

(क) धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के प्रावधान; (ख) धारा 29 क के लागू प्रावधान, और

(ग) अन्य आवश्यकताएँ, जैसा कि रुचि की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण में निर्दिष्ट है।

(9) समाधान पेशेवर उप-विनियमन (8) के तहत उचित परिश्रम करने के लिए संभावित समाधान आवेदक से कोई स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज मांग सकता है।(10) समाधान पेशेवर समिति और रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने वाले सभी संभावित समाधान आवेदकों को रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि के दस दिनों के भीतर योग्य संभावित समाधान आवेदकों की एक अनंतिम सूची जारी करेगा।

च

जी.

(11) उप-अनुच्छेद में निर्दिष्ट अनंतिम सूची में किसी संभावित समाधान आवेदक को शामिल करने या बाहर करने पर कोई आपत्ति।

एच.

विनियमन (10) अस्थायी सूची जारी होने की तारीख से पाँच दिनों के भीतर सहायक दस्तावेजों के साथ बनाया जा सकता है।

(12) उप-विनियमन (11) के तहत प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने पर, समाधान पेशेवर समिति को आपत्तियों की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि के दस दिनों के भीतर संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करेगा।]

67 [37.समाधान योजना।- एक समाधान योजना अपनी परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए निगमित देनदार के दिवालिया होने के समाधान के लिए आवश्यक उपायों के लिए प्रावधान करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

(क) निगमित देनदार की सभी या कुछ परिसंपत्तियों का एक या अधिक व्यक्तियों को हस्तांतरण;

(ख) परिसंपत्तियों के सभी या कुछ हिस्से की बिक्री, चाहे वह किसी प्रतिभूति हित के अधीन हो या नहीं;

68 [(ख) विलय, समामेलन और विलयन के माध्यम से निगमित देनदार का पुनर्गठन;]

डी.

(ग) निगमित देनदार के शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण, या निगमित देनदार का एक या अधिक व्यक्तियों के साथ विलय या समेकन;

69 [(ग) निगमित देनदार के किसी भी शेयर को रद्द करना या उसकी सूची से हटाना, यदि लागू हो;]

ई.

((घ) किसी भी प्रतिभूति हित की संतुष्टि या संशोधन;

(ई) निगमित देनदार से देय किसी भी ऋण की शर्तों के किसी भी उल्लंघन का इलाज या माफी;

च

(च) लेनदारों को देय राशि में कमी;

(छ) परिपक्वता तिथि का विस्तार या ब्याज दर में परिवर्तन या कॉर्पोरेट देनदार से देय ऋण की अन्य शर्तें;

(ज) निगमित देनदार के संवैधानिक दस्तावेजों में संशोधन;

जी.

67 उप.अधिसूचना सं। विनियमन 37 के लिए आई. बी. बी. आई./2017-18 जी. एन./आर. ई. जी. 024, दिनांक 6 फरवरी, 2018 06.02.2018)।

68 अधिसूचना सं. आई. बी. बी. आई./2019-20 जी. एन./आर. ई. जी. 052, दिनांक 27 नवंबर, 2019 (डब्ल्यू. ई. एफ. 28-11-2019)।

69 अधिसूचना सं. आई. बी. बी. आई./2018-19 जी. एन./आर. ई. जी. 031, दिनांक 3 जुलाई, 2018 (डब्ल्यू. ई. एफ. 4-7-2018)।

एच.

881

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

((i) नकद, संपत्ति, प्रतिभूतियों के लिए या दावों या हितों के बदले में, या अन्य उपयुक्त उद्देश्य के लिए निगमित देनदार की प्रतिभूतियों को जारी करना;

(जे) निगमित देनदार द्वारा उत्पादित या प्रदान की गई वस्तुओं या सेवाओं के पोर्टफोलियो में परिवर्तन;

(के) निगमित देनदार द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी में परिवर्तन; और (एल) केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना।

38. समाधान योजना की अनिवार्य सामग्री।- 70 [(1) द.

समाधान योजना के तहत देय राशि -

ग

(क) परिचालन ऋणदाताओं को वित्तीय ऋणदाताओं की तुलना में प्राथमिकता से भुगतान किया जाएगा; और

(ख) वित्तीय लेनदारों को, जिन्हें धारा 21 की उप-धारा (2) के तहत मतदान करने का अधिकार है और जिन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं किया है, उन्हें योजना के पक्ष में मतदान करने वाले वित्तीय लेनदारों पर प्राथमिकता से भुगतान किया जाएगा।

डी.

71 [(1 ए) एक समाधान योजना में एक विवरण शामिल होगा कि इसने कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों सहित सभी हितधारकों के हितों के साथ कैसे व्यवहार किया है।72 [(1 बी) एक समाधान योजना में विवरण देने वाला एक बयान शामिल होगा यदि समाधान आवेदक या उसके किसी भी संबंधित पक्ष ने अतीत में किसी भी समय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समाधान योजना के कार्यान्वयन में विफलता या योगदान करने में विफल रहा है।

ई.

च

(2) एक समाधान योजना में निम्नलिखित प्रावधान होंगेः

(क) योजना की अवधि और इसकी कार्यान्वयन अनुसूची;

((ख) अपने कार्यकाल के दौरान निगमित देनदार के व्यवसाय का प्रबंधन और नियंत्रण; और

जी.

(ग) इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पर्याप्त साधन।

70 उप.अधिसूचना सं। आई. बी. बी. आई./2019-20 जी. एन./आर. ई. जी. 052, दिनांक 27 नवंबर, 2019, उप-विनियमन (1) के लिए। 28-11-2019)।

71 अधिसूचना सं. आई. बी. बी. आई./2017-18 जी. एन./आर. ई. जी. 018, दिनांक 5 अक्टूबर, 2017 (आई. 5-10-2017)।

72 अधिसूचना सं. आई. बी. बी. आई./2019-20 जी. एन./आर. ई. जी. 040, दिनांक 24 जनवरी, 2019 (से. 24-1-2019)।

एच.

73 [(घ) उस तरीके के लिए प्रावधान करता है जिसमें अध्याय III के तहत परिहार लेनदेन, यदि कोई हो या संहिता के भाग II के अध्याय VI के तहत धोखाधड़ी या गलत व्यापार के संबंध में कार्यवाही, समाधान योजना के अनुमोदन के बाद की जाएगी और जिस तरीके से ऐसी कार्यवाही से आय, यदि कोई हो, वितरित की जाएगीः

बशर्ते कि यह खंड किसी भी समाधान योजना पर लागू नहीं होगा जो भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (प्रति कॉर्पोरेट पुत्रों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले धारा 30 की उप-धारा (6) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई है।

ग

74 [(3) एक समाधान योजना यह प्रदर्शित करेगी कि-(ए) यह चूक के कारण को संबोधित करता है;

(ख) यह व्यवहार्य और व्यवहार्य है;

डी.

(ग) इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रावधान हैं;

(घ) इसमें आवश्यक अनुमोदन और उसके लिए समय-सीमा के प्रावधान हैं; और

(ङ) समाधान आवेदक के पास समाधान योजना को लागू करने की क्षमता है।]

ई.

39. समाधान योजना की स्वीकृति।- 75 [(1) एक संभावित समाधान

अंतिम सूची में आवेदक समाधान योजना या संहिता और इन विनियमों के अनुसार तैयार की गई योजनाओं को विनियमन 36 बी के तहत समाधान योजनाओं के अनुरोध में दिए गए समय के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से समाधान पेशेवर को प्रस्तुत कर सकता है-(ए) एक हलफनामा जिसमें कहा गया है कि वह समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए धारा 29 ए के तहत पात्र है;

च

76 [***]

73 अधिसूचना सं. आई. बी. बी. आई./2022-23 जी. एन./आर. ई. जी. 084, दिनांक 14 जून, 2022 (से. 14-06-2022)।

जी.

74 उप.अधिसूचना सं। आई. बी. बी. आई./2018-19 जी. एन./आर. ई. जी. 031, दिनांक 3 जुलाई, 2018, उप-विनियमन (3) के लिए। 4-7-2018)।

75 उप.अधिसूचना सं। आई. बी. बी. आई./2018-19 जी. एन./आर. ई. जी. 031, दिनांक 3 जुलाई, 2018, उप-विनियमन (1) के लिए। 4-7-2018)।

76 खंड (बी) अधिसूचना संख्या द्वारा हटा दिया गया। आईबीबीआई/2018-19 जीएन/आरईजी032, दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 (w.e.f.5-10-2018)।

एच.

883

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

(ग) संभावित समाधान आवेदक द्वारा एक वचन कि समाधान योजना के संबंध में या उसमें प्रदान की गई प्रत्येक जानकारी और रिकॉर्ड सही और सही है और किसी भी समय गलत जानकारी और रिकॉर्ड की खोज आवेदक को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में जारी रखने के लिए अयोग्य बना देगी, किसी भी वापसी योग्य जमा को जब्त कर लेगी, और संहिता के तहत दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित करेगी।

77 [(1 ए) समाधान पेशेवर, यदि समाधान योजना के अनुरोध में परिकल्पना की गई है -

(क) उप-विनियम (1) के तहत प्राप्त समाधान योजना में संशोधन की अनुमति दें, लेकिन एक से अधिक बार नहीं; या

ग

(ख) समाधान आवेदकों को अपनी योजनाओं में सुधार करने में सक्षम बनाने के लिए एक चुनौती तंत्र का उपयोग करें।

(1 बी) समिति किसी भी समाधान योजना पर विचार नहीं करेगी-(ए) विनियमन 36 बी के तहत समिति द्वारा निर्दिष्ट समय के बाद प्राप्त; या

डी.

(बी) एक ऐसे व्यक्ति से प्राप्त जो संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची में नहीं आता है; या

(ग) धारा 30 की उप-धारा (2) और उप-विनियमन (1) के प्रावधानों का पालन नहीं करता है।]

ई.

78 [(2) समाधान पेशेवर समिति को उन सभी समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करेगा जो संहिता और उसके तहत बनाए गए विनियमों की आवश्यकताओं का पालन करती हैं, साथ ही उनके द्वारा देखे गए, पाए गए या निर्धारित किए गए निम्नलिखित लेनदेन के विवरण के साथ -

च

(क) धारा 43 के तहत अधिमान्य लेनदेन; (ख) धारा 45 के तहत कम मूल्य वाले लेनदेन;

(ग) धारा 50 के तहत ऋण लेनदेन की जबरन वसूली; और

जी.

77 उप.अधिसूचना सं। आई. बी. बी. आई./2021-22 जी. एन./आर. ई. जी. 078, दिनांक 30 सितंबर, 2021, उप-विनियमन (1ए) के लिए। 30-09-2021)।प्रतिस्थापन से पहले उप-विनियमन (1ए) निम्नानुसार थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“(1ए) एक समाधान योजना जो उप-विनियम (1) के प्रावधानों का पालन नहीं करती है, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।"

78 उप.अधिसूचना सं। आई. बी. बी. आई./2017-18 जी. एन./आर. ई. जी. 019, दिनांक 7 नवंबर, 2017, उप-विनियमन (2) के लिए। 7-11-2017)।

एच.

(घ) धारा 66 के तहत धोखाधड़ी वाले लेनदेन और ऐसे लेनदेन के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश, यदि कोई हों।]79 [(3) समिति करेगी -

(क) मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार उप-विनियमन (2) के तहत प्राप्त समाधान योजनाओं का मूल्यांकन करें;

(ख) प्रत्येक समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर अपने विचार-विमर्श को दर्ज करें; और

(ग) ऐसी सभी संकल्प योजनाओं पर एक साथ मतदान करें।

(3ए) जहां केवल एक प्रस्ताव योजना को मतदान के लिए रखा जाता है, उसे आवश्यक वोट प्राप्त करने पर अनुमोदित माना जाएगा।

ग

(3बी) जहां दो या दो से अधिक संकल्प योजनाओं को एक साथ मतदान के लिए रखा जाता है, तो संकल्प योजना, जिसे सबसे अधिक वोट मिलते हैं, लेकिन आवश्यक वोटों से कम नहीं, को अनुमोदित माना जाएगाः

डी.

बशर्ते कि जहां दो या दो से अधिक संकल्प योजनाओं को समान वोट मिलते हैं, लेकिन आवश्यक वोटों से कम नहीं, समिति मतदान से पहले घोषित टाई-ब्रेकर सूत्र के अनुसार उनमें से किसी एक को मंजूरी देगीः

बशर्ते कि जहां किसी भी प्रस्ताव योजना को अपेक्षित वोट नहीं मिलते हैं, समिति संहिता के तहत समय सीमा के अधीन, सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाली प्रस्ताव योजना पर फिर से मतदान करेगी।

ई.

*** *** ***]

80 [(4) समाधान पेशेवर समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को न्यायनिर्णायक को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा।

च

79 उप.अधिसूचना सं। आई. बी. बी. आई./2020-21 जी. एन./आर. ई. जी. 064, दिनांक 7 अगस्त, 2020, उप-विनियमन (3) के लिए। 7-8-2020)।इस प्रतिस्थापन से पहले, विनियम 39 (3) निम्नानुसार थाः

"(3) समिति सर्वोत्तम समाधान योजना की पहचान करने के लिए मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार सख्ती से उप-विनियमन (1) के तहत प्राप्त समाधान योजनाओं का मूल्यांकन करेगी और इसे ऐसे संशोधनों के साथ मंजूरी दे सकती है जो उसे उचित लगेः

जी.

बशर्ते कि समिति समाधान योजनाओं की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर अपने विचार-विमर्श को दर्ज करेगी।

(3 क) समिति, धारा (30) की उप-धारा (4) के तहत समाधान योजना को मंजूरी देते समय, विनियमन 38 के उप-विनियमन (1) के तहत उद्देश्यों के लिए समाधान योजना के तहत संसाधनों से देय राशियों को निर्दिष्ट करेगी।" 80 उप.अधिसूचना सं। आई. बी. बी. आई./2018-19 जी. एन./आर. ई. जी. 031, दिनांक 3 जुलाई, 2018, उप-विनियमन (4) के लिए। 4-7-2018)।

एच.

885

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

धारा 12 के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिकतम अवधि से कम से कम पंद्रह दिन पहले प्राधिकरण, 81 में अनुपालन प्रमाण पत्र के साथ [82 का फॉर्म एच [अनुसूची-I] और विनियमन 36 बी के उप-विनियमन (4 ए) के तहत आवश्यक प्रदर्शन प्रतिभूति की प्राप्ति का प्रमाण]।

(5) समाधान पेशेवर प्रतिभागियों और समाधान आवेदक को समाधान योजना को मंजूरी या अस्वीकार करने वाले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश की एक प्रति तुरंत भेजेगा।83 [(5 ए) समाधान पेशेवर, एक समाधान योजना को मंजूरी देने वाले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के पंद्रह दिनों के भीतर, प्रत्येक दावेदार को ऐसी समाधान योजना के तहत ऋणों के भुगतान के लिए सिद्धांत या सूत्र, जैसा भी मामला हो, सूचित करेगाः

ग

बशर्ते कि यह उप-विनियमन भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2020 के शुरू होने की तारीख को या उसके बाद शुरू होने वाली प्रत्येक कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पर लागू होगा।

डी.

(6) एक समाधान योजना में एक प्रावधान जिसके लिए अन्यथा कॉर्पोरेट देनदार के सदस्यों या भागीदारों की सहमति की आवश्यकता होगी, जैसा भी मामला हो, कॉर्पोरेट देनदार के संवैधानिक दस्तावेजों की शर्तों के तहत, शेयरधारकों का समझौता, संयुक्त उद्यम समझौता या इसी तरह के अन्य दस्तावेज, प्रभावी होंगे, भले ही ऐसी सहमति प्राप्त नहीं की गई हो।

ई.

(7) दिवालिया शुरू होने की तारीख से पहले, कॉर्पोरेट देनदार की किसी भी कार्रवाई के लिए, अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर के खिलाफ, जैसा भी मामला हो, कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।

च

(8) एक समाधान योजना के बाद निगमित देनदार के व्यवसाय और संचालन के प्रबंधन या नियंत्रण का प्रभारी व्यक्ति है

जी.

81 उप.अधिसूचना सं। आई. बी. बी. आई./2019-20 जी. एन./आर. ई. जी. 040, दिनांक 24 जनवरी, 2019, "अनुसूची के प्रपत्र एच" के लिए। 24-1-2019)।

82 अधिसूचना संख्या द्वारा प्रतिस्थापित। आई. बी. बी. आई./2022-23 जी. एन./आर. ई. जी. 091, दिनांक 13 सितंबर, 2022 (से. 13-09-2022) BeAfore प्रतिस्थापन शब्द इस प्रकार थे-"अनुसूची"।83 अधिसूचना सं. आई. बी. बी. आई./2020-21 जी. एन./आर. ई. जी. 066, दिनांक 13 नवंबर, 2020 (डब्ल्यू. ई. एफ. 13-11-2020)।

एच.

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित, समाधान योजना की शर्तों को लागू करने में स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता मांगने वाले आदेश के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है।

84 [(9) एक लेनदार, जो धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन से व्यथित है, निर्देश के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है।]

38.3.हम न्यास अधिनियम की धारा 88 पर भी ध्यान दे सकते हैं जो अनिवार्य रूप से किसी न्यासी द्वारा प्राप्त आर्थिक लाभ को रद्द करने का प्रावधान करती है और आदेश देती है कि जहां कोई न्यासी, निष्पादक, भागीदार, अभिकर्ता, किसी कंपनी का निदेशक, कानूनी सलाहकार, या किसी अन्य व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए न्यासी चरित्र में बंधा हुआ अन्य व्यक्ति, अपने चरित्र का लाभ उठाकर, अपने लिए कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करता है; या जहां इस तरह से बाध्य व्यक्ति उन परिस्थितियों में किसी भी सौदे में प्रवेश करता है जिसमें उसके अपने हित ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिकूल होते हैं, या हो सकते हैं और इस तरह अपने लिए न्यासी लाभ एक आर्थिक लाभ होता है, वह ऐसे अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए इस तरह से प्राप्त लाभ को धारण करेगा।न्यास अधिनियम की धारा 88 इसके कुछ चित्रों के साथ निम्नानुसार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

" धारा 88.प्रत्ययी द्वारा प्राप्त लाभ।—जहाँ एक न्यासी,

निष्पादक, भागीदार, अभिकर्ता, किसी कंपनी का निदेशक, कानूनी सलाहकार, या किसी अन्य व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए प्रत्ययी चरित्र में बंधा अन्य व्यक्ति, अपने चरित्र का लाभ उठाकर, अपने लिए कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करता है, या जहां कोई ऐसा व्यक्ति उन परिस्थितियों में किसी भी सौदे में प्रवेश करता है जिसमें उसके अपने हित ऐसे अन्य व्यक्ति के हितों के प्रतिकूल होते हैं, या हो सकते हैं और इस तरह वह अपने लिए एक आर्थिक लाभ प्राप्त करता है, उसे ऐसे अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए इस तरह से प्राप्त लाभ रखना चाहिए।

ई.

च

दृष्टान्त

(क) ए, एक निष्पादक, वसीयत के तहत अपने दावे को बी, एक उत्तराधिकारी से कम मूल्य पर खरीदता है।बी वसीयत के मूल्य से अनजान है।बी के लाभ के लिए ए को कीमत और मूल्य के बीच का अंतर रखना चाहिए।

जी.

84 अधिसूचना सं. आई. बी. बी. आई./2019-20 जी. एन./आर. ई. जी. 040, दिनांक 24 जनवरी, 2019 (से. 24-1-2019)।

एच.

887

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

(ख) क, एक न्यासी, न्यास-संपत्ति का उपयोग अपने व्यवसाय के उद्देश्य से करता है।ए अपने लाभार्थी के लाभ के लिए ऐसे उपयोगकर्ता से होने वाले लाभ को धारण करता है।

(ग) ए, एक न्यासी, अपने उत्तराधिकारी द्वारा उसे राशि का भुगतान करने पर विचार करते हुए अपने न्यास से सेवानिवृत्त होता है।ए अपने लाभार्थी के लाभ के लिए ऐसी राशि रखता है।

(घ) ए, एक भागीदार, साझेदारी से संबंधित निधियों से अपने नाम पर भूमि खरीदता है।ए साझेदारी के लाभ के लिए ऐसी भूमि रखता है।

*** *** ***”

ग

38.4.उपरोक्त के अलावा, हम कंपनी अधिनियम की धारा 164 का भी उल्लेख कर सकते हैं जो निदेशकों की नियुक्ति के लिए विभिन्न अयोग्यताओं को निर्धारित करती है।इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति उस कंपनी द्वारा स्वीकार की गई जमा राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, जिसके वह निदेशक हैं, और देय राशि का भुगतान करने में विफलता एक वर्ष या उससे अधिक समय से जारी है, तो वह उस कंपनी के निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा या उस तारीख से पांच साल की अवधि के लिए किसी अन्य कंपनी में नियुक्त नहीं होगा, जिस दिन उक्त कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है।इसके अलावा, की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी अधिनियम की धारा 166 (4) का संदर्भ भी उपयुक्त होगा।उपरोक्त प्रावधानों के प्रासंगिक भाग निम्नानुसार होंगेः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

ई.

“ धारा 164।निदेशक की अयोग्यता या नियुक्ति।—

***

***

***

(2) कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसी कंपनी का निदेशक है या रहा है जिसने-(ए) तीन वित्तीय वर्षों की किसी भी निरंतर अवधि के लिए वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की है; या

च

(ख) उसके द्वारा स्वीकार की गई जमाओं का पुनर्भुगतान करने या उस पर ब्याज का भुगतान करने या नियत तिथि पर किसी डिबेंचर को भुनाने या उस पर देय ब्याज का भुगतान करने या घोषित लाभांश का भुगतान करने में विफल रहा है और भुगतान या भुनाने में ऐसी विफलता एक वर्ष या उससे अधिक समय तक जारी रहती है।

जी.

वह उस कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त होने या अन्य कंपनी में उस तारीख से पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त होने का पात्र होगा जिस दिन उक्त कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है।

एच.

85 [बशर्ते कि जहां किसी व्यक्ति को किसी ऐसी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है जो खंड (ए) या खंड (बी) की चूक में है, हम उसकी नियुक्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए अयोग्यता का सामना नहीं करेंगे।]

***

***

***

" धारा 166।निदेशकों के कर्तव्य।—

***

***

***

(4) कंपनी का निदेशक ऐसी स्थिति में शामिल नहीं होगा जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो सकता है जो कंपनी के हित के साथ संघर्ष करता है, या संभवतः संघर्ष कर सकता है।

ग

***

***

***

आई. बी. सी. के उद्देश्य और योजनाःमहत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खिलाड़ीः

39. संबंधित प्रश्नों से निपटने के लिए, शुरुआत में, संहिता की योजना के एक संक्षिप्त संदर्भ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसा कि इसकी प्रस्तावना से देखा गया है और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उजागर किया गया है।संहिता की प्रस्तावना इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

" ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से निगमित व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, ऋण की उपलब्धता और सरकारी बकाया के भुगतान की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन सहित सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की स्थापना करने के लिए, और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए।"

ई.

च

39.1.स्विस रिबन (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने संहिता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और योजना को पर्याप्त विस्तार से देखा और यह इंगित करते हुए कि संहिता कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक लाभकारी कानून था, न कि केवल लेनदारों के लिए वसूली कानून, निम्नानुसार कहाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

"27. जैसा कि स्पष्ट है, प्रस्तावना इस बात की अंतर्दृष्टि देती है कि संहिता द्वारा क्या हासिल करने की कोशिश की जाती है। संहिता सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, कॉर्पोरेट के पुनर्गठन और दिवाला समाधान के लिए एक संहिता।

85 2018 के अधिनियम 1 द्वारा अंतःस्थापित, धारा। 52 (i) [डब्ल्यू. ई. एफ. 7-5-2018, एस. ओ. 1833 (ई), दिनांक 7 मई, 2018 के माध्यम से]।

एच.

889

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

कर्जदार।जब तक इस तरह का पुनर्गठन समयबद्ध तरीके से नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति का मूल्य कम हो जाएगा।इसलिए, ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना ताकि उन्हें कुशलता से चलाया जा सके, संहिता का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है।यह बदले में उद्यमिता को बढ़ावा देगा क्योंकि निगमित ऋणी के प्रबंधन में व्यक्तियों को हटा दिया जाता है और उद्यमियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।कब,

इसलिए, एक समाधान योजना शुरू होती है और कॉर्पोरेट देनदार को आर्थिक मुख्यधारा में वापस लाया जाता है, यह अपने ऋणों को चुकाने में सक्षम होता है, जो बदले में, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के हाथों में ऋण की व्यवहार्यता को बढ़ाता है।इन सबसे ऊपर, अंततः सभी हितधारकों के हितों की देखभाल की जाती है क्योंकि निगमित देनदार स्वयं समाधान योजना का लाभार्थी बन जाता है-श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, ऋणदाताओं को लंबे समय में पूरा भुगतान किया जाएगा, और शेयरधारक/निवेशक अपने हितों को अधिकतम करने में सक्षम होंगे।

ग

निवेश करें।एक कॉर्पोरेट देनदार का समय पर समाधान, जो एक प्रभावी कानूनी ढांचे द्वारा संकट में है, ऋण बाजारों के विकास का समर्थन करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा।चूंकि अर्थव्यवस्था में वापस आए धन से अधिक निवेश किया जा सकता है, इसलिए व्यापार तब आसान हो जाता है, जो कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च आर्थिक विकास और विकास की

ओर ले जाता है।दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावना किसी भी तरह से परिसमापन का उल्लेख नहीं करती है, जिसका लाभ केवल अंतिम उपाय के रूप में लिया जाता है यदि या तो कोई समाधान योजना नहीं है या प्रस्तुत की गई समाधान योजनाएं सही नहीं हैं।परिसमापन में भी परिसमापक निगमित देनदार के व्यवसाय को चालू चिंता के रूप में बेच सकता है।(आर्सेलर मित्तल [आर्सेलर मित्तल (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम।सतीश कुमार गुप्ता और अन्यः(2019) 2 एस. सी. सी. 1] पैरा 83, एफ. एन. 3 पर)

डी.

ई.

च

28. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि कानून का प्राथमिक ध्यान कॉर्पोरेट देनदार को अपने स्वयं के प्रबंधन से और परिसमापन द्वारा कॉर्पोरेट मृत्यु से बचाकर कॉर्पोरेट देनदार का पुनरुद्धार और निरंतरता सुनिश्चित करना है।इस प्रकार संहिता एक लाभकारी कानून है जो कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा करता है**,** न कि केवल लेनदारों के लिए वसूली कानून है। निगम के हित

जी.

इसलिए, ऋणी को विभाजित कर दिया गया है और उसके प्रवर्तकों/प्रबंधन में रहने वालों से अलग कर दिया गया है।इस प्रकार, संकल्प

एच.

प्रक्रिया निगमित देनदार के लिए प्रतिकूल नहीं है, बल्कि वास्तव में, उसके हितों की रक्षा करती है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर) 39.2।दिवाला समाधान की प्रक्रिया के संबंध में, संहिता के भाग II के अध्याय II के विभिन्न प्रावधानों पर विचार करते हुए, एस्सार स्टील (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने समाधान पेशेवर की प्रमुख भूमिका का सारांश निम्नलिखित शब्दों में दियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"48. ऊपर बताए गए विस्तृत प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि समाधान पेशेवर एक ऐसा व्यक्ति है जो न केवल संहिता की धारा 7,9 या 10 के तहत एक आवेदन को स्वीकार करने के चरण से लेकर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा एक समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने तक कॉर्पोरेट देनदार के मामलों का प्रबंधन करता है, बल्कि एक प्रमुख व्यक्ति भी है जो ऋणदाताओं की समिति की बैठकें नियुक्त और बुलाता है, ताकि वे समाधान योजनाओं पर निर्णय ले सकें जो समाधान पेशेवर द्वारा समाधान आवेदकों को दी गई विस्तृत जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की जाती हैं।समाधान पेशेवर का एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य सभी लेनदारों के दावों को एकत्र करना, मिलान करना और अंत में स्वीकार करना है, जिनकी समाधान आवेदक द्वारा भुगतान के लिए पूरी तरह से या आंशिक रूप से या बिल्कुल भी जांच नहीं की जानी चाहिए और अंत में लेनदारों की समिति द्वारा बातचीत और निर्णय लिया जाना चाहिए।"

ग

डी.

ई.

39.3.जेपी केन्सिंगटन (उपरोक्त) के मामले में, समाधान पेशेवर और समाधान आवेदक की भूमिकाओं और कर्तव्यों पर ध्यान देने के बाद, इस न्यायालय ने पिछले कई निर्णयों के संदर्भ में पूरे सी. आई. आर. पी. में लेनदारों की समिति की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।किसी भी अन्य चर्चा के बजाय, हम उसमें प्रासंगिक अंशों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

" ऋणदाताओं की समितिःसी. आई. आर. पी का नायक

97. जबकि उनकी प्रतिनिधि भूमिकाओं में, समाधान पेशेवर और समाधान आवेदक यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं कि समाधान योजना संहिता और सी. आई. आर. पी. विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई है और विचार के लिए उचित रूप से प्रस्तुत की गई है, निर्णय लेने में केंद्रीय भूमिका यह है कि समाधान योजना को उसी रूप में अपनाया जाए या नहीं, जैसा कि उसे प्रस्तुत किया गया था या संशोधित रूप में; और यह कि कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाए या नहीं, अंततः ए. के वित्तीय लेनदारों से युक्त महत्वपूर्ण निकाय पर निर्भर करता है।

जी.

एच.

891

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

निगमित देनदार और "लेनदारों की समिति" के रूप में जाना जाता है।जैसा कि उपरोक्त उद्धृत प्रावधानों से पता चलता है, समाधान योजना पर अंतिम निर्णय लेनदारों की समिति द्वारा लिया जाता है और अनुमोदन के लिए, संहिता की धारा 30 (4) के अनुसार, वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम 66 प्रतिशत द्वारा एक समाधान योजना के पक्ष में मतदान करने की आवश्यकता होती है।यह बताना भी प्रासंगिक है कि हालांकि समाधान पेशेवर को निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान निगमित देनदार के व्यवसाय को एक चालू चिंता के रूप में चलाना है, लेकिन संहिता की धारा 28 (3) के अनुसार, वह कम से कम 66 प्रतिशत मतदान शेयरों के वोट से लेनदारों की समिति की पूर्व मंजूरी के बिना निगमित देनदार के प्रबंधन से संबंधित कुछ निर्णय नहीं ले सकता है। 97.1.इसलिए, यह स्पष्ट है कि समाधान की योजना के अनुमोदन के साथ निगमित दिवाला समाधान अंततः लेनदारों की समिति के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है।समाधान प्रक्रिया के दौरान भी, निगमित देनदार के प्रबंधन और वित्त के संबंध में प्रमुख निर्णय लेनदारों की समिति के नियंत्रण में होते हैं।संहिता की धारा 21 में वर्णित संरचना के अनुसार, लेनदारों की समिति में निगमित देनदार के सभी वित्तीय लेनदार शामिल होते हैं और धारा 21 की रूपरेखा यह संदेह से परे बताती है कि प्रत्येक वित्तीय लेनदार का मतदान हिस्सा उसके बकाया वित्तीय ऋण के आधार पर निर्धारित किया जाता है।धारा 30 (4) और धारा 28 (3) से यह भी स्पष्ट है कि अनुमोदन के प्रमुख निर्णय लेनदारों की समिति द्वारा वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम 66 प्रतिशत के वोट से लिए जाने हैं, न कि साधारण बहुमत से।नवंबर 2015 की दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट में ऋणदाताओं की समिति को कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान में इस तरह की अनूठी और निर्णायक भूमिका सौंपने के कारणों और उद्देश्य को व्यापक रूप से चित्रित किया गया था, जिसमें आवश्यक विषय पर टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि "उचित"

ग

डी.

ई.

च

एक चूक करने वाली फर्म का निपटान एक व्यावसायिक निर्णय है, और केवल लेनदारों को ही इसे करना चाहिए।

जी.

97.2.के. शशिधर में, उक्त रिपोर्ट से प्रासंगिक उद्धरणों को निर्धारित करते हुए, इस न्यायालय ने

86 2018 के अधिनियम 1 द्वारा अंतःस्थापित, धारा। 52 (i) [डब्ल्यू. ई. एफ. 7-5-2018, एस. ओ. 1833 (ई), दिनांक 7 मई, 2018 के माध्यम से]।

एच.

892

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया में लेनदारों की समिति का वाणिज्यिक ज्ञान निम्नलिखित शर्तों में हैः(एस. सी. सी. पीपी. 183-84, पैरा 52-53)

“52. जैसा कि ऊपर कहा गया है, "अस्वीकृत" समाधान योजना की प्राप्ति पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) से और कुछ करने की अपेक्षा नहीं की जाती है; लेकिन आई एंड बी संहिता की धारा 33 (1) के तहत परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए बाध्य है।विधायिका ने सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक निर्णय का विश्लेषण या मूल्यांकन करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को अधिकार क्षेत्र या अधिकार नहीं दिया है, असहमत वित्तीय लेनदारों द्वारा समाधान योजना की अस्वीकृति के औचित्य की जांच करने के लिए बहुत कम।विधायी इतिहास और जिस पृष्ठभूमि में आई एंड बी संहिता लागू की गई है, उससे यह पता चलता है कि चूक करने वाली कंपनियों से बकाया ऋण की वसूली में तेजी लाने के लिए एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण अपनाया गया है।नए दृष्टिकोण में, एक शांत अवधि होती है जिसके बाद 270 दिनों (बाहरी सीमा) के भीतर एक त्वरित समाधान प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसमें विफल रहने पर परिसमापन प्रक्रिया की शुरुआत को अपरिहार्य और अनिवार्य बना दिया गया है।पहले की व्यवस्था में, निगमित देनदार अनिश्चित काल के लिए बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 की धारा 22 के तहत या ऐसे अन्य अधिनियमों के तहत दिए गए संरक्षण का आनंद लेना जारी रख सकता था, जिन्हें अब छोड़ दिया गया है।इसके अलावा, सूचना और प्रसारण संहिता द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उल्लिखित प्रक्रियाओं को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक ज्ञान को बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के सर्वोपरि दर्जा दिया गया है।वहाँ एक है

ग

डी.

ई.

आंतरिक धारणा है कि वित्तीय लेनदारों को कॉर्पोरेट देनदार की व्यवहार्यता और प्रस्तावित समाधान योजना की व्यवहार्यता के बारे में पूरी तरह से सूचित किया जाता है।वे प्रस्तावित समाधान योजना की गहन जांच और उनके विशेषज्ञों की टीम द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर कार्य करते हैं।सी. ओ. सी. की बैठकों में मतदान के माध्यम से उचित विचार-विमर्श के बाद उनके द्वारा व्यक्त किए गए विषय-वस्तु पर राय, मतदान शेयरों के अनुसार, एक सामूहिक व्यावसायिक निर्णय है।विधायिका ने, सचेत रूप से, व्यक्तिगत वित्तीय लेनदारों के "वाणिज्यिक ज्ञान" या उनके सामूहिक निर्णय को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष चुनौती देने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं किया है।इसे गैर-न्यायोचित बना दिया जाता है।

च

जी.

एच.

893

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

53. नवंबर 2015 की दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट में सी. ओ. सी. को विभिन्न संभावनाओं का मूल्यांकन करने और निर्णय लेने के लिए प्राथमिकता दी गई है।यह इस प्रकार देखा गया हैः

" दिवालियापन प्रक्रिया में प्रमुख आर्थिक प्रश्न

जब कोई फर्म (मसौदा कानून में कॉर्पोरेट देनदार के रूप में संदर्भित) चूक करती है, तो सवाल उठता है कि क्या किया जाना चाहिए।

कई संभावनाओं की कल्पना की जा सकती है।एक संभावना है कि फर्म को परिसमापन में ले जाया जाए।एक अन्य संभावना ऋण पुनर्गठन के लिए बातचीत करना है, जहां लेनदार एन. पी. वी. के आधार पर ऋण में कमी को स्वीकार करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि बातचीत का मूल्य परिसमापन मूल्य से अधिक है।एक अन्य संभावना है कि फर्म को चालू संस्था के रूप में बेचा जाए और आय का उपयोग लेनदारों को भुगतान करने के लिए किया जाए।इन व्यापक श्रेणियों की कई संकर संरचनाओं की कल्पना की जा सकती है।

ग

समिति का मानना है कि ऐसी संभावनाओं का मूल्यांकन करने और निर्णय लेने के लिए केवल एक ही सही मंच हैःएक लेनदार समिति, जहाँ सभी वित्तीय लेनदारों के पास ऋण की मात्रा के अनुपात में वोट होते हैं।अतीत में, भारत में कानूनों ने इस प्रश्न में सरकार (विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका) के हथियार लाए हैं।समिति द्वारा इससे सख्ती से बचा गया है।एक चूककर्ता फर्म का उचित स्वभाव एक व्यावसायिक निर्णय है, और केवल लेनदारों को ही इसे करना चाहिए।

डी.

ई.

(बोल्ड आपूर्ति में जोर; इटैलिक में जोर मूल में है) 97.3।एस्सार स्टील में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित लगभग सभी प्रासंगिक प्रावधानों का सर्वेक्षण किया; और, जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस प्रक्रिया में विभिन्न भूमिका निभाने वालों के कार्यों की व्याख्या की।उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने नवंबर 2015 की दिवालियापन कानून सुधार समिति की उपरोक्त रिपोर्ट के एक और विस्तृत संदर्भ के साथ, लेनदारों की समिति के वाणिज्यिक विवेक और उसके कारणों को फिर से समझाया।के. शशिधर (ऊपर पुनरुत्पादित) में देखी गई उक्त रिपोर्ट के अंश के अलावा, अदालत ने एस्सार स्टील में इस रिपोर्ट के कई अन्य अंशों को देखा; और इसका एक हिस्सा, जो आगे केवल के लिए तर्क को रेखांकित करता है।

च

जी.

एच.

समाधान की प्रक्रिया को संभालने वाले वित्तीय लेनदारों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है (एस. सी. सी. के पैरा 56 का भाग।

"56. ... 5.3.1.आई. आर. पी. की शुरुआत में कदम

***

4. ऋणदाता समिति का गठन

लेनदार समिति के पास बातचीत में बहुमत से अंतिम समाधान तय करने की शक्ति होगी।कुल वित्तीय देनदारियों के भार के हिसाब से ऋणदाता समिति के 75 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर बहुमत की आवश्यकता होती है।द.

ग

बहुमत वोट में बहुमत वोट प्राप्त करने के बाद किसी भी असंतुष्ट लेनदारों पर एक विकल्प भी शामिल होगा।...

समिति ने इस बात पर विचार-विमर्श किया कि ऋणदाता समिति में किसे होना चाहिए, जिसे ऋणदाता समिति की शक्ति दी गई है कि वह अंततः इकाई को एक चालू संस्था के रूप में रखे या इसे समाप्त कर दे।द.

डी.

समिति ने तर्क दिया कि लेनदार समिति के सदस्यों को व्यवहार्यता का आकलन करने की क्षमता के साथ-साथ बातचीत में मौजूदा देनदारियों की शर्तों को संशोधित करने के लिए तैयार होना चाहिए।आम तौर पर, परिचालन लेनदार न तो इकाई की दिवालियापन से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, न ही इकाई के लिए बेहतर भविष्य की संभावनाओं के लिए भुगतान को स्थगित करने का जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं।समिति ने निष्कर्ष निकाला कि प्रक्रिया को तेज और कुशल बनाने के लिए संहिता यह प्रावधान करेगी कि लेनदार समिति केवल वित्तीय लेनदारों तक ही सीमित होनी चाहिए।"

ई.

च

(इटैलिक में जोर मूल में है) 97.4।एस्सार स्टील में, न्यायालय ने के. शशिधर (ऊपर) में दिए गए निर्णय के उपरोक्त और अन्य अंशों का उल्लेख किया और अन्य बातों के साथ-साथ ऋणदाताओं की समिति की व्यावसायिक विवेक की निर्णायक भूमिका को निम्नलिखित अंशों में समझायाः

जी.

“54. चूंकि यह लेनदारों की समिति का व्यावसायिक विवेक है जो यह तय करना है कि किसी विशेष समाधान योजना की स्वीकृति के माध्यम से कॉर्पोरेट देनदार का पुनर्वास किया जाए या नहीं**,** इसलिए संहिता और विनियमों के प्रावधानों में ए के महत्व को विस्तार से रेखांकित किया गया है।

एच.

895

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

ऐसी समिति की स्थापना, और निर्णयों को छोड़ देना

अपने विवेकाधिकार पर उपरोक्त समिति के सदस्यों के अपेक्षित बहुमत द्वारा किया गया।...

*** *** ***

59. भले ही यह समाधान पेशेवर है जो मध्यवर्ती अवधि के दौरान एक चालू संस्था के रूप में कॉर्पोरेट देनदार का व्यवसाय चलाता है, फिर भी, ऐसे समाधान पेशेवर कम से कम 66 प्रतिशत ऋणदाताओं की समिति के मतों की पूर्व मंजूरी के बिना कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन से संबंधित कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं।...

ग

60. इस प्रकार**,** यह स्पष्ट है कि चूंकि निगमित संकल्प अंततः ऋणदाताओं की समिति के बहुमत के मत के हाथों में होता है**,** इसलिए समाधान पेशेवर द्वारा निगमित ऋणदाता के प्रबंधन के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है जो ऋणदाताओं की समिति के आवश्यक बहुमत द्वारा समाधान योजना की स्वीकृति द्वारा निगमित संकल्प और निगमित ऋणदाता के प्रबंधन के अधिग्रहण के बीच के अंतराल में किए जाने वाले प्रमुख निर्णयों को प्रभावित करता है।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा **30 (4)** के तहत**,** लेनदारों की समिति वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम **66** प्रतिशत के वोट से एक समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है**,** इसकी व्यवहार्यता और व्यवहार्यता और विभिन्न अन्य आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

डी.

ई.

*** *** ***

च

64. इस प्रकार, ऋणदाताओं की समिति के बहुमत निर्णय पर एक समाधान योजना की "व्यवहार्यता और व्यवहार्यता" छोड़ दी गई है, जो स्पष्ट रूप से योजना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखती है, जिसमें विभिन्न वर्गों के ऋणदाताओं के बीच धन के वितरण का तरीका भी शामिल है।उदाहरण के लिए, एक समाधान योजना का मामला लें जिसमें बिजली बकाया के भुगतान का प्रावधान नहीं है।यह निश्चित रूप से लेनदारों की समिति के लिए खुला है कि वह संभावित समाधान आवेदक को इस प्रभाव के लिए एक संशोधन का सुझाव दे कि इस तरह के बकाया का पूरा भुगतान किया जाना चाहिए, ताकि कॉर्पोरेट देनदार का व्यवसाय चलाना सबसे बुनियादी और आवश्यक ऋण के अभाव में असंभव न हो जाए।

जी.

एच.

ऐसे व्यवसाय को चलाने के लिए तत्व, अर्थात् बिजली।यह, बदले में, समाधान आवेदक द्वारा धन के वितरण के रूप में परिणामी संशोधन के साथ स्वीकार किया जा सकता है, प्रस्तावित समाधान आवेदक द्वारा दिए गए अग्रिम भुगतान से एक निश्चित प्रकार के परिचालन लेनदार, अर्थात् बिजली वितरण कंपनी को भुगतान प्रदान किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय और परिचालन लेनदारों को देय राशि में कमी भी हो सकती है।महत्वपूर्ण बात यह है कि

यह अधिकांश लेनदारों का व्यावसायिक विवेक है जो संभावित समाधान आवेदक के साथ बातचीत के माध्यम से यह निर्धारित करना है कि कॉर्पोरेट समाधान प्रक्रिया कैसे और किस तरह से होनी है।"

ग

(बोल्ड आपूर्ति में जोर) 97.5।महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड (ऊपर) में, फिर से, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने एस्सार स्टील में विस्तार से उल्लेख किया और कॉर्पोरेट दिवाला समाधान के मामले में लेनदारों की समिति के वाणिज्यिक ज्ञान को सौंपी गई प्रधानता को दोहराया।

डी.

98. इसके लिए जो ऊपर देखा गया है, यह इस संदर्भ में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में, लेनदारों की समिति की भूमिका एक नायक के समान है, जो प्रक्रिया को अंतिम रूप देती है (विषय, निश्चित रूप से, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के लिए), जो अपने व्यावसायिक ज्ञान में प्रमुख निर्णय लेता है और इसके परिणाम भी लेता है।जैसा कि देखा गया है, इस प्रक्रिया का उद्देश्य कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा करना है और यह स्वीकार किया जाता है कि एक चूक करने वाले कॉर्पोरेट देनदार का उचित व्यवहार और समाधान का विकल्प, कॉर्पोरेट देनदार को एक चालू चिंता के रूप में रखने या इसे समाप्त करने के लिए, वित्तीय लेनदारों द्वारा किया जाना है, जो व्यवहार्यता का आकलन कर सकते हैं और मौजूदा देनदारियों की शर्तों के संशोधन में निर्णय ले सकते हैं।दूसरे शब्दों में, यह निर्णय कि किसी विशेष समाधान योजना की स्वीकृति से निगमित देनदार को पुनर्जीवित किया जाए या नहीं, अनिवार्य रूप से एक व्यावसायिक निर्णय है और इसलिए, वित्तीय लेनदारों से बनी समिति, यानी ऋणदाताओं की समिति पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस आवश्यकता के साथ कि समाधान योजना, इसकी मंजूरी के लिए, वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम 66 प्रतिशत मतों को इकट्ठा करना चाहिए।"

ई.

च

जी.

एच.

897

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

40. उपरोक्त सिद्धांतों और प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हम इस मामले में निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं।

बिंदु ए-मूल्यांकनःविनियम **27** और **35**

41. अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि एक वैध और वास्तविक मूल्यांकन रिपोर्ट के अस्तित्व के अभाव और सी. ओ. सी. के सदस्यों के साथ मूल्यांकन से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों को साझा करने के कारण सी. ओ. सी. का वाणिज्यिक ज्ञान भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था, जिससे सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 27 और 35 का उल्लंघन हुआ।हम सहमत नहीं हो सकते।

ग

41.1.अपीलार्थियों की ओर से यह उचित रूप से तर्क दिया गया है कि सी. ओ. सी. के सदस्यों को गोपनीयता का वचन प्राप्त करने के बाद उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य प्रदान किया गया था।हमने सी. ओ. सी. की बैठकों के कार्यवृत्त के सभी सामग्री भागों को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया है और यह तुरंत स्पष्ट है कि सी. ओ. सी. के सदस्य समाधान पेशेवर द्वारा किए गए मूल्यांकन और यहां तक कि पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया से पूरी तरह से संतुष्ट थे और उनका समर्थन करते थे।विशेष रूप से, दूसरी, चौथी, छठी और सातवीं सी. ओ. सी. बैठकों के कार्यवृत्त इस तथ्य की गवाही देते हैं कि विनियमन की आवश्यकताओं का ईमानदारी से पालन किया गया था और मूल्यांकन की प्रक्रिया के संबंध में सी. ओ. सी. में कोई संदेह नहीं था और साथ ही सी. ओ. सी. के सदस्यों को उचित और परिसमापन मूल्य की आपूर्ति भी की गई थी। इस संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के विस्तृत निष्कर्ष (पैराग्राफ 15.1.1 में पुनः प्रस्तुत) यह स्पष्ट करते हैं कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन की प्रक्रिया और मामले को सी. ओ. सी. को प्रस्तुत करने के लिए अपना दिमाग लगाया। एन. सी. एल. टी. द्वारा इस संबंध में सभी आपत्तियों को अस्वीकार करने पर कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान किया गया।41.2.ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने अनावश्यक रूप से और बल्कि अन्यायपूर्ण रूप से यह अनुमान लगाया है कि घोर वैधानिक उल्लंघन और अनियमितताएं हुई थीं।भले ही मूल्यांकन की प्रक्रिया के संबंध में सी. ओ. सी. की कुछ बैठकों में कुछ मुद्दे उठाए गए थे, समाधान पेशेवर से स्पष्टीकरण और मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदम सी. ओ. सी. को संतुष्ट करने वाले

थे। महाराष्ट्र सीमलेस (ऊपर) में निर्णय के संदर्भ में अपीलकर्ताओं की ओर से यह उचित रूप से तर्क दिया गया है कि परिसमापन मूल्य से मेल खाने के लिए समाधान योजना की आवश्यकता नहीं है।

डी.

ई.

च

जी.

41.3.मूल्यांकन के प्रश्न के संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण के निष्कर्ष और इस प्रकार समाधान योजना को उल्लंघन में लेना

एच.

संहिता की धारा 30 (2) और 61 (3) को अनुमोदित नहीं किया जा सकता है और इन्हें अलग रखने की आवश्यकता है।

बिंदु बी-फॉर्म जी का प्रकाशनःविनियम **36-**ए

42. अपीलीय न्यायाधिकरण की चर्चा के एक लंबे सौदे को सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियमन 36-ए (2) (iii) के कथित गैर-अनुपालन की ओर मोड़ दिया गया था क्योंकि अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ निर्दिष्ट वेबसाइट पर फॉर्म जी का प्रकाशन नहीं किया गया था, यह मानते हुए कि अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन का अभाव समाधान पेशेवर की ओर से भौतिक अनियमितता का कारण था।इस संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को भी स्वीकार करना मुश्किल है।

ग

42.1.समाधान पेशेवर की ओर से यह उचित रूप से तर्क दिया गया है कि फॉर्म जी को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में 09.08.2020 पर प्रकाशित किया गया था और फिर, आईबीबीआई को वेबसाइट पर फॉर्म अपलोड करने में तकनीकी मुद्दों के बारे में भी सूचित किया गया था।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने यह भी उचित रूप से कहा है कि अभ्यास या प्रक्रिया के मामले को विनियमित करने वाले वैधानिक प्रावधान को आम तौर पर निर्देशिका के रूप में पढ़ा जाएगा और वर्तमान मामले में, प्रकाशन की सभी आवश्यकताओं के तकनीकी गैर-अनुपालन के संबंध में किसी के द्वारा कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाया गया है।अपीलीय न्यायाधिकरण की ओर से यह कहना बहुत दूर की बात है कि जब कोविड-19 महामारी को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि के दौरान सी. आई. आर. पी. आयोजित की गई थी, तो अधिकांश लोग कोविड संक्रमण की आशंका के कारण समाचार पत्र पढ़ने से बचते थे।जैसा कि देखा गया है, शुरू में 13 ई. ओ. आई. प्राप्त हुए थे।समाधान पेशेवर की ओर से यह भी उचित रूप से तर्क दिया गया है कि सभी आवश्यक कदम उचित रूप से उठाए गए थे, जो प्रक्रिया एक उन्नत चरण में पहुंच गई थी, उसे ऐसी तकनीकीताओं पर रद्द नहीं किया जा सकता था।

डी.

ई.

च

42.2.अपीलार्थी-समाधान आवेदक की ओर से एक तर्क दिया गया है कि फॉर्म जी के प्रकाशन से संबंधित इस मुद्दे को एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा दिनांकित 05.05.2021 के पूर्व आदेश में निपटाया गया था और यह निर्णय न्यायिक निर्णय के रूप में काम करेगा।दिनांक 1 के उक्त आदेश के प्रासंगिक भाग में, एन. सी. एल. ए. टी. ने एन. सी. एल. टी. द्वारा दिए गए समय विस्तार के

खिलाफ उठाए गए प्रश्नों पर विचार करते हुए, सी. आई. आर. पी. से संबंधित विभिन्न विशेषताओं पर ध्यान दिया और इस संबंध में यह भी कहा कि समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने की मांग नहीं करना और पहले से प्रस्तुत समाधान योजनाओं पर प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए समाधान पेशेवर को निर्देश जारी करना सी. ओ. सी. का व्यावसायिक निर्णय था। एन. सी. एल. ए. टी. ने निम्नानुसार अवलोकन किया थाः- ए.

जी.

एच.

899

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

“23. सी. ओ. सी. के कार्यवृत्त के अवलोकन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि आर. पी. ने सी. ओ. सी. को समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा बढ़ाने या नए फॉर्म-जी के प्रकाशन के लिए निर्णय लेने के लिए उपलब्ध कानूनी विकल्पों के बारे में अवगत कराया। यह सी. ओ. सी. का व्यावसायिक निर्णय था कि "इसके लिए समय का कोई विस्तार नहीं किया गया है।

समाधान योजना प्रस्तुत की जानी चाहिए और आर**.** पी**.** को मूल्यांकन प्रक्रिया में तेजी लाने और पहले से प्रस्तुत समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता की जांच करने और विचार के लिए सी**.** ओ**.** सी**.** के समक्ष योग्य समाधान योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।**"**

42.3.एन. सी. एल. ए. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त सी. ओ. सी. का एक वाणिज्यिक निर्णय था जिसमें न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।प्रतिद्वंद्वी उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त निर्णय को न्यायिक निर्णय नहीं माना जा सकता है क्योंकि वे एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा 05.05.2021 पर तय की गई उक्त अपीलों के पक्षकार नहीं हैं।हमारे विचार में, भले ही न्यायिक निर्णय के सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है, लेकिन मामले का तथ्य यह है कि दिए गए चरण में, समाधान पेशेवर द्वारा की गई प्रक्रिया को सी. ओ. सी., न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा लगातार अनुमोदित किया गया था।अन्यथा भी, जैसा कि ऊपर देखा गया है, ऐसी कोई अवैधता या भौतिक अनियमितता नहीं हुई थी जिसके लिए पूरी प्रक्रिया को दूषित माना जाता।इस संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को भी अनुमोदित नहीं किया जा सकता है और उन्हें दरकिनार करने की आवश्यकता है।

ग

डी.

ई.

बिंदु सी**1-**कंपनी अधिनियम की धारा **164 (2) (**बी**)** का प्रभाव

43. इंटरनेशनल एविएशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के कथित चूक के कारण कंपनी अधिनियम की धारा 164 (2) (बी) के प्रभाव के संबंध में प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा लंबे समय तक तर्क दिया गया है, जिसमें समाधान आवेदक एक निदेशक है। यह तर्क दिया गया है कि उक्त कंपनी ने आवंटन लंबित रहने तक शेयर आवेदन राशि एकत्र की और उसे वापस नहीं किया; और परिणामस्वरूप, कंपनी अधिनियम की धारा 164 (2) (बी) के संदर्भ में, यह चूक समाधान आवेदक को निदेशक के रूप में कार्य करने से अयोग्य ठहरा देगी और इस तरह, वह समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य हो जाएगा।हमें उपरोक्त प्रस्तुतियों और इस आधार पर प्रस्ताव आवेदक के खिलाफ प्रस्तावों को स्वीकार करने में मुश्किल होती है।

च

जी.

43.1.भले ही समाधान आवेदक के धारा 164 (2) (बी) के संदर्भ में इस तरह की अयोग्यता की कोई संभावना थी।

एच.

कंपनी अधिनियम के अनुसार, किसी अन्य कंपनी के कथित चूक के कारण, जिसमें वह एक निदेशक है, शेयर आवेदन राशि को वापस करने के लिए, यह अनिवार्य रूप से कंपनियों के पंजीयक के विचार का विषय होगा।जब तक इस तरह के किसी चूक के संबंध में सक्षम मंच में एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था और जब तक कि इस तरह के चूक के कारण प्रस्ताव आवेदक को निदेशक के रूप में अयोग्य घोषित करने का विशिष्ट आदेश अस्तित्व में नहीं आया था, तब तक यह धारणा की किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से नहीं लिया जा सकता था कि अपीलार्थी-समाधान आवेदक को निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था और इस तरह, समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य था।यह ठीक ही बताया गया है कि जब अपीलार्थी की डी. आई. एन. स्थिति "सक्रिय अनुपालन" थी, तो उसे अपात्र नहीं माना जा सकता था।

ग

43.2.एक बार फिर, अपीलीय न्यायाधिकरण की ओर से कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2 (1) (सी) का उल्लेख करना और फिर यह घोषणा करना कि समाधान आवेदक को कंपनी अधिनियम की धारा 164 (2) (बी) के संदर्भ में अयोग्य घोषित किया गया था, बहुत दूर की बात है। हालाँकि, हम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियों से सहमत नहीं हैं कि पात्रता का ऐसा मुद्दा पहली बार एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष नहीं उठाया जा सकता था क्योंकि समाधान आवेदक की पात्रता का सवाल मामले की जड़ तक जाता है, लेकिन हम इस संबंध में प्रस्तुत करने के दूसरे हिस्से से सहमत हैं कि कंपनी अधिनियम की धारा 164 (2) (बी) के तहत मानित अयोग्यता की कोई अवधारणा नहीं है।

डी.

ई.

43.3.इसलिए, हमारे विचार में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने समाधान आवेदक को कंपनी अधिनियम की धारा 164 (2) (बी) के आधार पर अयोग्य ठहराना सही नहीं था। बिंदु सी1 का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

बिंदु सी**2-**धारा **88** न्यास अधिनियम का प्रभाव

च

44. हालाँकि, कंपनी अधिनियम की धारा 164 (2) (बी) के संदर्भ में समाधान आवेदक की अयोग्यता के प्रश्न के संबंध में यहाँ जो कहा गया है, वह न्यास अधिनियम की धारा 88 के संबंध में अन्य भौतिक आपत्तियों के संबंध में लागू नहीं होता है।

44.1.यह विवाद में नहीं है कि ट्रस्ट "श्री बालाजी विद्यापीठ" जिसमें अपीलकर्ता-समाधान आवेदक प्रबंध न्यासी है, इस आधार पर अयोग्य समाधान आवेदकों में से एक था कि उक्त संस्था एक धर्मार्थ ट्रस्ट थी।अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उक्त न्यास के प्रबंध न्यासी के रूप में उसकी स्थिति उसे अपनी व्यक्तिगत क्षमता में समाधान योजना प्रस्तुत करते समय अयोग्य नहीं बनाती है।यह भी तर्क दिया गया है कि भले ही न्यास को अयोग्य ठहराया जा सकता है, अपीलार्थी ए

जी.

एच.

अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसकी वित्तीय क्षमता न्यास की राशि से स्वतंत्र थी।हमारे विचार में, मामले के इस भाग की जांच दो संस्थाओं की अलग स्थिति के व्यापक और सामान्यीकृत संदर्भ से नहीं की जा सकती है, यानी एक ओर न्यास और दूसरी ओर समाधान आवेदक एक व्यक्ति के रूप में।

44.2.यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त न्यास को इस आधार पर अयोग्य ठहराया गया था कि यह एक धर्मार्थ न्यास था और लाभ कमाने वाली संस्था नहीं चला सकता था।ई. ओ. आई. सबसे पहले वर्तमान अपीलार्थी-समाधान आवेदक द्वारा अपने लिए और न्यास की ओर से भी प्रस्तुत किए गए थे।अपीलीय न्यायाधिकरण ने ठीक ही देखा है कि समाधान आवेदक द्वारा दो ई. ओ. आई. दाखिल करना, एक अपने लिए और दूसरा अपात्र न्यास की ओर से, न्यास अधिनियम की धारा 88 द्वारा सीधे प्रभावित होने के लिए अपीलार्थी की समाधान योजना की क्षमता पर एक सामग्री असर डालता है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि आवेदक-श्री। एम. के. राजगोपालन, उक्त न्यास के प्रबंध न्यासी होने के नाते, अपने लिए वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए समाधान योजना को लागू करने में इसके अहंकार के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यास अधिनियम की धारा 88 के संचालन और प्रभाव के आधार पर, अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत समाधान योजना प्रस्तुत करने को उक्त व्यक्तिगत समाधान योजना के किसी भी कार्यान्वयन के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है, फिर भी न्यास अधिनियम में निहित प्रावधानों से प्रभावित होगा। हम थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं।

ग

डी.

44.3.प्रस्ताव आवेदक की ओर से उक्त अपात्र आवेदक श्री बालाजी विद्यापीठ से अलग अपनी स्वतंत्र स्थिति का दावा करने के सुझाव में अपनी कमी है जब उसकी समाधान योजना के खंड 3.5 और 3.1 में उसके द्वारा किए गए दावों के संदर्भ में जांच की जाती है जो अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निकाले गए हैं और हम उन्हें तैयार संदर्भ के लिए फिर से निकालने के लिए प्रेरित होते हैं।- " 3.5.श्री बालाजी विद्यापीठः श्री एम. के. राजगोपालन श्री बालाजी विद्यापीठ के संस्थापक और प्रबंध न्यासी हैं।

ई.

च

3.10.वित्तीय स्नैपशॉट "श्री एम. के. राजगोपालन के नेतृत्व में संस्थाएं राष्ट्र और बड़े पैमाने पर जनता की सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए तेजी से बढ़ रही हैं।

जी.

वहाँ की संस्थाओं ने रुपये का कारोबार हासिल किया है। वित्त वर्ष 2016-2017 में 417.94 करोड़ रु. 500.03 वित्त वर्ष में करोड़ 2017-2018; रु। 679.23 वित्त वर्ष में करोड़ 2018-2019 और रु। 860.59 वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए करोड़ (अनुमानित)।उपरोक्त वृद्धि एक सक्षम व्यापारिक नेता के रूप में आर. ए. की साख का पर्याप्त प्रमाण है और

एच.

विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को प्रबंधित करने और उन्हें बदलने की क्षमता।" 44.3.1.इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता-समाधान आवेदक ने उक्त श्री बालाजी विद्यापीठ के संस्थापक और प्रबंध न्यासी के रूप में अपनी स्थिति को स्वीकार किया और फिर साहसपूर्वक दावा किया कि उनके नेतृत्व में संस्थाएं राष्ट्र और बड़े पैमाने पर जनता की सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए तेजी से बढ़ रही हैं।स्वयं प्रस्ताव आवेदक द्वारा किए गए दावे को देखते हुए, इस तथ्य के साथ कि विचाराधीन सी. आई. आर. पी. में, इस अपीलार्थी द्वारा दो समाधान योजनाएं प्रस्तुत की गई थीं, एक व्यक्तिगत क्षमता में और दूसरी उक्त न्यास के प्रबंध निदेशक के रूप में, उन्हें उक्त प्रस्ताव आवेदक-श्री बालाजी विद्यापीठ से अलग करना मुश्किल है।इसलिए, यह नहीं कहा जा

सकता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह देखने में कोई त्रुटि की है कि अपीलार्थी उक्त अयोग्य आवेदक (न्यास) के अहंकार को बदलने का प्रयास कर रहा था और उसकी अपनी (व्यक्ति की) समाधान योजना से लाभ न्यास अधिनियम की धारा 88 के संचालन से बच नहीं सकता है। भले ही अपीलकर्ता यह दावा करे कि उसकी वित्तीय क्षमता ट्रस्ट के पैसे से स्वतंत्र थी, लेकिन तथ्य यह है कि उसने उक्त ट्रस्ट, श्री बालाजी विद्यापीठ के प्रबंध न्यासी के रूप में अपनी स्थिति पर भरोसा करते हुए अपने स्वयं के प्रोफाइल की समग्र तस्वीर पेश की।इस प्रकार, विचाराधीन समाधान योजना के तहत उसके द्वारा प्राप्त किसी भी आर्थिक लाभ को न्यास अधिनियम की धारा 88 के संचालन द्वारा सीधे समाहित कर लिया जाएगा। इससे, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों में, यह स्थिति आएगी कि उक्त न्यास के लिए जो सीधे नहीं किया जा सकता था, वह अपीलार्थी द्वारा इस अप्रत्यक्ष पद्धति के माध्यम से किया जाना चाहिए।

ग

डी.

ई.

44.4.हालाँकि, उपरोक्त पहलू सी. ओ. सी. के विचार का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्हें केवल सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक ज्ञान को सौंपे गए दर्जे के संदर्भ में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सी. ओ. सी. के व्यावसायिक विवेक का सम्मान करने वाले इस न्यायालय के निर्णयों के अंतर्निहित सिद्धांतों को सी. ओ. सी. के निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण कमी को दूर करने के लिए अधिक विस्तारित नहीं किया जा सकता है, जब उसने उस समय कानून के किसी भी प्रावधान के संचालन पर विधिवत ध्यान नहीं दिया था।

च

44.5.इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, हमारे विचार में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने उचित रूप से निर्णय योजना को वर्तमान में लागू कानून के प्रावधानों का उल्लंघन माना है।दिनांकित आक्षेपित आदेश के अनुच्छेद 106 से 112 में अपीलीय न्यायाधिकरण के अवलोकन और निष्कर्ष (अनुच्छेद 17.02.2022 में यहाँ पुनः प्रस्तुत किए गए हैं) होने के योग्य हैं और अनुमोदित हैं।

जी.

एच.

903

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

प्वाइंट सी**3-**कंपनी अधिनियम की धारा **166 (4)** का प्रभाव

45. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए अपीलार्थी-समाधान आवेदक द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत करना ट्रस्ट अधिनियम की धारा 88 द्वारा सीधे प्रभावित था और इसे अनुमोदित नहीं किया जा सकता था।मामले के इस दृष्टिकोण में, समाधान आवेदक की पात्रता के सवाल के संबंध में किसी अन्य पहलू पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।हालाँकि, हमने समाधान आवेदक की अयोग्यता की एक अन्य विशेषता के संबंध में इस मामले में की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारण के लिए बिंदु सी 3 तैयार किया है और मामले के इस पहलू से भी निपटना उचित प्रतीत होता है।

45.1.एक अन्य कंपनी एम. जी. एम. हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अपीलार्थी-समाधान आवेदक की स्थिति का कोई विवाद नहीं है।बल्कि, इस कंपनी के विवरण और इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए अनुमानों को समाधान आवेदक द्वारा समाधान योजना के साथ प्रस्तुत अपनी प्रोफ़ाइल में व्यापक रूप से बताया गया था।समाधान योजना के अनुसार, अपीलकर्ता-समाधान आवेदक ने कॉर्पोरेट देनदार की कोयंबटूर संपत्ति को अस्पताल में बदलने का प्रस्ताव रखा था।उक्त एम. जी. एम. हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड को एक सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल भी कहा जाता है और कहा जाता है कि कंपनी नए

अस्पताल स्थापित करने के लिए उत्सुक है और भारत में एक प्रमुख अस्पताल श्रृंखला बनने की आकांक्षा रखती है।
45.2.उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, यह ध्यान देने योग्य है कि कंपनी अधिनियम की धारा 166 (4) किसी कंपनी के निदेशक को ऐसी स्थिति में खुद को शामिल करने से रोकती है जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो सकता है जो कंपनी के हित के साथ संघर्ष करता है, या संभवतः संघर्ष कर सकता है।एम. जी. एम. हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में समाधान आवेदक की स्थिति को देखते हुए, कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति के साथ उसका व्यवहार और उसे अस्पताल में परिवर्तित करना उक्त एम. जी. एम. हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड की गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है।रिकॉर्ड के सामने हितों का सीधा टकराव होने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 166 (4) के संदर्भ में निषेध काम नहीं करता है और समाधान योजना उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है।इस कारण से भी, हमारे विचार में, अपीलार्थी-समाधान आवेदक को योग्य आवेदक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

ग

डी.

ई.

च

जी.

बिंदु डी**1-**द्वारा अनुमोदन के बाद समाधान योजना का संशोधन

सीओसी

एच.

904

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

46. यहां तक कि जब मूल्यांकन प्रक्रिया और अन्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को हमारे द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, तो एक भौतिक कारक जो अन्यथा एक अन्य प्रक्रियात्मक आवश्यकता का प्रतीत हो सकता है, इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है और इसे केवल तकनीकीता के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।यह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले ऋणदाताओं की समिति के समक्ष अंतिम रूप से संशोधित योजना को प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बारे में है।

47. जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, सी. ओ. सी. के व्यावसायिक ज्ञान को प्रधानता का ऐसा दर्जा दिया गया है कि इसे किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में गैर-न्यायसंगत मामला माना जाता है, चाहे वह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा हो या इस न्यायालय द्वारा भी।तथापि, सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक विवेक का अर्थ है सी. ओ. सी. द्वारा वाणिज्यिक हितों और निगमित देनदार के पुनरुत्थान और उसकी परिसंपत्तियों के मूल्य के अधिकतमकरण के संदर्भ में लिया गया एक सुविचारित निर्णय।यह ज्ञान बयानबाजी का विषय नहीं है, बल्कि सी. आई. आर. पी. के नायक यानी सी. ओ. सी. द्वारा एक सुविचारित निर्णय को दर्शाता है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा के. शशिधर (ऊपर) में कहा गया है, सी. ओ. सी. बनाने वाले वित्तीय लेनदार पूरी तरह से के आधार पर कार्य करते हैं

ग

डी.

प्रस्तावित समाधान योजना की जांच और उनके विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया गया मूल्यांकन।सी. ओ. सी. की बैठकों में मतदान के माध्यम से उचित विचार-विमर्श के बाद उनके द्वारा व्यक्त किए गए विषय-वस्तु पर राय, मतदान शेयरों के अनुसार, एक

सामूहिक व्यावसायिक निर्णय है।' इस न्यायालय ने के. शशिधर में यह भी कहा कि 'एक आंतरिक धारणा है कि वित्तीय लेनदारों को कॉर्पोरेट देनदार की व्यवहार्यता और प्रस्तावित समाधान योजना की व्यवहार्यता के बारे में पूरी तरह से सूचित किया जाता है।'

ई.

नवंबर 2015 की दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट में बताए गए कारणों के संदर्भ में एस्सार स्टील (उपरोक्त) में टिप्पणियों के साथ पढ़े गए इन टिप्पणियों से यह स्पष्ट होता है कि सी. ओ. सी. के व्यावसायिक ज्ञान को सी. आई. आर. पी. में प्रधानता दी गई है क्योंकि यह सामूहिक व्यावसायिक निर्णय का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रस्तावित समाधान योजना की गहन जांच और उन व्यक्तियों के निकाय द्वारा विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ किए गए मूल्यांकन के बाद किया जाता है जो तेजी से और कुशल निर्णय लेने में सबसे अधिक रुचि रखते हैं।यह एक आवश्यक परिणाम के रूप में है कि इसके नाम के लायक होने के लिए, सी. ओ. सी. का वाणिज्यिक ज्ञान केवल तभी अस्तित्व में आएगा जब सभी प्रासंगिक जानकारी इसके सामने उपलब्ध होगी और इसके सभी सदस्यों द्वारा विधिवत विचार-विमर्श किया जाएगा, जिनका कॉर्पोरेट देनदार और पूरे सी. आई. आर. पी. में प्रत्यक्ष और पर्याप्त हित है।

च

जी.

एच.

905

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

47.1.सी. ओ. सी. की निर्णय लेने की प्रक्रिया के संबंध में कानून की उपरोक्त स्थिति और उसके संचालन के आलोक में, इस बात पर शायद ही कोई जोर देने की आवश्यकता है कि समाधान योजना से संबंधित प्रत्येक पहलू, और विशेष रूप से इसके वित्तीय खाके को सी. ओ. सी. के समक्ष होना चाहिए, इससे पहले कि यह कहा जा सके कि वह अपने व्यावसायिक विवेक में एक सुविचारित निर्णय पर पहुंचा है।

48. वर्तमान मामले से संबंधित तथ्यों और कार्यवाही से, जैसा कि पहले विस्तार से देखा गया है, यह स्पष्ट है कि 22.01.2021 पर आयोजित नौवीं सी. ओ. सी. बैठक में, अपीलार्थी-समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को उपस्थित और मतदान करने वाले वित्तीय लेनदारों के कुल मतदान हिस्से के 87.39% के साथ अनुमोदित किया गया था। हालांकि, यह मंजूरी एक महत्वपूर्ण शर्त के साथ आई कि कुछ वित्तीय लेनदारों की असहमति को देखते हुए, योजना को आगे के संशोधन के लिए लेनदारों को वापस भेज दिया जाएगा ताकि इसे संहिता की धारा 30 (2) के साथ शिकायत की जा सके जिसमें प्रावधान है कि असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को भुगतान की गई राशि कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में संहिता की धारा 53 के अनुसार ऐसे लेनदारों को भुगतान की गई राशि से कम नहीं होगी।25.01.2021 पर, अपीलार्थी-समाधान आवेदक ने परिवर्तनों को शामिल करते हुए संशोधित समाधान योजना प्रस्तुत की।उन्होंने बैंक गारंटी भी जमा की जैसा कि पहले देखा गया है।हालाँकि, समाधान पेशेवर ने संशोधित योजना को सी. ओ. सी. की बैठक में नहीं रखा, लेकिन इसे सीधे अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया।इस प्रक्रिया को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, यह देखते हुए कि सी. ओ. सी. की नौवीं बैठक में प्रस्ताव के आधार पर, समाधान योजना को आगे के संशोधन के लिए वापस भेज दिया गया था और संशोधित योजना को कभी भी सी. ओ. सी. को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। अपीलार्थी-समाधान आवेदक द्वारा इस संबंध में दो प्रमुख प्रस्तुतियाँ हैंःपहला, कि योजना को सी. ओ. सी. द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया था और यह केवल असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को योग्य राशि आवंटित करने की आवश्यकता थी और इसलिए, सी. ओ. सी. से आगे अनुमोदन लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी; और दूसरा, कि दसवीं बैठक में, सी. ओ. सी. ने संशोधित योजना को कार्योत्तर मंजूरी दी थी और बाद के हलफनामों में भी इसके किसी भी हिस्से पर आपत्ति नहीं जताई थी। समाधान पेशेवर यह भी तर्क देगा कि समाधान आवेदक को केवल यह सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वितरण प्रदान करने की आवश्यकता थी कि असहमत वित्तीय लेनदारों को उनका हिस्सा दिया जाए।यह भी प्रस्तुत किया गया है कि संशोधित समाधान योजना में असुरक्षित असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के लिए आवंटन को संशोधित किया गया था। 29 करोड़ रु. 49.13 करोड़।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

906

48.1.प्रस्तुतियों पर, पहली बार में यह प्रतीत हो सकता है कि नौवीं सी. ओ. सी. बैठक के बाद योजना का संशोधन औपचारिकता का विषय था और सी. ओ. सी. द्वारा पहले से दी गई मंजूरी के परिणामस्वरूप था। हालांकि, आई. बी. सी. की योजना को बारीकी से देखने पर, सी. ओ. सी. के समक्ष नौवीं बैठक के बाद संशोधित योजना को नहीं रखने और इसे सीधे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष रखने की इस अनियमितता को केवल तकनीकीता के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।जैसा कि ऊपर देखा गया है, समाधान योजना से संबंधित प्रत्येक पहलू और विशेष रूप से इसके वित्तीय खाके पर सी. ओ. सी. द्वारा विचार किया जाना चाहिए, इससे पहले कि यह कहा जा सके कि यह एक सुविचारित निर्णय पर पहुंचा है।यह तथ्य कि विचाराधीन समाधान योजना में वित्तीय लेआउट में बदलाव किया गया था, विवाद का विषय नहीं है।जब सी. ओ. सी. ने खुद को लागू किया और आवश्यक बहुमत से अनुमोदन के साथ अपने वाणिज्यिक ज्ञान में एक निर्णय पर पहुंचा, तो यह समान रूप से आवश्यकता थी कि समाधान आवेदक योजना को संशोधित करेगा।नौवीं सी. ओ. सी. बैठक के कार्यवृत्त के संदर्भ में, यह मान लेना मुश्किल है कि सी. ओ. सी. ने उम्मीद में भी उस योजना को मंजूरी दे दी थी जिसे संशोधित किया जाना था। नौवीं बैठक में अपने निर्णय के अनुसार, संशोधित योजना की जांच के बाद सी. ओ. सी. ने क्या निर्णय लिया होगा, यह अनुमान या धारणा का विषय नहीं हो सकता है कि यह अनुमोदित होने के लिए बाध्य था।योजना के संशोधन के बाद सी. ओ. सी. के विचार के लिए कौन सा पहलू उत्पन्न हुआ होगा, यह फिर से अनिश्चितता का विषय है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि नौवीं सी. ओ. सी. बैठक में सशर्त अनुमोदन को उचित परिपूर्ति माना जाना था।हमारे विचार में, यह निगमित दिवाला समाधान की प्रक्रिया की योजना का सही संचालन नहीं है और न ही सी. ओ. सी. का वाणिज्यिक विवेक अनुमान का विषय हो सकता है। सी. ओ. सी. द्वारा अपनी नौवीं बैठक में लिए गए निर्णय की प्रकृति और रूप को देखते हुए, इस तरह के सशर्त अनुमोदन को अंतिम अनुमोदन के रूप में नहीं माना जा सकता था।इसके बाद, जो भी संशोधन हो, योजना को केवल सी. ओ. सी. के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था और आवश्यक बहुमत से सी. ओ. सी. की अंतिम मंजूरी के बाद ही न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता था।दूसरे शब्दों में, जब संशोधित समाधान योजना, भले ही मामूली संशोधन/संशोधन को सी. ओ. सी. द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित नहीं किया गया हो, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को इसकी प्रस्तुति एक भौतिक अनियमितता के बराबर है और इस दोष को ठीक नहीं किया जा सकता है।48.2.दसवीं सी. ओ. सी. बैठक में संशोधित समाधान योजना के कार्योत्तर अनुमोदन के सुझाव को केवल अस्वीकार किया गया है।सी. ओ. सी. द्वारा किसी भी समाधान योजना के कार्योत्तर अनुमोदन की कोई अवधारणा नहीं है और नहीं हो सकती है जिसे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष दाखिल करने से पहले उसके समक्ष नहीं रखा गया था।इसके अलावा, दसवीं सी. ओ. सी. बैठक दिनांक 15.06.2021 में, एजेंडा आइटम नं. ए 1 केवल संबंधित ए

जी.

एच.

907

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

समाधान पेशेवर के अपडेट के लिए जहां उन्होंने, निश्चित रूप से, योजना को संशोधित करने और 04.02.2021 पर NCLT के साथ दायर करने के बारे में बताया।समाधान पेशेवरों द्वारा इस तरह के अद्यतन, भले ही सी. ओ. सी. द्वारा ध्यान में रखा गया हो, सी. ओ. सी. में मतदान हिस्सेदारी के आवश्यक बहुमत द्वारा शायद ही अनुमोदन के रूप में माना जा सकता है। किसी भी मामले में, इस बैठक से पहले, योजना को पहले ही न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका था।उस योजना को इसके बाद सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सकता था।

49. हम यह देखने में जल्दबाजी करेंगे कि सी. आई. आर. पी. विनियमों की आवश्यकता, विशेष रूप से सी. ओ. सी. के समक्ष समाधान योजना को उसके अंतिम रूप में रखने की आवश्यकता का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।प्रक्रिया में कोई बदलाव या संशोधन नहीं किया जा सका।हम कानून से संबंधित विशिष्ट कारण के लिए ऐसा कहते हैं कि यदि वर्तमान मामले में अपनाई गई प्रक्रिया को मंजूरी दी जाती है, तो संहिता और सी. आई. आर. पी. विनियमों की योजना को ही खुला छोड़ दिया जाएगा और किसी भी स्तर पर मनमानेपन को आमंत्रित करने में सक्षम होगा।जिन छोटे प्रक्रियात्मक पहलुओं को हमने पहले भौतिक असर वाला नहीं माना है और सी. ओ. सी. द्वारा वित्तीय समाधान योजना के अनुमोदन से संबंधित यह पहलू पूरी तरह से अलग है।सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया में अनियमितता और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष दाखिल करना इस तरह के औपचारिक प्रकृति के मामले नहीं हैं कि उस संबंध में विचलन को नजरअंदाज या माफ किया जा सके।जैसा कि ऊपर कहा गया है, जब सी. ओ. सी. के व्यावसायिक ज्ञान को प्रधानता दी जाती है, तो यह समाधान योजना पर अपने अंतिम रूप में एक सुविचारित निर्णय का अनुमान लगाता है।50. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए सी. ओ. सी. के समक्ष अंतिम समाधान योजना की प्रस्तुति की कमी के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा समाधान योजना की अस्वीकृति असाधारण बनी हुई है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान किया गया है।

ग

डी.

ई.

बिंदु डी **2-**समाधान पेशेवरों के शुल्क में वृद्धि

च

51. हालाँकि हमने अपीलीय न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को मंजूरी दे दी है कि विचाराधीन समाधान योजना, जिसे सी. ओ. सी. के समक्ष मतदान के लिए रखे बिना अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष रखा गया था, अमान्य और गैर-कानूनी था, लेकिन समाधान पेशेवरों की शुल्क वृद्धि के साथ इस सामग्री अनियमितता को संबंधित करने में अपीलीय न्यायाधिकरण की एक सहायक टिप्पणी को स्वीकार करना मुश्किल है।

जी.

51.1.सी. ओ. सी. ने समाधान पेशेवरों के शुल्क में वृद्धि के सवाल पर ठीक-ठीक विचार-विमर्श किया था और इस संबंध में उसके निर्णय को शुरू की गई प्रक्रिया में किसी भी कमी के साथ जोड़ा नहीं जा सकता था, जो कि गलती के कारण हुआ हो सकता है।

एच.

नौवीं सी. ओ. सी. बैठक दिनांक 22.01.2021 के कार्यवृत्त की सामग्री को ध्यान में रखते हुए समाधान पेशेवर की ओर से धारणा।हालांकि जैसा कि ऊपर कहा गया है, जब समाधान योजना को संशोधित किया जाना था ताकि असहमत वित्तीय लेनदारों के लिए प्रावधान किया जा सके, तो वित्तीय परिव्यय में बदलाव होने वाला था और इसे फिर से सी. ओ. सी. के समक्ष रखा जाना चाहिए था, लेकिन इस अनियमितता को समाधान पेशेवर की शुल्क वृद्धि से जोड़ना बहुत दूर की बात है।इस संबंध में समाधान पेशेवरों के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण के निष्कर्षों और टिप्पणियों को दरकिनार किया जाना चाहिए।

बिन्दु ई-संबंधित पक्ष से संबंधित मामला

52. अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा विचार में लिया गया एक अन्य कारक निगमित देनदार के संबंधित पक्ष के संबंध में समाधान योजना में तथाकथित भेदभाव के संबंध में रहा है।

ग

53. 2022 की सिविल अपील No.1827 में अपीलार्थी के विद्वान वकील ने कई तय किए गए मामलों का उल्लेख करते हुए कहा है कि इसमें, जब संबंधित पक्षों के कुछ बकाया को स्वीकार किया गया था, तब भी ऐसे संबंधित पक्षों को किसी भी भुगतान के लिए प्रावधान नहीं करने वाली प्रस्ताव योजनाओं को इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था; और यह कि गैर-भेदभाव के सिद्धांत सी. ओ. सी. के निर्णय पर लागू नहीं होंगे। समाधान पेशेवर की ओर से यह तर्क दिया गया है कि किसी भी वैधानिक आवश्यकता का कोई आदेश नहीं है कि संबंधित पक्षों को भुगतान के लिए समाधान योजना में कोई प्रावधान किया जाना चाहिए। विद्वान वकील के अनुसार, अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि योजना मतदान के हकदार वित्तीय लेनदारों (असहमत वित्तीय लेनदारों सहित) को भुगतान प्रदान करे।इस प्रकार, विचाराधीन योजना को किसी भी अनिवार्य आवश्यकताओं के उल्लंघन में खड़ा नहीं कहा जा सकता है।इसके विपरीत, संबंधित पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि भले ही संबंधित पक्ष को फीनिक्स एआरसी (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के संदर्भ में एक अलग वर्ग के रूप में माना जाना है, ताकि सीओसी से बाहर रखा जा सके, समाधान योजना के तहत बकाया के भुगतान के मामले में उन्हें अलग वर्ग के रूप में माना जाने का कोई कारण नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित पक्ष के ऋण के निर्वहन का प्रावधान करने में विफलता संहिता की धारा 30 (2) (बी), (ई) और (एफ) का उल्लंघन है।संबंधित पक्ष की ओर से की गई दलीलों और अपीलीय न्यायाधिकरण की टिप्पणियों को स्वीकार करना मुश्किल है।

डी.

ई.

च

जी.

54. संबंधित पक्ष के संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण की लंबी चर्चा (जिनके भागों को पैराग्राफ ए में पुनः प्रस्तुत किया गया है)

एच.

909

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

19.7 ऊपर) अपीलीय न्यायाधिकरण की अनिश्चित और अपरिवर्तनीय टिप्पणियों को दर्शाता है।

54.1.इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि संबंधित पक्ष को सी. ओ. सी. का हिस्सा बनने के लिए प्रतिबंधित किया गया है और आगे समाधान आवेदक या अधिकृत प्रतिनिधि आदि होने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, अपीलीय न्यायाधिकरण ने उचित रूप से कहा है कि सी. आई. आर. पी. में किसी भी क्षमता में संबंधित पक्ष की भागीदारी को कॉर्पोरेट देनदार को अनुचित लाभ देने के रूप में देखा गया था; और यह कि एक अलग वर्ग के रूप में संबंधित पक्ष की वैधानिक मान्यता समाधान योजना पर भी लागू होगी जब सी. ओ. सी. यह तय करेगी कि क्या उसे अपने व्यावसायिक ज्ञान में संबंधित पक्ष को बिल्कुल भी भुगतान करना चाहिए क्योंकि इसका मतलब उन्हीं व्यक्तियों को भुगतान करना होगा जो कॉर्पोरेट देनदार के पीछे हैं।हालांकि, इसके बाद अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि संबंधित पक्ष को इक्विटी शेयरधारकों के रूप में प्रवर्तकों के साथ बराबरी करने की आवश्यकता है और फिर, संबंधित पक्ष असुरक्षित वित्तीय लेनदार और अन्य असुरक्षित वित्तीय लेनदारों के साथ-साथ संबंधित पक्ष परिचालन लेनदार और अन्य परिचालन लेनदारों के बीच भेदभाव के बारे में कुछ टिप्पणियां कीं।अपीलीय न्यायाधिकरण की इस तरह की दूरगामी टिप्पणियों को वैधानिक प्रावधानों के संचालन के साथ मिलान करना मुश्किल है।

ग

डी.

54.2.अपीलार्थियों की ओर से यह उचित रूप से तर्क दिया गया है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा (अनुच्छेद 15.4.1 में निष्कर्षण के माध्यम से) उचित रूप से देखा गया था कि संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो यह अनिवार्य करता हो कि संबंधित पक्ष को असंबंधित पक्ष के साथ समानता में भुगतान किया जाना चाहिए।जब तक संहिता और सी. आई. आर. पी. विनियमों के प्रावधानों को पूरा किया जाता है, समाधान योजना में विभिन्न वर्ग के लेनदारों को अंतर भुगतान का कोई भी प्रस्ताव अंततः सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक विवेक के अधीन है और केवल संबंधित पक्ष के लिए प्रावधान नहीं करने के लिए समाधान योजना में कोई गलती नहीं की जा सकती है।

ई.

च

54.3.वर्तमान मामले के तथ्यों पर, हमें इस मामले पर आगे चर्चा करने का कोई कारण नहीं मिलता है जब यह देखा जाता है कि प्रवर्तक और पूर्व निदेशक, हमारे सामने चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी, उक्त संबंधित पक्ष के अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। वर्तमान उद्देश्य के लिए यह अवलोकन करना पर्याप्त होगा कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने गैर-भेदभाव के सिद्धांतों को लागू करने में गलती की है और इस तरह संबंधित पक्ष के लिए प्रावधान के अभाव के कारण प्रश्नगत समाधान योजना के खिलाफ निर्णय लिया है।

जी.

एच.

प्वाइंट एफ-प्रवर्तक के निपटान प्रस्ताव के संबंध में एन. सी. एल. ए. टी. के निष्कर्ष

55. जहाँ तक प्रश्नगत समाधान योजना के अनुमोदन का संबंध है, पूर्वगामी चर्चा, विशेष रूप से सी2, सी3 और डी1 बिंदुओं के उत्तरों के साथ इस मामले में निर्णायक है।जैसा कि देखा गया है, समाधान आवेदक की पात्रता की कमी और सी. ओ. सी. की बैठक द्वारा अंतिम रूप से संशोधित समाधान योजना के अनुमोदन की कमी के लिए, विचाराधीन समाधान योजना को अस्वीकार करने की आवश्यकता है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने में अपनाई गई प्रक्रिया को अस्वीकार करने की आवश्यकता है।हालांकि, इस मामले में विचार का दूसरा खंड, अपनी विशिष्टताओं को लेकर, प्रवर्तक के निपटान प्रस्ताव और संहिता की धारा 12-ए के प्रावधानों के संचालन से संबंधित है।

56. तथ्यात्मक पहलुओं और मामले में पहले पारित आदेशों पर एक व्यापक नज़र डालने से यह स्पष्ट होता है कि विचाराधीन सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से ही प्रवर्तक और पूर्व निदेशक ने संहिता की धारा 12-ए के संचालन को लागू करने के कई प्रयास किए थे।बहुत ही प्रारंभिक चरण में, टी. एफ. सी. आई. द्वारा की गई याचिका को स्वीकार करते हुए, एन. सी. एल. टी. ने अपने दिनांकित आई. डी. 1 के आदेश में कहा कि कॉर्पोरेट देनदार की ओर से ओ. टी. एस. निपटान प्रस्ताव के प्रयास केवल समय प्राप्त करने के लिए थे।फिर भी, जब प्रक्रिया कई कदम आगे बढ़ गई है और जब संकल्प योजनाओं पर मतदान किया जा रहा था, मतदान से ठीक एक दिन पहले, प्रवर्तक ने बिना किसी ठोस योजना के और निपटान को पूरा करने के लिए धन के स्रोत का खुलासा किए बिना एक और निपटान प्रस्ताव रखा।सी. ओ. सी. ने उचित विचार-विमर्श के बाद इस पर विचार करने से इनकार कर दिया और उसके बाद प्रश्नगत समाधान योजना पर मतदान किया।

डी.

ई.

57. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने इस मामले को पर्याप्त विस्तार से निपटाया (पैराग्राफ 15.2 और उसमें प्रासंगिक निष्कर्षण के माध्यम से) यह देखते हुए कि सी. आई. आर. पी. के मूल आवेदक, यानी टी. एफ. आई. सी. को भी इस तरह के प्रस्ताव के बारे में अंधेरे में रखा गया था।यह भी देखा गया कि डॉयचे बैंक के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए टर्म-शीट भी एक अस्वीकरण के साथ आई थी।तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में, प्रवर्तक और पूर्व निदेशक द्वारा किए गए प्रस्ताव सभी छल और विलंबकारी रणनीति के थे।हालांकि, अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) ने कहा कि नौवीं सी. ओ. सी. बैठक में, निपटान प्रस्ताव के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी और सी. ओ. सी. ने कभी भी प्रवर्तक और पूर्व निदेशक द्वारा प्रस्तुत निपटान प्रस्ताव पर विचार नहीं किया था; और यह कि निपटान प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद, यह प्रस्ताव ए पर बाध्य था।

च

जी.

एच.

ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सी. ओ. सी. की बैठक बुलाने के लिए पेशेवर।अपीलीय न्यायाधिकरण की टिप्पणियों को कार्यवाही के अभिलेख के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है।

57.1.जैसा कि देखा गया है, विचाराधीन प्रस्ताव को केवल ग्यारहवें घंटे, यानी सी. ओ. सी. की नौवीं बैठक में प्रस्ताव योजना पर मतदान करने से एक दिन पहले, विचार के लिए भेजा गया था।सी. ओ. सी. ने, उक्त बैठक में, वास्तव में, निपटान के प्रस्ताव और वापसी अनुरोध पत्र के लिए आवेदन पर विचार किया, जिसे बैठक से दो घंटे पहले प्रसारित किया गया था।एस. बी. आई. और बैंक ऑफ इंडिया जैसे महत्वपूर्ण मतदान शेयर वाले लेनदार अपने रुख में स्पष्ट थे कि वे एजेंडे पर कायम रहेंगे और उससे विचलित नहीं होंगे।समाधान पेशेवर को कॉर्पोरेट देनदार के प्रतिनिधियों से अनुरोध करना था कि वे अधिकांश सी. ओ. सी. की इच्छाओं के अनुसार एजेंडा मदों को पूरा करने की अनुमति दें और सी. ओ. सी. को भेजे गए पत्र पर आगे कोई चर्चा नहीं की जानी थी। जब सी. ओ. सी. का पर्याप्त बहुमत इस तरह की चर्चा के पक्ष में नहीं था, जिसे बैठक से कुछ घंटे पहले उन पर थोपा जाना प्रस्तावित किया गया था, तो उनके दृष्टिकोण को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।किसी भी मामले में, संहिता की धारा 12-ए के संदर्भ में वापसी के लिए आवेदन केवल तभी किया जा सकता था जब सी. ओ. सी. ने 90 प्रतिशत मतदान हिस्सेदारी के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दी हो।जब पर्याप्त मतदान हिस्सेदारी वाले लेनदार ऐसे किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ थे, तो किसी भी विचार को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था और निकासी के लिए कोई वैध आवेदन नहीं हो सकता था।

ग

डी.

ई.

58. इस प्रकार, अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि धारा 12-ए के संदर्भ में प्रवर्तक का निपटान प्रस्ताव सी. ओ. सी. के विचार के लिए नहीं रखा गया था। विचाराधीन समाधान योजना की मंजूरी को इस मामले में उलट नहीं किया जा सकता था।हालाँकि, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, विचाराधीन समाधान योजना की मंजूरी को अन्य महत्वपूर्ण कारणों से अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सकता था।

च

बिंदु जी-बाद की घटनाओं का प्रभाव और प्रभाव

59. उपरोक्त चर्चा इस मामले में निर्णायक रही होगी, लेकिन इस मामले में बाद की कई घटनाएं हुई थीं, विशेष रूप से ईओआई के लिए नए निमंत्रण और फिर, सीओसी द्वारा अपनी उन्नीसवीं बैठक में प्रवर्तक के निपटान प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।इस प्रकार, सवाल इस तरह की बाद की घटनाओं के प्रभाव और प्रभाव के बारे में है।इस प्रश्न से निपटने के लिए, हमें मामले के प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलुओं और बाद की घटनाओं के कालक्रम को फिर से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

जी.

एच.

60. जैसा कि देखा गया है, विवादित निर्णय और दिनांक 17.02.2022 के आदेश में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने सी. ओ. सी. को अपने आदेश की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर (यानी 17.02.2022 से पंद्रह दिनों के भीतर) प्रवर्तक के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था।इससे पहले, प्रवर्तक द्वारा इस तरह के निपटान प्रस्ताव के प्रस्तावों पर दो बार अनुचित तरीके से विचार किया गया था।इस तरह के प्रस्ताव से संबंधित नौवीं सी. ओ. सी. बैठक में कार्यवाही के प्रासंगिक हिस्सों पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है।यह देखा गया है कि समाधान योजना की मंजूरी के बाद, प्रवर्तक ने फिर से 08.03.2021 पर एक निपटान प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके बाद धन के प्रमाण के रूप में एक सविता आयुर्विज्ञान और तकनीकी विज्ञान संस्थान से 14.07.2021 दिनांकित एक पत्र प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उक्त पत्र को बाद में उक्त संस्थान द्वारा वापस ले लिया गया था।समाधान योजना को 15.07.2021 पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसे प्रवर्तक द्वारा चुनौती दी गई थी और अपीलीय न्यायाधिकरण ने 15.07.2021 दिनांकित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी थी। अपीलीय न्यायाधिकरण ने अंततः अपील को स्वीकार कर लिया और विचाराधीन समाधान योजना को अस्वीकार करने के अलावा, समाधान पेशेवर को निर्णय की तारीख से 15 दिनों के भीतर सी. ओ. सी. की बैठक बुलाने और फॉर्म जी के प्रकाशन के चरण से सी. आई. आर. पी. के साथ आगे बढ़ने और प्रवर्तक के प्रस्ताव को सी. ओ. सी. के समक्ष विचार के लिए रखने का निर्देश दिया।एन. सी. एल. ए. टी. के इन निर्देशों के अनुपालन में, ग्यारहवीं सी. ओ. सी. बैठक 03.03.2022 पर आयोजित की गई थी जहाँ प्रवर्तक के निपटान प्रस्ताव को सी. ओ. सी. में मतदान के लिए रखा गया था; मतदान 25.03.2022 तक जारी रहा; और अंततः, उक्त निपटान प्रस्ताव को मतदान हिस्से के 51.81% द्वारा वोट दिया गया था।

ग

डी.

ई.

61. प्रवर्तक के निपटान प्रस्ताव की इस तरह की अस्वीकृति के बाद, जैसा कि हमने ऊपर पैराग्राफ 26.1 से 26.4 में विस्तार से बताया है, नए ई. ओ. आई. के निमंत्रण के लिए सी. ओ. सी. में कार्यवाही जारी रही और उस उद्देश्य के लिए, सी. ओ. सी. ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से और समय बढ़ाने की मांग करने का भी संकल्प लिया।61.1.आई. डी. 2 पर, अठारहवीं सी. ओ. सी. बैठक में, यह सूचित किया गया कि सात समाधान योजनाएं प्राप्त हो गई हैं और उनका मूल्यांकन प्रक्रिया में है, लेकिन सी. ओ. सी. सदस्यों को सूचित किया गया कि प्रवर्तक से आई. डी. 1 पर एक और निपटान प्रस्ताव प्राप्त हुआ

है।उस स्तर पर, फिर से, जब अनिवार्य 330 दिनों की अवधि समाप्त होने वाली थी, सी. ओ. सी. सदस्यों ने सर्वसम्मति से सी. आई. आर. पी. की समयसीमा बढ़ाने की मांग के लिए मतदान किया।फिर, 12.10.2022 पर, प्रवर्तक के निपटान प्रस्ताव पर चर्चा हुई, इसे मतदान के लिए रखा गया और कुल मतदान शक्तियों के 100% के साथ सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किया गया।

च

जी.

एच.

913

एम. के. राजगोपालन बनाम डॉ. पेरियासामी पलानी गौंडर और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

क.

62. उपरोक्त कार्यवाही जारी रही और मामला इस न्यायालय में लंबित रहा।सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? पहली बार में, यह प्रतीत हो सकता है कि जब निपटान प्रस्ताव को अब सी. ओ. सी. द्वारा अपने वाणिज्यिक ज्ञान में 100% मतदान शक्तियों के साथ अनुमोदित कर दिया गया है, तो उसके तहत प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा एक पूर्ण अनुमोदन अन्य जटिलताओं से भरा हुआ है।

63. धारा 12-ए को संहिता में बाद में और दिवाला कानून रिपोर्ट, मार्च, 2018 के अनुसार पेश किया गया था।यह प्रावधान निपटान पर निकासी के लिए एक तंत्र प्रदान करने के लिए पेश किया गया था जो आईबीसी में गायब था जैसा कि मूल रूप से घोषित किया गया था।सी. आई. आर. पी. विनियमों में विनियम 30-ए भी पेश किया गया था।आई. डी. 1 से इसे और संशोधित किया गया, जिसमें ब्याज की अभिव्यक्ति जारी करने के बाद भी सी. आई. आर. पी. को वापस लेने का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस शर्त के साथ कि आवेदक ई. ओ. आई. जारी करने के बाद निकासी को उचित ठहराते हुए कारण बताएगा।

ग

डी.

64. जैसा कि विभिन्न घटनाओं से देखा गया है, यहां तक कि सीमा स्तर पर भी, एन. सी. एल. टी. ने कॉर्पोरेट देनदार की ओर से निपटान प्रस्ताव को देखा, लेकिन फिर पाया कि यह एक छलावा था जिसे केवल समय प्राप्त करने के लिए आगे रखा गया था।याचिका को स्वीकार कर लिया गया, जिससे सी. आई. आर. पी. भड़क गई। महत्वपूर्ण रूप से, निपटान प्रस्ताव तब प्रवर्तक से प्राप्त समाधान योजनाओं को मतदान के लिए रखने से केवल एक दिन पहले आया था, यानी 21.01.2021 पर।सी. ओ. सी. ने, भले ही पहले इस पर मतदान नहीं किया था, प्रस्ताव आवेदक से प्राप्त समाधान योजना से निपटने के लिए पहले से ही निर्धारित एजेंडा के लिए इसे स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।जैसा कि देखा गया, समाधान योजना की मंजूरी के बाद, प्रवर्तक ने फिर से एक निपटान प्रस्ताव प्रस्तुत किया, लेकिन संस्थान, जिसे इसका समर्थन करने के लिए कहा गया था, बाद में वापस ले लिया।एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अपील को स्वीकार करने के बाद और उन निर्देशों के संदर्भ में, नए निपटान प्रस्ताव को सटीक रूप से मतदान के लिए रखा गया और खारिज कर दिया गया।इसके बाद, नए ईओआई आमंत्रित किए गए और समाधान योजनाएं प्राप्त की गईं।महत्वपूर्ण रूप से, प्रवर्तक ने सात संभावित समाधान आवेदकों से समाधान योजना प्राप्त करने के बाद ही 19.09.2022 पर संहिता की धारा 12-A को लागू करने के लिए एक और निपटान प्रस्ताव पेश किया।प्रवर्तक द्वारा उपरोक्त लेन-देन में एक पैटर्न काफी आश्चर्यजनक है।जब संकल्प योजनाएँ प्रारंभिक चरण में प्राप्त हुई थीं, केवल ग्यारहवें घंटे में, निपटान प्रस्ताव सामने आया।इस बार भी समाधान योजना प्राप्त होने के बाद ही प्रवर्तक की ओर से निपटान प्रस्ताव आया।इससे पहले उनका प्रस्ताव पहले से ही था

ई.

च

जी.

अस्वीकार कर दिया।यह बलपूर्वक टिप्पणी की जाती है कि निगमित देनदार का प्रतिनिधि सी. ओ. सी. का हिस्सा होने के नाते, ऐसा प्रस्तावक स्पष्ट रूप से निमंत्रण के जवाब में प्राप्त होने पर समाधान योजनाओं में प्रस्तावों के बारे में जानने की स्थिति में होता है।

65. हमने मामले के इस पेचीदा हिस्से के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है क्योंकि एक ओर सी. ओ. सी. में मतदान शक्तियों द्वारा पुनः प्रस्तुत निपटान प्रस्ताव की मंजूरी है और दूसरी ओर, मामले का तथ्य यह है कि इस तरह के निपटान प्रस्ताव से पहले, दूसरी बार ई. ओ. आई. आमंत्रित किए गए थे और वास्तव में, सात समाधान योजनाएं प्राप्त हुई थीं।जैसा कि देखा गया है, प्रवर्तक से पहले का निपटान प्रस्ताव संकल्प योजनाओं को मतदान के लिए रखे जाने से केवल एक दिन पहले आया था, यानी 21.01.2021 पर।इस बार फिर से, संभावित समाधान आवेदकों से सात समाधान योजनाएं प्राप्त करने के बाद केवल 19.09.2022 पर प्रवर्तक से निपटान प्रस्ताव सामने आए।

ग

66. हम इस मामले पर आगे विस्तार नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब हम पाते हैं कि संहिता की धारा 12-ए के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रवर्तक का निपटान प्रस्ताव, सी. ओ. सी. की मंजूरी के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, तो हमारे विचार में, यह उचित होगा कि मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के विचार के लिए खुला छोड़ दिया जाए, जिसमें ई. ओ. आई. के लिए नए निमंत्रण जारी करने के बाद और समाधान योजनाएं प्राप्त करने के बाद धारा 12-ए को लागू करने के औचित्य से संबंधित पहलू भी शामिल हैं।दूसरे शब्दों में, हम इस न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के विचार के लिए सभी प्रासंगिक पहलुओं को खुला छोड़ देंगे।

डी.

ई.

सारांश

च

67. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) द्वारा दिनांक 1 के विवादित आदेश में प्रश्नगत समाधान योजना की अस्वीकृति में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन सभी कारणों के लिए नहीं जो अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ जुड़े हुए हैं।जैसा कि ऊपर देखा गया है, मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण के कारणों और निष्कर्षों और कुछ प्रक्रियात्मक प्रावधानों के कथित गैर-अनुपालन के साथ-साथ समाधान पेशेवरों (अंक ए, बी और डी 2) के शुल्क में वृद्धि के खिलाफ टिप्पणियों को भी मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए।इसी तरह, अपीलीय न्यायाधिकरण ने समाधान आवेदक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) (बी) (जैसा कि बिंदु सी1 में माना गया है) के संदर्भ में समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य ठहराने में सही नहीं रहा है।द ए.

जी.

संहिता की धारा 12-ए के संदर्भ में प्रवर्तक के निपटान प्रस्ताव के संदर्भ में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अस्वीकृति और इसके कथित गैर-विचार को भी हमारे द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है और अपीलीय न्यायाधिकरण के ऐसे निष्कर्षों को दरकिनार करने की आवश्यकता है (जैसा कि बिंदु एफ में कहा गया है)।इसी तरह, अपीलीय न्यायाधिकरण ने संबंधित पक्ष के संबंध में गैर-भेदभाव के सिद्धांतों को लागू करने में गलती की है (जैसा कि बिंदु ई में माना गया है)।हालांकि, सी2, सी3 और डी1 बिंदुओं के संबंध में अन्य निष्कर्ष और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित परिणामी आदेश को मंजूरी दी जानी चाहिए।

67.1.इसलिए, ए, बी, सी1, डी2, ई और एफ के निर्धारण के लिए बिंदुओं द्वारा कवर किए गए मुद्दों के संबंध में विवादित निर्णय और दिनांक 1 का आदेश अनुमोदित नहीं है और उस संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया जाता है।हालाँकि, सी2, सी3 और डी1 बिंदुओं के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए समाधान योजना की अस्वीकृति बनी हुई है।
68.इसे अलग-अलग शब्दों में कहें तो हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि सी. ओ. सी. के व्यावसायिक विवेक का सम्मान करते हुए भी, वर्तमान मामले में, विचाराधीन समाधान योजना को दो प्रमुख कारणों से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सकता थाःएक, समाधान आवेदक की अयोग्यता के लिए; और दूसरा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से अनुमोदन लेने से पहले संशोधित समाधान योजना को सी. ओ. सी. में नहीं रखने के लिए।बेशक, मूल्यांकन रिपोर्टों से संबंधित प्रश्नों और वेबसाइट पर फॉर्म जी के प्रकाशन की इच्छा पर, हम न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के साथ एक हैं कि ये पहलू विचाराधीन प्रक्रिया में सामग्री से संबंधित नहीं थे और समाधान पेशेवर ने कानून में अनुमेय और परिस्थितियों में व्यवहार्य उचित कदम उठाए थे।इसी तरह, हम समाधान योजना में संबंधित पक्ष के व्यवहार के संबंध में और प्रवर्तक के निपटान प्रस्ताव के संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण के विचारों का समर्थन करने के लिए इच्छुक नहीं हैं और उस संबंध में प्रक्रिया को किसी भी अवैधता से पीड़ित नहीं कहा जा सकता है।

ग

डी.

ई.

च

69. अब तक नए ई. ओ. आई. के निमंत्रण और सी. ओ. सी. द्वारा प्रवर्तक के नए निपटान प्रस्ताव की मंजूरी से संबंधित बाद की घटनाओं का संबंध है, सभी प्रासंगिक पहलुओं को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के विचार के लिए खुला रखा जाता है।

जी.

निष्कर्ष

70. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इन अपीलों का निपटारा निम्नलिखित शर्तों में किया जाता हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

एच.

1. विवादित निर्णय और दिनांकित 17.02.2022 आदेश में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया गया है जब तक कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने उन कारणों के लिए प्रश्नगत समाधान योजना को मंजूरी नहीं दी है जिनकी पुष्टि हमने पहले सी2, सी3 और डी1 बिंदुओं में की है।अपीलीय न्यायाधिकरण के अन्य निष्कर्षों, टिप्पणियों और निर्देशों को अलग कर दिया जाता है।

2. प्रवर्तक के नए निपटान प्रस्ताव से निपटने का प्रश्न, जैसा कि सी. ओ. सी. द्वारा नई समाधान योजनाएं प्राप्त करने के बाद अपनी उन्नीसवीं बैठक में अनुमोदित किया गया था, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के विचार के लिए खुला छोड़ दिया गया है, जिससे लागू कानून और वर्तमान मामले के तथ्यों और पूर्वगामी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए मामले के इस पहलू से निपटने की उम्मीद की जाएगी।

ग

बिभूति भूषण बोस

अपीलों का निपटारा किया गया।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

डी.

ई.

च

जी.

एच.